C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. VIII, Third Session, 2020/1941 (Saka)
No.22, Friday, March 20, 2020/ Phalguna 30, 1941 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 381 to 387 and 400	13-75
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 388 to 399	76-119
Unstarred Question Nos. 4371 to 4600	120-708

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Commencement of sitting of the House 709

SUBMISSIONS BY MEMBERS 709-710, 720-721, 738, 747

(i) Re: Reported increase in prices of essential commodities 709-710

(ii) Re: Need to close stock exchange in view of rapid fall in sensex 720-721

(iii) Re: Pollution due to illegal stone crushing in Chikhaldara Hill station 738

(iv) Re: Dumping of biomedical wastes by Hospitals in forest areas 747

PAPERS LAID ON THE TABLE 711-712

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA 713

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

1st to 8th and 9th to 23rd Reports 713

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY

10th to 12th Reports 714

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

6th to 8th Reports 714

BUSINESS OF THE HOUSE 715-716

MOTION RE : 15TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 716

MATTERS UNDER RULE 377 748-755

(i) Need to expedite construction of pending irrigation projects in Jharkhand

Shri Sunil Kumar Singh 748

(ii) Need to include Sickle Cell disease in the list of diseases eligible for treatment under Ayushman Bharat Yojana

Shri Prabhubhai Nagarbhai Vasava 749

(iii) Regarding condition of NH-19

Shri Sushil Kumar Singh 749

(iv) Need to provide secondary care treatment referral facility in ESIC hospital in Adityapur, Jharkhand and also set up a 250-bedded hospital in Adityapur

Shri Bidyut Baran Mahato 750

(v) Regarding plan to tackle the negative impact of Corona virus menace on Indian economy

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 750

(vi) Regarding participation of Members of Parliament in administrative board of educational institutions

Shri Vijay Baghel 751

(vii) Regarding Tripura Tribal Autonomous District Council

Shri Rebati Tripura 751

(viii) Need to provide irrigation facilities to Adivasi people living in forest area in Narmada and Bharuch districts, Gujarat

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 752

(ix) Need to modernise and develop Porbandar Railway Station in Gujarat as a model railway station

Shri Rameshbhai L. Dhaduk 752

(x) Need to provide compensation to farmers who suffered damage to their crops caused by heavy hailstorms in Rewa Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Janardan Mishra 752

(xi) Regarding conservation and development of historical fort at Deora in Chhatarpur district, Madhya Pradesh as tourist destination

Dr. Virendra Kumar 752

(xii) Need to provide benefits under Kisan Samman Nidhi Scheme to farmers in Madhya Pradesh

Shri Gajendra Umrao Singh Patel 753

(xiii) Regarding issuance of alleged illegal armed licence in Banswara district, Rajasthan

Shri Kanakmal Katara 753

(xiv) Need to remove areas having ground water in Churu Parliamentary Constituency from the list of dark zones

Shri Rahul Kaswan 754

(xv) Regarding deleting entry relating to wild boars/wild pigs from Schedule III of the Wild Life Protection Act

Shri K. Shanmuga Sundaram 754

(xvi) Regarding merger of Banks

Shri Balashowry Vallabhaneni 755

(xvii) Regarding changes or amendments on Kharland Development Scheme

Shri Vinayak Bhaurao Raut 755

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITIES BILL, 2019

Amendment made by Rajya Sabha 756-758

INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY LAWS (AMENDNMENT) BILL, 2020 759-810

Motion to Consider 760

Shri Ramesh Pokhriyal Nishank 759-760, 806-808

Shri Kodikunnil Suresh 761-763

Shri Ram Kripal Yadav 764-767

Prof. Sougata Ray 768-770

Shri Vinayak Bhaurao Raut 771

Shri Ramprit Mandal 772

Shri Bhartuhari Mahtab 773-774

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 775-776

Shri Brijendra Singh 777-778

Kunwar Danish Ali 779-780

Shri B.B. Patil	781-782
Dr.Sukanta Majumdar	783-784
Kumari Goddeti Madhavi	785
Shri E.T. Mohammed Basheer	786-787
Prof. S.P. Singh Baghel	788
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	789-790
Shri Girish Bhalchandra Bapat	791
Shri P. Raveendranath Kumar	792
Shri Thomas Chazhikadan	793
Dr. Thol Thirumaavalavan	794
Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil	795
Shri N.K. Premachandran	796
Shri Hasnain Masoodi	797
Shri Suresh Pujari	798
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	799-800
Dr. Nishikant Dubey	801
Shri Ritesh Pandey	802
Shri DNV Senthikumar S.	803
Shri Anubhav Mohanty	804
Dr. Satyapal Singh	805
Clauses 2, 3 and 1	809-810
Motion to Pass	810

PRIVATE MEMBERS' RESOLUSIONS

(i) Construction of canals through Ken-Betwa River Linking Project to overcome the problem of water Scarcity and stray cows in the Bundelkhand 811-842

Shri Hanuman Beniwal 811-815

Shri Hasnain Masoodi 816

Shri Gajendra Singh Shekhawat 817-837

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 838-842

Resolution-withdrawn 842

(ii) Welfare measures for Angandwadi Workers and Anganwadi Helpers 843-848

Shri Ritesh Pandey 843-848

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 849

Member-wise Index to Unstarred Questions 850-856

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 857

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 858

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, March 20, 2020/ Phalguna 30, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बाज़ार में आग लग गई है। प्रधान मंत्री के भाषण के बाद सारे बाजार में आग लग गई है। …(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the Prime Minister should come to Parliament. He should come to the House and tell us. …(*Interruptions*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(Q. 381)

माननीय अध्यक्ष: श्री मागुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी – उपस्थिति नहीं।

श्री अशोक महादेवराव नेते।

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदय, देश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में मध्यम और लघु सिंचाई तथा रेल परियोजना में पर्यावरणीय/वन मंजूरी विलंब होने से क्षेत्र का विकास पूरी तरह से अवरूद्ध हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, अत: मैं इस संदर्भ में माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या वे विशेषकर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के लघु और मध्यम सिंचाई तथा रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पर्यावरणीय/वन मंजूरी प्रदान कि ए जाने हेतु कदम उठाएंगे? मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली-चिमुर, 700 कि लोमीटर से ज्यादा लंबे क्षेत्र में देश का अत्याधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में मंजूर वडसा-गड़चिरोली इस ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण को भी शीघ्र पर्यावरणीय क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिए जाने हेतु निर्देशित करें, ताकि इस रेल मार्ग का कार्य तेज़ी के साथ प्रारंभ हो सके और नक्सवाद से प्रभावित इस क्षेत्र के लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्व का है, जो अशोक नेते जी ने पूछा है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जंगलों में मुख्यत: आदिवासी और गैर-आदिवासी भी, लेकि न जो जंगलवासी हैं, वनवासी हैं, वे भी रहते हैं, इसके लिए हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, महत्वपूर्ण यह है कि क्योंकि वहां पानी की उपलब्धता हो, जमीन के पट्टे मिलें, लेकि न पानी नहीं है तो क्या करेंगे, इसलिए दो हज़ार हैक्टेयर से कम जहां इरिगेशन है, वहां ई.सी. की अब कोई जरूरत नहीं है। जो दो हजार से दस हजार हैक्टेयर तक का प्रोजेक्ट है, उसको हमारे रीजनल ऑफिस से ही हमारी परमिशन मिलती है।

उसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें बहुत समय लगता है, जो तीन सीजंस का होता है, उसे नहीं देना है। उसमें पब्लिक हियरिंग की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वहीं के किसानों का फायदा होने वाला है।

10,000 हेक्टेयर से 50,000 हेक्टेयर की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनके लिए राज्य की जो अथॉरिटी 'सिया (एस.ई.आई.ए.ए.)' है, उन्हें यह अधिकार दिया गया है । जहां 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा का सिंचित क्षेत्र है, वहीं पर केवल हमारी भूमिका होती है। हमने पिछले पाँच सालों में जितनी डेलीगेशंस की हैं, उसके बाद हमने देखा कि अब हमारे पास केवल सात प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, जिनकी जानकारी राज्यों ने नहीं भेजी है । हमारे यहां केवल सात प्रोजेक्ट्स अंडर-कंसीड्रेशन हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस के भी केवल सात प्रोजेक्ट्स हमारे पास पेंडिंग हैं। हमने 523 प्रोजेक्ट्स को परमिशन दी है।

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: आपको सप्लीमेंटरी प्रश्न एलाऊ नहीं है, पर आप शॉर्ट में प्रश्न पूछना।

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदय, वडसा-गड़चिरौली रेल परियोजना कई वर्षों से पर्यावरण क्लियरेंस की वजह से रूकी हुई है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह प्रश्न है कि इस रेल परियोजना को आप कब तक पर्यावरण क्लियरेंस देंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदय, पहले तो हमने दो निर्णय लिए। एक तो जो वर्तमान सड़क है, उसे अपग्रेड करने के लिए भी पहले परमिशन नहीं थी। आखिर उसे ज्यादा यूज तो वनवासी ही करते हैं, इसलिए उस सड़क की अपग्रेडेशन के लिए हमने जनरल एप्रूवल दी है। उसके लिए हमारे पास कोई फाइल भेजने की जरूरत नहीं है।

जिसमें सड़क चौड़ी करनी है और जहां रेलवे का नया प्रोजेक्ट है, उसके लिए प्रोसेस वही है। कुछ मामले एन.जी.टी. में गए हैं। हम उसे फॉलो-अप कर रहे हैं, ताकि इसका जल्दी से फैसला हो जाए।

अकोला-खंडवा लाइन का भी मुद्दा है। इसके साथ-साथ दूसरे भी अनेक प्रदेशों में रेलवे के मीटर गेज को ब्रॉड गेज करते समय भी राज्य की तरफ से फॉरेस्ट्स की ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, जिनकी वजह से उसे परमिशन मिलने में दिक्कतें होती हैं। हम सभी राज्यों के एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स के साथ भी बैठक कर रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया थोड़ी सुचारू हो, ताकि हमें फिर दिक्कत न हो।

SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL : Sir, I am thankful to you for allowing me to ask the supplementary, which is in the form of a suggestion. In Maharasthra we are thinking of supplying water through underground pipelines. डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से कहीं-कहीं परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन, अगर आप अंडरग्राउण्ड बंद पाइपलाइन डालें तो उससे डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा और जमीन का जो इरोजन होता है, वह नहीं होगा। वहां एवैपोरेशन के लिए पानी कम पड़ता है। वहां पानी कम होता है और जमीन दो हजार हेक्टेयर से लेकर दस हजार हेक्टेयर तक होती है। इसलिए उन्हें पानी देने के लिए ये छोटे-छोटे तालाब जरूरी हैं। गांव में जितनी भी बस्तियां हैं, उन्हें अगर छोटे-छोटे नल के माध्यम से पानी दिया जाए तो भी उनके लिए पानी की सुविधा हो जाती है। अगर तालाब बनाएंगे तो जंगलों में जो वाइल्ड लाइफ है, उसे भी पानी मिलेगा। इसलिए अगर कोई ऐसा प्रस्ताव है कि जहां भी तालाब बनाएं, उसका पानी बंद पाइपलाइन से ले जाएं। इससे बस्ती में जो पानी जाए, वह अच्छा हो। क्या ऐसा कोई प्रस्तावित सिस्टम है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदय, श्रीनिवास पाटिल जी ने जो प्रश्न पूछा, वह महत्वपूर्ण है। ये जिला कलक्टर और डिवीजनल कमिश्नर रहे हैं, इसलिए उनका अपना अनुभव है।

इसमें हमने दो काम किए हैं। जो लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रोड्स हों, रेल हों, सिंचाई की सुविधा हो, पीने के पानी की सुविधा हो, पाइपलाइन हो या ट्रांसमिशन लाइन हो, इसके लिए अब हमने स्टैण्डर्ड कंडीशंस कि ए हैं और अब इसके लिए फाइल हमारे पास नहीं आती है। वे रीजनल सेन्टर्स में जाती हैं। राज्य सरकारें, जो पहले एप्लीकेंट्स होते थे, वे अब डिसीजन देने वाले बन गए

हैं। वहां एक्सपर्ट्स और उनकी हर महीने मीटिंग होती हैं और उसमें वे प्रोजेक्ट्स को मंजूर करते हैं।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आप जो पाइपलाइन का सुझाव दे रहे हैं, वह हमें मंजूर है, लेकिन रीजनल ऑफिस के पास राज्य की तरफ से ऐसे प्रस्ताव आने चाहिए।

(Q.382)

SHRI TEJASVI SURYA : Hon. Speaker, Sir, given the urgency and emergency of the spread of the Coronavirus, the Government has taken measures on a war-footing to contain it.

Sir, with respect to the Ministry of AYUSH, I would like to know whether the Government is taking any steps to issue an advisory advocating any Homoeopathy or Unani medicines for prevention and management of Coronavirus. I also want to know whether any alternate system of medicines have also given any details to prevent, treat, and manage the disease.

There are, in total, 3,277 AYUSH hospitals and 62,649 beds under the Ministry of AYUSH. The Health Ministry has already instituted about 37,300 quarantined beds and about 15,900 isolation beds.

I would like to know whether the Ministry of AYUSH will also be contributing to the isolation beds and increasing the capacity of the Government in taking this fight forward.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कोरोना वायरस के ऊपर प्रश्न पूछा है। यह सही है कि यह हमारे पूरे हिन्दुस्तान के लिए आपत्ति है। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री पूरी तरह से प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, आयुष मंत्रालय ने एक एडवाइजरी निश्चित तौर से निकाली थी। उसमें हमारी जो सभी पैथीज़ हैं, उन पैथीज़ के माध्यम से इस कोरोना वायरस को हटाने के लिए हम जो कुछ भी मदद कर पाएंगे, वे सभी मेडिसन उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले जब वायरस आया था, उसमें जो यूज कि या गया था, उसके अनुभव के आधार पर इस एडवाइजरी में सब को निर्देश दिया

गया है । हमने कहा है कि इसकी एडवाइजरी दी गई है । जब आप लोग प्रिवेन्टिव ले लेंगे तो डॉक्टर के परमिशन या पूछे बिना नहीं लेना, इतना स्पष्ट हमने उसमें किया हुआ था ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न बेड के बारे में पूछा है । हम हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ मिल कर काम कर रहे हैं । जैसे-जैसे एडवाइज आएगी और माँग आएगी, उसके अनुसार हम सब तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं ।

SHRI UTTAM KUMAR REDDY : Hon. Speaker, Sir, I would like to ask a question to the hon. Minister regarding the Coronavirus and the advisory issued by the Ministry of AYUSH.

The Ministry of AYUSH has issued an advisory to the States that 'XYZ' medicines will prevent Coronavirus at a time when the World Health Organisation and the hon. Prime Minister of India, last night, had said that there is no preventive medicine or vaccine for the disease. This is in contradiction to the advice given by the Ministry of Health.

Now, on the advisory note given by your Ministry, the Telangana Government has set-up stalls, even at the airports, for distributing these medicines. Approximately, ten to fifteen crore people in India believe in AYUSH. In a disease like Coronavirus, where there is no scientific evidence and clinical trials, how has the Ministry of AYUSH specifically recommended such medicines? Was it proper on the part of the Ministry of AYUSH to issue such an advisory note without a proper scientific evidence and without proper clinical trials?

I also want to ask about disinformation and misinformation. A number of persons, particularly from the Ruling Party, have been giving statements in the Media like cow urine and cow dung are useful. Some Yoga Gurus are also prescribing some herbs. Now, this misinformation and disinformation have not been contradicted by anybody in the Government. I would like to know this as a citizen. Today, if I want to go and test myself for Coronavirus, there is no system in the country now.

You have not given a clear statement that if a person wants to go for a test, where should he go? There is no system or procedure.

Lastly, those who are coming from abroad are placed in quarantine. I got a call from Hyderabad yesterday saying that those who are put in quarantine are being given unhygienic facilities. The Government should take note of that.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार क्लीयर करना चाहता हूं, जो एडवाइजरी हमने निकाली थी, उसके बेसिस पर मैं कोट करना चाहता हूं-

> "These measures are advised based on the principle of the approach in respective medical systems for such viral diseases where respiratory involvement is evident. This advisory neither claim an effective treatment for the coronavirus nor suggest any specific drug to combat the coronavirus. The personal hygienic measures and a few herbal preparations which may be helpful to maintain the health are indicated in this advisory."

मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें पहले जो वायरस थे, उसके अनुभव के आधार पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, इम्युनिटी बढ़ाने का काम कर सकते हैं, हमने इन सब चीजों के बारे में इसमें मेंशन किया है। हमने मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसलिए, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि ये जो मिस-इंफॉर्मेशन है, उसको मिनिस्ट्री ने बार-बार क्लीयर किया है। इसमें हमारा कोई सहभाग नहीं है। इसके लिए सरकार बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रही है। सरकार ने एबरॉड से आने पर भी रोक लगा दी है। डरने की कोई बात नहीं है। यह कंट्रोल में आ रहा है।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूं कि इस डिजीज के बारे में ये लोग एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के साथ गो-मूत्र को भी इक्वल मेडिकल बता रहे हैं। मैंने बहुत सारे मिनिस्टर्स से बात की है, वे खुद भी इससे कनवींस हैं कि इसमें बहुत फैसिलिटीज हैं, इससे कैंसर क्योर होता है, इससे कोरोना क्योर होता है। आप इसको प्रूव कीजिए कि यह सही है और अगर यह गलत है तो आप इसको क्लीयर कीजिए कि यह गलत है। आप लोगों को कनफ्यूज कर रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो, मैंने आपको जवाब देने की इजाजत नहीं दी है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आप एक मंत्री हैं, ऐसा नहीं है। आप उनको जवाब देने दीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही उत्तर में कहा था कि इस तरह की जो बातें हैं, ये अफवाहें हैं। मैंने ऑफिशियली, ऑथेंटिकली कुछ नहीं बोला है। …(व्यवधान) यह मेडिसिन नहीं है। मैंने एडवाइजरी में पहले इसको डिकलाइन कि या था। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह हमारी पुरानी संस्कृति है। कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: सर, यह संस्कृति है। इसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। ये होते हुए भी आप क्यों पूछते हैं? आप पूछते हैं, इसलिए लोग बता देते हैं।…(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो टेस्ट आर्डर हुए हैं, अभी हर 10 लाख व्यक्ति पर हिन्दुस्तान में मात्र 9.2 परसेंट टेस्ट हो रहे हैं, जबकि यह बीमारी क्लसटर्स में फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ट्रेन से दिल्ली से कर्नाटक गया और कनार्टक में उसका टेस्ट पॉजिटिव हुआ कि उसको कोरोना वायरस है। जो लोग उसके साथ ट्रेन में थे, उनको ट्रैस किया जा रहा है। मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि मात्र 9.2 परसेंट टेस्ट क्यों हो रहे हैं? इस टेस्ट की तादाद को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? एक आम आदमी टेस्ट कैसे करा पाएगा, यदि वह बाहर नहीं गया हो, उसको शक हो कि उसको कोरोना वायरस है?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आयुर्वेद में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, एलोपैथी में टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I would love to inform the hon. Member and the other Members of the House that there is a very well defined protocol and scientific advice about who needs to be tested. This is as per the advice of the scientific experts. If somebody has symptoms and a travel history then all the contacts are traced. We have informed you earlier also that we are doing a very detailed contact tracing.

Right now, the infection in this country is getting transmitted from one person to another. It has not yet spread into the community. Even for community, the ICMR separately is doing tests by picking up people from the community to see whether there is any evidence of transmission in the community. So, I can say with perfect and utmost confidence and authenticity

that whatever tests we are doing -- and on whom -- are with perfect scientific advice. No one, in this House, should have any doubts about that.

SHRI MANISH TEWARI : Hon. Speaker, Sir, I have the highest respect for the hon. Health Minister and with the fullest sense of responsibility, I would like to specifically ask him that there are a number of theories which are doing the rounds with regard to the origin of Corona Virus. Day before yesterday, even the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, had referred to certain attributes of the Corona Virus and alluded to a particular country with regard to its origin.

We are all aware that the World Health Organisation (WHO) is not being given access to Wuhan in order to investigate the origins of the Corona Virus. My submission to the hon. Health Minister, through you, is, would the Government of India talk to the World Health Organisation, talk to other friendly nations in order to ensure that the origin of Corona Virus is investigated thoroughly so that we can be re-assured that this is a naturally occurring virus and it has not originated as a result of a certain scientific experiment or a series of scientific experiments which may have gone astray? That is my question to the hon. Health Minister and I say it with the fullest sense of responsibility.

DR. HARSH VARDHAN: Hon. Speaker, Sir, let me inform the House that firstly we are in regular contact with the World Health Organisation. We are in touch with the Regional Director of WHO for South East Asia region and also with the Director-General of WHO in Geneva.

As per our information, I do not think there is any need for any apprehension. A lot of things are making the rounds in Whatsapp and all. At the moment, as per our conversations with the WHO, there is neither any authenticity nor any substance in those reports. We should be assured about it. We are focussing on our country right now. Whatever research is needed, whatever research is being done all over the world and in ICMR, we are doing those research activities. We are in touch with all the scientists all over the world.

Sir, regarding the reports about the origin it is being investigated. Every time a new virus comes, it gets mutated and a new virus comes. China reported the first case in their country to whole world on 30th of December when they said that they have noticed some cases of Pneumonia which have an unknown aetiology and they were not able to pinpoint the actual cause of that. On 7th January, 2020 they reported to the World Health Organisation that they have been able to establish that this is probably a new Corona Virus. They have been informing and accordingly, I would like to inform the House, we have been the first country in the world, that on the 8th of January we had a Technical Expert Group meeting in our Ministry. We started working on that. From 17th of January we started screening in the airport. I have already shared that information to the House. I can assure this House that we are in touch with everything that is going on in the research front about this and we are trying to use every good information for the best use of our countrymen.

(Q. 383)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: Sir, I have gone through the reply given by the hon. Minister. I would like to make a submission before the hon. Minister through you and it is not exactly in the form of a question.

Sir, I represent the Narsapuram Parliamentary constituency where 1.5 lakh people, especially women, are dependent on the lace industry which comes under the control of the Ministry of Textiles.

Here, I am glad that the hon. Minister for Textiles and Women & Child Development is a woman. Predominantly, 99 per cent of the people who are dependent on that industry are also women. Sir, through you, I would like to make a few submissions. At Machilipatnam where Kalamkari industry is there, the Ministry has considered a common facility centre. Geo-tagging has also been allowedin that place, where thousands of people are working. While I appreciate the hon. Minister for her initiative to sanction that, I would request the hon. Minister to give a similar common facility centre, wherein the Andhra Pradesh Government would be keen to give the requisite land. It being a good industry, …..

माननीयअध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रघु राम कृष्ण राजू : संक्षिप्त-संक्षिप्त। Out of two people, I am asking three small questions in one format. We also request to depute NIFT officers at an appropriate time to give the training. Andhra Pradesh being the pioneer in utilizing the hon. Prime Minister's facility for skill development, we are making

all the efforts and we require the support of the hon. Minister with regard to geo-tagging and a common facility centre.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, as I rise today to answer this question, please allow me, through you, and to you, to wish the entire House and the nation, Navroz Mubarak. The Zoroastrian Parsi community in the country and around the world is celebrating a New Year, and I am hoping that we can unite together to pray for better health of all our citizens and their safety and security.

Sir, as the hon. Member has highlighted the opportunities in his constituency, I will align myself to the efforts that he is making. I would like to highlight, through you, the fact that not only is the Handloom Department working in his constituency, but also the Export Promotion Council with regards to handicrafts is already giving training to various women's groups in the constituency. Since I said, the Parsis are celebrating a new hope today, the hope that the hon. Member, though you, has brought to my notice is a hope that I shall support, the common facility centre.

श्री नामा नागेश्वर राव : अध्यक्षजी, आपका धन्यवाद। पूरे देश में हैंडलूमवीवर्स के लिए काफी चेंजेज लाने की जरूरत है।देश में फार्मर्स के बाद हैंडलूम सैक्टर के लोग सफर कर रहे हैं । मंत्री जी ने भी उत्तर देते समय बताया कि हैंडलूम सैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए चार प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाए हैं । इसमें नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट, कम्प्रेसिव कलस्टर्स, हैंडलूमवीवर्स और यार्न सप्लाई हैं। इन पर डिटेल में बात करने में ज्यादा समय लगेगा। माननीय मंत्री जी, आप हाउस के अंदर और हाउस के बाहर बहुत डायनेमिक हैं, लेकिन यहां एलोकेशन की बात देखना जरूरी है। वर्ष 2016-17 में 505 करोड़ रुपये का एलोकेशन था, लेकिन पिछले साल

आपने केवल 304 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जब तक आपका एलोकेशन नहीं बढ़ेगा और यह सैक्टर ज्यादा पैसा स्पैंड नहीं करेगा, तब तक इस सैक्टर का भला नहीं हो सकता है । हैंडलूम वीवर्स बहुत दिक्कत में हैं, इसलिए आपको एलोकेशन को बढ़ाने के लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस साल तो आपने एलोकेशन दिखाया है, लेकिन पिछले तीन सालों में एलोकेशन बहुत कम है और स्पैंड भी बहुत कम किया गया है।

अध्यक्ष जी, इसी तरह से हैंडलूम सैक्टर को जीएसटी से छूट देनी चाहिए। जो लोग पॉवर के लिए हैंडलूम सैक्टर पर डिपेंड हैं, उन लोगों को फ्री में पॉवर देनी चाहिए। उसके लिए मंत्री जी को जरूर एक्शन लेना चाहिए और परफेक्ट रिप्लाई मंत्री जी देंगी, हमें ऐसी उम्मीद है।

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Thank you, Sir. The kindness of the hon. Member of Parliament with regards to my capacity is something I cannot return, but I am grateful for his confidence. I will only say this that the hon. Prime Minister has always espoused the cause of inter-Ministerial efforts to better the lives of the people. While the hon. Member here has spoken कि वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक की वित्तीय हालत और स्पैंड के संदर्भ में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उसके लिए मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूंगी कि वीवर्स के संदर्भ में प्रदेश की सरकारें हमें प्रपोजल्स भेजती हैं।

उसके आधार पर हम लोग खर्च करते हैं लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुद्रा योजना की शुरूआत देश में की थी और देश में वर्ष 2017 से लेकर जनवरी 31 तक 616 करोड़ रुपये मात्र वीवर्स को दिए है। वह मेरे विभाग का विषय नहीं है, किंतु हमने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और बैंक्स के साथ समन्वय में एक योजना बनाई कि हम उन वीवर्स के पास उन क्लस्टर्स में जाएंगे जो बड़े शहरों में नहीं आ सकते। हमने ऐसे 350 कैम्पस लगाए और मात्र दो साल में वीवर्स को मुद्रा योजना के माध्यम से 616 करोड़ रुपए दिलाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को

यह कहना चाहूंगी कि भारत सरकार वीवर्स की चिंता मात्र मेरे मंत्रालय के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से भी करती है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों को सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने के लिए एलाऊ कर रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि जिन माननीय सदस्यों ने चार-चार बार एक सत्र में सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लिया है, उनकी जगह जिन माननीय सदस्य ने एक भी बार सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछा है, उनको एलाउ करना उचित रहेगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सोमवार को प्रश्न है और सोमवार को चूंकि प्रश्नकाल नहीं होगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं,…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न कर सकते हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। यह आपका अधिकार है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो भागलपुरी सिल्क है, वह भागलपुरी सिल्क सचमुच में हमारे क्षेत्र गोड्डा में बनता है और भगइया उसकी एक जगह है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011-12 में मेगा हैंडलूम क्लस्टर के नाम पर, पांच मेगा हैंडलूम क्लस्टर्स, जो पूरे देश में हुए, उसमें गोड्डा और उसके आसपास के जिलों के लिए मेगा हैंडलूम क्लस्टर्स दिए। लेकिन 7-8 साल हो जाने के बाद भी, चूंकि भारत सरकार ने तो पैसा दिया, लेकिन राज्य सरकार ने झार क्राफ्ट जैसी एजेंसी दे दी जो राज्य सरकार के अंडर नुकसान में है। उस कारण से गोड्डा और उसके आसपास के जिलों का जो विकास होना चाहिए और भागलपुरी सिल्क के नाम पर जो गोड्डा का सिल्क आगे बढ़ना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि गोड्डा मेगॉ हैंडलूम क्लस्टर की स्थिति कैसी है और वह प्रोजेक्ट कब तक भारत सरकार पूरा करेगी?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने अवगत कराया कि प्रदेश की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भारत सरकार के प्रकल्प चलते हैं। यह पहली बार नहीं है कि

आदरणीय सांसद ने चिंता व्यक्त की है। मैं उनको मात्र यही आश्वासन दे सकती हूं कि यह अपेक्षा हम केवल हैंडलूम से करते हैं, लेकिन सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड और हैंडलूम के जो हमारे अधिकारी हैं, वे विशेष गोड्डा के संदर्भ में, माननीय सांसद के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि टीआरएस के एक वरिष्ठ सांसद ने भी जीएसटी के संदर्भ में एक प्रश्न किया था। इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि 20 लाख से कम का जो एग्जेम्पशन है, वह आउट ऑफ जीएसटी है, लेकिन जो हमारे वीवर्स और क्राफ्ट पर्सन्स हैं, साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगी कि प्रदेश की सरकारों के साथ, चाहे फिर सिल्क हो या हैंड क्राफ्ट हो या हैंडलूम हो, उनके साथ जिला स्तर पर समन्वय करते हैं कि आप हमें अपनी स्थानीय परेशानियां बताइए। मेरा आग्रह है और मैंने आपके आशीर्वाद से आग्रह किया था और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी आग्रह करना चाहूंगी कि दिशा की मीटिंग सभी सांसद करते हैं। अगर आप विषयों को मेरे सम्मुख दिशा के माध्यम से भी ला सकें तो मुझे लगता है कि हमारे हैंडलूम वीवर्स को आपके माध्यम से बहुत बल मिलेगा।

श्री गौरव गोगोई : माननीय अध्यक्ष जी, ये जो विभिन्न स्कीम्स हैं, ज्यादातर ये प्रोडक्शन साइट को लेकर हैं। ये ट्रेनिंग देते हैं, सब्सिडाइज्ड रॉ मैटीरियल देते हैं, बैंक लोन भी देते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आपने प्रोडक्शन पर अपनी विभिन्न स्कीम्स निकाली हैं, पर डिमांड साइड पर मार्केटिंग लिंकेज पर, मार्केट फैसिलिटेशन पर आपने क्या स्कीम्स निकाली हैं क्योंकि उत्तर पूर्वान्चल हमारे देश का एक ऐसा इलाका है जहां पर मार्केट कम है और वहां पर बहुत सी अच्छी सिल्क-एरी, मुगा और गामुसा इत्यादि का उत्पादन होता है। लेकि न जिस प्रकार से चीन के बॉर्डर से जो इम्पोर्ट आ रहा है, वह सारे उत्तर पूर्वान्चल की हैंडलूम इंडस्ट्री को खत्म कर रहा है । इसलिए मार्केट फैसिलिटेशन में आपकी सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद और सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने अगस्त 2015 में इंडिया हैंडलूम ब्रान्ड को देश में स्थापित किया था।

तत्पश्चात्, 180 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के माध्यम से 1,300 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। इसकी वजह से देश में 103 ऐसे रिटेल ब्रांड्स और शॉप्स हैं, जो हमारे वीवर्स के साथ डायरेक्टली परचेज़िंग करते हैं और उनके लिए डिमांड क्रिएशन की बात, जो माननीय सांसद कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं।

महोदय, 25 रिटेल स्टोर्स हैं, जो इस विशेष सहयोग की वजह से मात्र और मात्र हैण्डलूम वीवर्स के लिए खोले गए। 23 ई-कॉमर्स साइट्स हैं, जो ई-मार्केटिंग में हमारे सभी वीवर्स की मदद करती हैं। हमने अब तक अपने वीवर्स के लिए लगभग 600 नैशनली और इंटरनैशनली मार्केटिंग ईवेंट्स का आयोजन किया है। हम आगामी 23 मार्च को जेम के सीईओ के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास हैंडलूम वीवर्स का जो प्री-वैरिफाइड सेंसस डेटा उपलब्ध है, हम उसे जेम पोर्टल के साथ समन्वय में सम्मिलित करेंगे, ताकि जो काम मिले, वह डायरेक्टली वीवर को मिले, बीच के किसी मिडिलमैन को न मिले और उससे सारी की सारी जो लाभ की उपलब्धि हो, वह सिर्फ वीवर्स के लिए हो।

(Q. 384 and 400)

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE : Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

Under the Fellowship Scheme of AYUSH, the Government has been providing financial assistance to the eligible foreign nationals for undertaking various undergraduate and post-graduate courses in AYUSH systems of medicine, including yoga in AYUSH institutions, in India. I would like to know from the hon. Minister as to what steps are taken or proposed to be taken by the Government to provide financial assistance to facilitate eligible youth of our country to undertake such courses in other countries.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्कीम बताई है, कम से कम 90 देशों से स्टूडेंट्स यहां आते हैं। आयुष पैथी में अलग-अलग पैथियां हैं, जिनमें हम स्कॉलपशिप देते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे स्टूडेंट्स भी बाहर जाते हैं, लेकिन हमारे यहां वह स्कीम अभी नहीं बनी है। हम इसके ऊपर विचार करेंगे।

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE : Sir, the Government has set up information cells in various countries to disseminate authentic information about AYUSH systems of medicine. I would like to know from the hon. Minister as to how many information cells have been set up by the Government in our country, particularly in Mumbai, and backward regions of Maharashtra.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, प्रचार और प्रसार के लिए हमने 31 कंट्रीज़ में इस तरह के इन्फॉर्मेशन सेल्स बनाए हुए हैं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय पूरे देश में आयुष पैथी की योगा या नैचुरल पैथी के लिए स्कीम्स द्वारा प्रचार प्रसार करता है। ऐसा कोई खास सेल इस देश में

नहीं है। हम तरह-तरह की स्कीम्स द्वारा योगा, नैचुरल पैथी, आयुष और बाकी पैथियों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर – 400 को भी इस प्रश्न के साथ क्लब कर देते हैं।

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती – उपस्थित नहीं।

ADV. A.M. ARIFF : Sir, yesterday, while discussing the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020, all the Members who had participated in it, accepted the prominent problem of Kerala in Ayurvedic treatment and its tradition. All the Members from Kerala, including the Members from other states agreed for setting up a Central Ayurveda Research Institute in Kerala. Yesterday, I got the details from the State Government of Kerala regarding the demand for setting up a Central Ayurveda Research Institute in Kerala. I have got the information that the Government have offered 100 acres of land at Kurnool for setting up of this Research Institute. Though, while replying, the hon. Minister had given the assurance for setting up a Ayurveda Research Institute in Kerala, I would again want a solid assurance for setting up this Research Institute, without delay. Will the Government consider the request for setting up Ayurveda Research Institute in Kurnool at the earliest?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रिसर्च सेंटर्स के बारे में प्रश्न पूछा है। हमने उसके लिए एक बार एश्योर किया है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी उस पर कार्यवाही करेंगे।

(Q. 385)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Mr. Speaker, Sir, India is situated in the highest collision zone in terms of movement of tectonic plates because India is in the midst of movement of two tectonic plates, namely, Indian and Eurasian and the movement has been progressing at less than four cms. per year. However, we are situated in the highest collision zone in the world. I would like to know whether it is true that 54 per cent geographical area of India is highly vulnerable to earthquakes and whether it is true that 34 Indian cities are on highly vulnerable zone in so far as earthquake is concerned. We have already experienced a number of big earthquakes in our country from Latur to Sikkim, including Bhuj and we have faced devastating consequences. But in Part (b) of the reply, the Minister said that the Ministry of Earth Sciences is not directly involved in the programme related to creation of awareness about earthquake-resistant buildings. While 34 Indian cities and 54 per cent geographical area of our country belong to a highly vulnerable zone in so far as earthquake is concerned, the Minister cannot skirt the responsibility of his Ministry; other Ministries have been referred to in the reply. I would like to know from the hon. Minister whether his Ministry is coordinating with other Ministries so as to reduce the impact of earthquakes because your Ministry has to have a monitoring system with regard to earthquakes in our country.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I have to inform the hon. Member that firstly our Ministry is a scientific Ministry; it does all sorts of research. Right now, as you know, we cannot predict the earthquake. But I want to give a small example

about the level of research that we are doing about earthquakes in this country. We are, probably, the only country in the world where we are doing this type of research. There is a place in Maharashtra which is called Koyna which, I think, had been represented by the former Chief Minister, Prithviraj Chauhanji. We have done the latest research, because this place was experiencing earthquakes continuously for the last 50 years. We have gone down into the rocks; we have drilled three kms. into the earth and have put sensors at various places and are recording 24-hour observations about what is happening and then analysing it in terms of science. Similarly, all facets of scientific research about earthquakes is going on.

As you know, tsunami is also another form of earthquake which happens within the sea itself. We, unfortunately, were caught unaware in 2004 when we had a devastating Tsunami in the South. Today, when I talk to you in 2020, you will feel happy to know that our Early Tsunami Warning Systems are rated as number one in the whole world.

It is not only for India that we are actually giving early tsunami warnings, but it is for all the countries around the ocean rim. It is India, which actually warns them about these tsunami warnings. I have mentioned here regarding best that you can do. Neither you can stop an earthquake from coming as it is not under your control nor you can diagnose it. But in tsunami, within 10 minutes we can inform everybody.

If I talk to you about the recent ones, there was cyclone Titli that we had in 2018 in Bay of Bengal between 8th and 13th October. Then, Cyclone Luban

occurred in the Arabian Sea. There was cyclone Fani, which occurred on 3rd May, 2019 in Odisha. The way we managed it was excellent. We literally predicted it almost 10 to 12 days earlier, and there was an official applaud by the United Nations as to how we could save things. You see, we have a zero casualty policy for disasters around this.

Then, recently, cyclone Maha happened in the Arabian Sea on 13th October and cyclone Bulbul happened in Bay of Bengal. What I am trying to emphasise is that on issues related to cyclone predictions in the sea, earthquakes and tsunamis, we are now rated as the best in the whole world. What you can do is that firstly, all the related agencies have to guide people and tell them to make earthquake-resistant buildings now; and for places, which are prone to have earthquakes, there are already buildings and there, we can actually have retrofitting and all those things.

So, I have mentioned in my answer itself that the organisations like Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC), National Disaster Management Authority (NDMA), National Institute of Disaster Management (NIDM), Central Building Research Institute (CBRI), etc., are involved, and are conducting training programmes for architects, masons and practicing engineers. Bureau of Indian Standards (BIS) has published criteria for construction of earthquake resistant structures. Additionally, NDMA has published guidelines for Seismic Retrofitting of buildings and structures in India to address the structural deficiency of the house/residential buildings, and structures from the impending future earthquakes.

So, I want to assure this House that whatever is technically, scientifically and practically possible by anyone, all across the world, and I can claim it that probably, we are doing the best in the whole world.

(Q. 386)

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL :` Hon. Speaker, Sir, my specific question to the hon. Minister was: whether the Government proposes a single regulator to oversee the functioning of the three regulators of Food, Drugs and Medical Devices; and the answer that has been given by the hon. Minister is that 'there is no such proposal.'

Hon. Minister, Sir, is it not a fact that your think tank, the NITI Aayog has proposed to the Government that there needs to be a single regulator as far as drugs, foods and medical equipments are concerned? The fact is that today, in India, food safety is governed by a body, which is, the Food Safety and Standards Authority of India, medicines are controlled by the Central Drugs Standards and Control Organisation, while drugs are controlled by the Drugs Control Authority of India.

Hon. Minister, Sir, unlike the USA where USFDA is the most powerful body, the FDA in India seems to be toothless, or at least, they are not performing the way they should be with food adulteration, with milk adulteration, with other types of medicine manufacturing and illegal sale of drugs. All these are all being governed by different bodies. Do you not think that it is high time to make these bodies more powerful? Food, medicines and medical equipments, are all interlinked. Does the Government plan, at least, to make these bodies have more powers?

DR. HARSH VARDHAN: Let me inform the hon. Member that what we are doing is as per all international regulations and practices that are being

adopted; and I will name the countries also. Right now, we have two bodies. One is for regulation of food for which FSSAI is there. Under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, we are regulating drugs as well medical devices under this Act. Let me tell the hon. Member that in America all these three are regulated by one body.

There is a similar mechanism where internationally foods and drugs are regulated separately. A similar mechanism is being adopted in countries like Japan, Australia, Canada, European Union, UK, Russia, South Africa and Brazil. It is only in USA that there is a single authority. Even here, we have a separate authority for food and drugs. Under the Drugs and Cosmetics Act also, there is a separate vertical for regulation of medical devices and drugs. The rules and regulations for regulating the medical devices are exactly separate. There is no confusion about it. We have already sanctioned more than 750 posts for regulating the devices. Whatever we are doing is in perfect, I would say, collaboration with the related people. We have notified and given time to the stakeholders after having discussion with them where within 16 months they can register. So, it is being done with, I would say, the suggestion and advice from all related experts and stakeholders.

श्री सैयद इम्तियाज़ जलील : मंत्री जी मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर गुटखा और पान मसाला एक बहुत बड़ी समस्या है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं देती है, ताकि पूरी तरह से हर जगह इसके ऊपर बैन लगाया जाए। हो यह रहा है, कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर किसी गुटखा गोडाउन के ऊपर या गुटखे के ऊपर रेड करनी है तो वह

एफडीए करेगा। हर राज्य के अंदर यह समस्या है कि एफडीए के पास वहाँ पर मैन पावर नहीं है और उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहाँ जाकर वे गुटखे के ऊपर रेड कर सकते हैं।

सर, दूध का अडल्टरेशन एक बहुत गंभीर समस्या है और हर राज्य इसको फेस कर रहा है। पुलिस कहती है कि हमारे पास ये पावर्स नहीं हैं और चूंकि इन्हें माफिया रन करता है, पूरे देश के अंदर इसे माफिया रन कर रहा है, तो एफडीए के पास ये पावर्स नहीं हैं। क्या आप अदालत के अंदर जाकर यह कहेंगे कि नहीं, एफडीए भी कर सकता है और एफडीए को किस तरह की ताकत आप दे रहे हैं कि वह इस गुटखे के ऊपर रेड मार सके या दूध का जो अडल्टरेशन हो रहा है, उसके ऊपर रोक लगा सकें।

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदय, मुझे इस संदर्भ में माननीय सदस्य को दो बातें सूचित करनी हैं। एक तो फूड और ड्रग्स के संदर्भ में लेबोरेटरी, इक्विपमेंट या मैन पावर का डेवलपमेंट करना भारत सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। आपने पिछले एक-दो सालों के बजट भाषण भी सुने होंगे और अभी बहुत सारी स्टेट ऑफ दी आर्ट इस तरह की लैब्स हमने बनाई हैं, अभी पिछले साल ही मैंने यहाँ नोएडा में नेशनल लैब इनोगरेट की थी। लगभग 500 करोड़ रुपया इसी काम के लिए रखा गया है और इसको सारे देश में बड़े पैमाने पर स्ट्रेंग्थेन किया जा रहा है।

दूसरा इश्यू आपने टोबैको और दूध के बारे में कहा है। आज दुनिया में जिस प्रकार से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पर सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसे ही टोबैको के खिलाफ या टोबैको रिलेटिड प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो 'एफसीटीसी' है, जो 'फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल' है, इसके 'ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन' के नेतृत्व में सारी दुनिया के लगभग हर देश ने दस्तखत किए हुए हैं। उसमें एक वैल डिफाइंड सैट प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं और उसको फॉलो करने में भारत सारी दुनिया के अंदर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमारी जो वार्निंग्स हैं, 85 परसेंट से ज्यादा हम लोग वार्निंग्स देते हैं। आप जानते हैं कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, इवेन जो यहाँ पर भी आप कानून पास करते हैं इसको भी आगे स्टेट्स को इम्प्लिमेंट करना होता है। कई स्टेट्स

इस काम को बहुत एग्रेसिवली बहुत मैथेडोलजिकली कर रहे हैं, कई जगह हो सकता है कि अपेक्षा के हिसाब से थोड़ी सी कमी हो।

मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपनी-अपनी स्टेट गवर्नमेंट से इस विषय पर, क्योंकि यह विषय ऐसा है जो सीधे-सीधे लाखों लोगों के प्राण लेता है और इस विषय पर जितना भी किया जाए, वह कम है। इसको कानून से ज्यादा एक बड़े जन-आन्दोलन के रूप में विकसित करने की जरुरत है और मैं समझता हूँ कि उसमें आप सबके रोल का बहुत ज्यादा महत्व है।

(Q. 387)

SHRI P. C. GADDIGOUDAR : Sir, hon. Minister has given full details regarding the textile production for the last three years. The Indian textile industry is facing lot of problems like shortage of power, low productivity of labour, competition in foreign market and thereby the progress of our country is hampering.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what are the steps that are taken to address these genuine concerns of the textile sector.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would like to tell the hon. Member that we are in constant communication, if not every week or every day but every month, with not only the main national industry bodies but also clusters across the country with regard to the challenges that they face.

I would like to highlight that the recent Budget announcements made by the Finance Minister on the floor of the House include the first ever National Technical Textiles Mission which will help us expedite our opportunities in the sector not only from the domestic need perspective but also with regard to our export potential.

There is one other announcement made by the hon. Finance Minister on the floor of the House is about removing anti-dumping on PTA which is an essential commodity needed for increasing the manufacturing capacity of the man-made industry thereby giving us more opportunities in the apparel sector.

Apart from that, we have ensured that with regard to other components of the textile industry which includes even elements like carpet production, we

converge our efforts with the Export Promotion Councils and the Ministry of Commerce and Finance to ensure that challenges, as I have said before, are met with the full capacity of the Government.

SHRI P. C. GADDIGOUDAR : My second supplementary is with regard to export. The Ministry has set a target for doubling textile exports in the next ten years. I would like to know from the hon. Minister the plan of action initiated by the Government to achieve the target fixed by the Ministry.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: One of our biggest challenges has been that when we took office in 2014, we found that close to 60-70 per cent of our funds from the Ministry of Textiles was actually surrendered for non-use and we in the Government under the leadership of the hon. Prime Minister ensured that there is a hundred per cent spend in collaboration with the State Governments.

I have also ensured that textile parks that were announced in the last decade have been something that we take up with each and every State Government including, as the Question before this had highlighted our efforts in the handloom/handicraft businesses.

I would also like to, through you Sir, tell the hon. Member that there was a scheme brought about for upgradation of technology and this Government gave a Rs. 17,000 crore plus initiative for upgradation of technology and we studied how industries received money and we found that 80 percent of MSME did not receive that much money support from the textile commissioner's

officer. Under this Government, we made sure that not big companies but SMEs get adequate technology support from the Government.

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया का अभिनन्दन करूंगा कि उन्होंने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और रेवेन्यू की जो डिटेल्स दी है, उसमें ये बढ़ रहे हैं।

सर, मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूं। वह सबसे ज्यादा फाइबर, फैब्रिक यार्न प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है और जो जवाब दिया गया है, उसमें भी ये बातें आई हैं। मैं स्पेसिफिक क्वैश्चन पूछूंगा कि एफ.डी.आई. बढ़ाने के लिए क्या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा एक हजार हेक्टेयर से ऊपर की लैंड में कुछ मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का कोई प्लान है? अगर ऐसा है तो फिर महाराष्ट्र स्टेट की क्या स्टेटस है?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I can only say this.Since we are in the planning stage, we have reached out to every State Government and requested that they join efforts with the Government of India with regard to mega textile parks. Since we are in the process of negotiations with various State Governments to help the textile industry, I can only say this. My communication has been received by the Government of Maharashtra.

SHRI G. SELVAM : I want to know whether the Deendayal Handloom Promotion Scheme is being implemented effectively in Tamil Nadu and specifically in Kancheepuram to help the handloom weavers.

I would also like to know the number of beneficiaries under the scheme from the State of Tamil Nadu.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I will only say this much that the hon. Member would be delighted to know that 60 per cent of the grants which come

out of the textile commissioner's office in terms of subsidies are actually taken by our industries in Tamil Nadu. In fact, given the performance of Tamil Nadu, we have had to appeal to other States to speed up the development work in the field of textiles.

I can also tell the hon. Member, through you, Sir, that details specific to handloom weavers in Kancheepuram are something that I will procure for him, from the office of the Development Commissioner of Handloom. However, our efforts are not limited. Through the office of the Development Commissioner of Handloom, in totality, in conjuction with the Government of Tamil Nadu, we are working to increase capacities and export potentials of our weavers.

———————

12.01 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER
Commencement of sitting of the House

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि 19 मार्च को मेरी सभी दलों के नेताओं से चर्चा हुई थी। कई माननीय सदस्यों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया था कि हवाई उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण हम सोमवार को सुबह 11 बजे तक नहीं पहुँच पाएंगे। माननीय सदस्यों के आग्रह पर सभा सोमवार को दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी और उस समय प्रश्न काल का भी स्थगन किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगरअगले सोमवार को उसके अगले सोमवार के लिए रिक्वेस्ट होगी तो हम मानेंगे। अभी यह इस सोमवार के लिए है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह हर बार नहीं होगा। यह तो मैंने आपके रिक्वेस्ट करने पर माना है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आपका ऐडजर्न्मेन्ट मोशन क्या है?

12.03 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Reported increase in prices of essential commodities

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, कोरोना वायरस पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो बात रखी है, उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर हमें मौका दिया जाए तो अपनी पार्टी की तरफ से मैं कुछ सुझाव देना चाहता हैं। ...(व्यवधान) कोरोना वायरस के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और प्रधान मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, हम सब उनके साथ हैं।...(व्यवधान) हम उनके साथ हैं, लेकिन हमें कुछ बोलने के लिए मौका दीजिए।

सर, प्रधान मंत्री जी के भाषण के उपरांत सारे हिन्दुस्तान में, खास कर बड़े-बड़े सिटीज़ में काफी हद तक महँगाई बढ़ चुकी है। बाजार में हर सामग्री की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। उसमें काफी इजाफा हो रहा है। बहुत सारी चीजें गायब हो गई हैं। सारी खाद्य सामाग्री नदारद हो गई है।...(व्यवधान) बाजार में मास्क नहीं मिलता है। अभी सभी बाजार जमाखोरों और बिचौलियों के हाथ में जाने की हालत पैदा हो गई है। इसी हालत में जब प्रधान मंत्री जी कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हम उनका साथ देते हुए कुछ सुझाव देते हैं।...(व्यवधान) सरकार यह सुझाव मान ले। Therefore, the Government must declare financial package that will include compensation for wage losses of employees who earn daily wages such as taxi and auto drivers, agricultural labourers, construction workers, security guards, watchmen, domestic helps, street food vendors, cart pullers and others. This is my first point. The Government must also take the following steps;-

(1) Compensation for small and medium businesses who lose their earnings.

(2) Provision of rations, including rice, wheat and other essential items for APL and BPL categories.

(3) Moratorium on loans of all nature till such time when repayment can be made.

(4) Payment of wages under the MGNREGA for the next three months in advance.

(5) Specific sums to be paid for the BPL Antyodaya categories who are not included in any welfare pension schemes, and

(6) Suspension of taxes and levies and utility bills for two months, April and May, with no fines levied. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपका ऐडजर्न्मेन्ट मोशन नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, from day one, the Government of India, under the leadership of hon. Prime Minister, has taken many steps. हमने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। सारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसके कम्पैरिज़न में हमने स्टेप्स तो अच्छे लिए हैं। कल प्रधान मंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, उन्होंने कुछ कॉल कि या है। मैं इतना ही कहता हूँ कि हम सभी मिलकर इसके लिए काम करेंगे।

We have to honour it in the overall interest of our country and countrymen in such an hour of crisis. *....(Interruptions)* मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि एसेन्शियल कमोडिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ऐसा बोलकर पैनिक बढ़ाना ठीक नहीं है । …(व्यवधान) Creating the panic and pressing the panic button is not at all good. *....(Interruptions)* This is a national and international crisis. *....(Interruptions)* हम सबको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और लोगों का भला करना पड़ेगा । मैं निवेदन करता हूं, …(व्यवधान) आप बात करने दो । …(व्यवधान) लेकिन मार्किट में यह नहीं मिल रहा है, वह नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है । सब कुछ मिल रहा है ।…(व्यवधान) जब किसी चीज़ की भी स्केयरसिटी नहीं है, फिर ऐसा कहना ठीक नहीं है । …(व्यवधान) इस समय पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है । मैं इसे पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं । मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि क्राइसिस से कैसे निपटें । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मेरे कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर की घोषणा के बाद बाजार में आग लग गई ।…(व्यवधान) सरकार ध्यान दे ।…(व्यवधान)

———————

12.06 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O.4579(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 20th December, 2019, reconstituting official member in the National Jute Board issued under sub-section 4(b) of Section 3 of the National Jute Board Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 2376/17/20]

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2377/17/20]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2378/17/20]

(3) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2018-19 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविालय), लखनऊ।

[Placed in Library, See No. LT 2379/17/20]

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सामान्य और अनुप्रयुक्त भूगोल विभाग, डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविालय), सागर।

[Placed in Library, See No. LT 2380/17/20]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (दि गांधीग्राम इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट), गांधीग्राम।

[Placed in Library, See No. LT 2381/17/20]

(चार**)** जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र **(**उत्कल विश्वविद्यालय**),** भुवनेश्वर।

(4) उपर्युक्त जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(5) उपर्युक्त **(3)** में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

[Placed in Library, See No. LT 2382/17/20]

12.07 hrs

(At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other Hon. Members left the House.)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI BABUL SUPRIYO): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2383/17/20]

(3) A copy of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.4724(E) in Gazette of India dated 31st December, 2019 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 2384/17/20]

12.07 ½ hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2020 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th March, 2020."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the National Commission for Homoeopathy Bill, 2020 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 18th March, 2020."

2. Sir, I lay on the Table the National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2020 and the National Commission for Homoeopathy Bill, 2020, as passed by Rajya Sabha on the 18th March, 2020."

———

12.08 hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
1st to 8th and 9th to 23rd Reports

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): Sir, I beg to present the First to Eighth Reports (Original) and Ninth to Twenty-third Reports (Action Taken) (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2019-2020).

12.08 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
10th to 12th Reports

COL. (Retd.) RAJYAVARDHAN RATHORE (JAIPUR RURAL): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology (2019-20):-

(1) Tenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fiftieth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Progress of Implementation of BharatNet' of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

(2) Eleventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in their Fifty-ninth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Review of National Digital

Literacy Mission (NDLM) – Problems and Challenges' of the Ministry of Electronics and Information Technology.

(3) Twelfth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Sixtieth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Setting up of Post Bank of India as a payments Bank – scope, objectives and framework' of the Ministry of Communications (Department of Posts).

_____

12.09 hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
6th to 8th Reports

DR. MANOJ RAJORIA (KARAULI-DHOLPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers:-

(1) Sixth Report on 'Demands for Grants 2020-21' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).

(2) Seventh Report on 'Demands for Grants 2020-21' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).

(3) Eighth Report on 'Demands for Grants 2020-21' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

_____

12.10 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):

Hon. Speaker, Sir, with your kind permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 23rd of March, 2020 will consist of :-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's Order Paper which contains (i) Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Central Sanskrit Universities Bill, 2019 as passed by Lok Sabha; (ii) Consideration and passing of the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020; (iii) Consideration and passing of the Major Port Authority Bill, 2020; and (iv) Consideration and passing of the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020.
2. Consideration and passing of the Finance Bill, 2020.
3. Consideration and passing of the Companies (Amendment) Bill, 2020.
4. Consideration and passing of the following Bills as passed by Rajya Sabha:-

   (i) The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019.

(ii) The National Commission for Homoeopathy Bill, 2019.

5. Consideration and passing of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill, 2019 after it is passed by Rajya Sabha.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I would like to draw the attention of the Government regarding the Finance Bill. Last time also, I had raised the same issue.

As per rules and procedure, and conventions and traditions of this House, when the Demands for Grants are fully guillotined and passed by the House, the next very important financial business to be taken up is the Finance Bill. The Finance Bill is listed for several days. It is quite unfortunate to note that the Finance Bill, the very important Bill as far as the Government is concerned and the country as a whole is concerned, is being postponed without any due notice. Yesterday also, it was listed. It was published in the List of Business. We are prepared to participate in the debate, but unfortunately, it is getting postponed to another day. Kindly confirm a day for the Finance Bill because it is so important, but it is being postponed which is against the convention of the House. I would like to draw the attention of the Hon. Speaker towards this.

It is for the Government to say this and not the Opposition side, but even then, I am seeking a confirmed date for passing of the Finance Bill. Please let the Government enlighten the House regarding this issue. …(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I support Mr. N.K. Premachandran's contention. The Finance Bill should be immediately listed. …(*Interruptions*)

———————

12.12 hrs

MOTION RE : 15TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): मैं प्रस्ताव करता हूं-

"कि यह सभा 19 मार्च, 2020 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 मार्च, 2020 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———————

माननीय अध्यक्ष: अब शून्यकाल - अविलम्ब लोक महत्व के मामले।

डॉ. संघमित्रा मौर्या जी।

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं आपका ध्यान सम्राटों के सम्राट अर्थात् चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय राजवंश के महान सम्राट की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

अपने शासनकाल में उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन-जन में अपनी लोकप्रियता हासिल की, सभी प्रकार के विकास सुनिश्चित करवाए तथा युद्ध से बुद्ध की ओर चलने का रास्ता दिखाया । कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। डेढ़ लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। कई माताओं ने अपने बेटे खो दिए, कई महिलाओं ने अपने पति खो दिए, कई नौनिहाल बच्चों ने अपने पिता खो दिए तो कहीं बहुत-सी बहनों ने अपने भाई खो दिए। उस वीभत्स घटना को देखकर सम्राट अशोक का मन दया और करुणा से भर जाता है। उसके बाद वे तय करते हैं कि 'बुद्धम शरणम् गच्छामि' के मार्ग पर चलेंगे। उसी राह पर चलते हुए, उन्होंने निर्णय लिया कि वह अब युद्ध से नहीं बल्कि करुणा, मैत्री, बंधुत्व और भाईचारे के माध्यम से जीतेंगे और अब जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में राज करेंगे। भगवान बुद्ध की शरण में जाकर उनके उपदेशों को पूरे विश्व में भाईचारे का संदेश दिया। यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के विचार और दर्शन उतने ही व्यावहारिक हैं, जितने ढाई हजार वर्ष पूर्व थे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व चैत्य मास शुक्ल अष्टमी पर हुआ था, जिसे आज लोग अंग्रेजी महीने के अनुसार 13 अप्रैल को मनाते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि ऐसे शासक सम्राट अशोक जिन्हें विश्व में प्रथम शासक होने का गौरव प्राप्त हुआ है, मैं ऐसे सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश की मांग करती हूं, जिससे उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जा सके और जन-जन तक उनके गौरवमय इतिहास का संदेश जा सके। आज इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर अखण्ड भारत का निर्माण, उन्हीं की बताई हुई राह पर

चलकर किया है। वे इस देश को पुन: विश्व गुरु भी बनाना चाहते हैं। ऐसा निर्णय निश्चित तौर पर हम सभी का एक कदम आगे बढ़ने की ओर होगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, श्री राहुल कस्वां, डॉ. मनोज राजोरिया और श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. संघमित्रा मौर्याद्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Mr. Speaker, Sir, thank you. The global economy has been shattered due to the spread of COVID-19. The life and livelihood of the people are at stake. Meanwhile the Government of India have hiked the excise duty on petrol and diesel by a steep Rs. 3 per litre. Additionally, road cess has also been increased by Re.1 on these commodities. The Prime Minister's Economic Advisory Council says officially that this will result in a profit of Rs. 3.4 lakh crore to the Government by not passing the benefits of the reduced price to the consumers.

The BJP Government has increased the excise duty on petrol, diesel and LPG a dozen times. I urge the Government to reduce the excise duty immediately. Please withdraw the decision. The petrol and diesel should be brought under the GST. The price of crude oil is at its historical low at 25 dollars per litre. When UPA was in power, oil subsidies worth Rs. 5.73 lakh crore were given.

Since the COVID-19 has already put a heavy burden on the common man, I request the Government to kindly withdraw the hike in excise duty on petrol and diesel.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री हिबी इडन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

***SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI):** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. The Kerala Government has once again started construction of a dam across river Pambar at Pattissery which can hold 2 tmc of water without the permission from the Union Government. The final judgement of the Cauvery River water tribunal came out on 5.2.2007 which allowed Kerala Government to make use of only 3 tmc of water from river Pambar. To store this water Kerala has so many dams; 3 dams across river Thalaiyaar and 3 dams across Chengalaar. In this scenario, since the year 2014 till now Kerala had stopped the dam construction activity. But for the last one month or so, Kerala Government has started the work regarding dam construction with a view to complete it soon. But Kerala Government is continuously engaged in expediting the dam construction activity for the last one month. This dam is being constructed at a cost of Rs 24 Crore with 75 feet high and 440 feet width with a capacity of storing 2 tmc of water.

Tamil Nadu Government has gone to Hon. Supreme Court with a petition of 28.11.2014 to stop the construction of any new dam at Pattissery by the Kerala State Government. This case is pending in the Court. This is done without informing the Cauvery River Water Management Authority and the Tamil Nadu government. Amaravathi dam situated in Udumalpet of Tiruppur

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

district has a storing capacity of 4 tmc of water. If you see the irrigation area of the Amaravathi dam. In the old basin it has an irrigated area of 48500 acres and the new basin with 21500 acres of irrigated land. For the irrigation of old basin it requires 12.66 tmc of water and for the irrigation in the new basin area 4.9 tmc of water is required. Drinking water Schemes require 0.6 tmc and industries of this area may need 0.5 tmc of water. Altogether for one year, 18.64 tmc of water is required. From the year 1996 to the year 2019, leaving some years, there was water scarcity all these years. Therefore I urge upon Union Government to take into consideration the final verdict of the Cauvery River Water Tribunal on 5.2.2007 and a Gazette Notification issued on 19.2.2013, and to immediately ban the construction activity of any new dam activity at Pattissery across Pambar.

माननीय अध्यक्ष: शून्य काल में, जितना आप लिखकर आए हैं, उसे पूरा मत पढ़ा करें । अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में जो आपका मूल सवाल है, उसे सदन में उठाना चाहिए।

श्री दुर्गा दास (डी.डी) उईके ।

श्री दुर्गा दास उईके (बैतूल): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र बैतूल-हरदा-हरसूद में भारी ओलावृष्टि और भीषण वृष्टि की वजह से फसल की तबाही हुई है। प्रदेश की सरकार इस दिशा में ध्यान नहीं दे पा रही है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में ओला वृष्टि से जो क्षति पहुंची है, उसका संज्ञान लेने की वे कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री सी.पी. जोशी को श्री दुर्गा दास (डी.डी) उईके द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Hon. Speaker, Sir, I would urge upon the Government to declare Coronavirus as a national disaster. As Coronavirus is affecting the whole nation, a zero-revenue situation will definitely impact the repayment of loans. I would urge upon the Government to reschedule the loan repayment by small businessmen and individuals at least for three months.

The daily wage earners have been the worst-affected. I would urge upon the Government to pay a minimum of Rs. 2,000 per family from the National Disaster Fund. …(*Interruptions*) GST should be waived-off for all the sectors for the period till the disaster is over.

Essential goods and commodities have become scarce and there have been reports that wholesale markets have been closed. As a result, there is

short supply. Moreover, there has been heavy demand for sanitizers, masks, dettol, etc. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री एच. वसंतकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. सौगत राय जी ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, वसंतकुमार जी के नहीं रुकने से मैं कैसे बोलूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका माइक चालू हो गया है और उनका माइक बन्द हो गया है, अब बोलिए।

12.22 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS-Contd.

(ii) Re: Need to close stock Exchanges in view of rapid fall in Sensex

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have a proposal for the Government. Share trading in this country should be stopped because there is a bloodbath in the share market. The Sensex has closed below 30,000 for the first time in nearly three years. A total of Rs. 44.5 lakh crore of investor wealth has been wiped out in a month. There was some hope that there will be a fiscal stimulus from the Government. But, yesterday, the Prime Minister's speech did not speak of a fiscal stimulus or creation of a fund like Mr. Donald Trump has created $1 trillion fund for meeting the Covid challenge. The banks are particularly falling, and all the banks including HDFC, ICICI bank have fallen. …(*Interruptions*) Even, RIL and TCS have fallen…(*Interruptions*)

My proposal is simple. …(*Interruptions*) Either the Government should announce a fiscal stimulus or let it close down the share market before the Sensex falls further. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, the Prime Minister is continuously taking care of the situation, and a lot of precautions have been taken. I do not want to politicise the issue. I would only like to tell that whatever the hon. Prime Minister has said yesterday is regarding the precautions to be taken, and he has also touched the issue of economy. Hence, an Economic Task Force has been formed. …(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY : A Task Force will not do. …(*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI : Prof. Sougata dada, when you spoke, I sat here and listened to you. …(*Interruptions*)

You are a very senior Member. We have a lot of respect for you. When we speak, at least we should be allowed. That is what we are expecting from you. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अपनी बात कहते रहें।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री प्रहलाद जोशी : महोदय, यह बात ठीक नहीं है कि माननीय सदस्य बीच में बोलें।

अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करता हूं कि यदि किसी सदस्य को कुछ कहना है तो अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन जी सदन में थे, आप उनसे मुलाकात कीजिए। आप उनके द्वारा सरकार

को यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं । हमें इस विषय में पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है और इकोनॉमिक इश्यू में भी प्रधान मंत्री जी ने टॉस्क फोर्स का गठन किया है और टॉस्क फोर्स का उद्देश्य ही यही है कि यदि ऐसा कोई इश्यू आता है तो टॉस्क फोर्स एकदम इंटरवीन करेगा।

श्री अशोक कुमार यादव (मधुबनी): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । हिमालय की गोद से निकलने वाली धौंस नदी का जल प्रदूषित हो चुका है । नेपाल के महेन्द्र नगर स्थित एक निजी एवरेस्ट पेपर द्वारा फैक्टरी का गंदा पानी धौंस नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण बिहार के मधुबनी जिला के मधुवापुर से दरभंगा तक इस नदी के किनारे बसने वाले सैकड़ों गांवों के हजारों किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बंजर हो गई है । नदी के कि नारे बसने वाले किसानों के लिए नदी का पानी अभिशाप बन गया है। कभी इस नदी के पानी का उपयोग नदी के कि नारे बसे ग्रामीणों द्वारा पीने के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, नहाने के लिए तथा मवेशियों को पिलाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब यह पानी जहर बन चुका है। नदी के प्रदूषित जल के उपयोग के कारण फोड़ा, फुंसी, सफेद दाग तथा कई तरह के चर्म रोग से लोग पीड़ित हो रहे हैं । आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि नेपाल सरकार से वार्ता करके इस नदी में गंदा पानी छोड़ने से रोका जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री अशोक कुमार यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): अध्यक्ष जी, रेलवे लाइन देश की लाइफ लाइन होती है और पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज है, जिसकी आबादी लगभग 26 लाख है। यहां 'थावे' एक ऐतिहासिक मंदिर है, जो पर्यटन के रूप में भी विकसित है। इस मंदिर एवं जिले के निवासियों के लिए थावे, गोपालगंज जंक्शन है, जहां बड़ी लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। मेरे संसदीय क्षेत्र थावे, गोपालगंज से कोई भी ट्रेन महानगरों के लिए नहीं है। मेरे

संसदीय क्षेत्र के निवासियों को 120 कि लोमीटर की दूरी तय करके गोरखपुर से या दूसरे जिलों में जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जिले में विदेशी मुद्रा का आगमन बिहार में लगभग सबसे ज्यादा है एवं ट्रेन के लिए कमर्शियल फीजीबिलटी भी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि 12555 और 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस एवं 12571 और 12572 हमसफर एक्सप्रेस को गोरखपुर से गोपालगंज थावे होते हुए छपरा तक बढ़ा दिया जाए अथवा 12553 और 12554 वैशाली एक्सप्रेस, 12523-12524 नई दिल्ली जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, 22412 और 22413 अरुणाचल एक्सप्रेस, 12203-12204 गरीब रथ एक्सप्रेस, 12565 और 12566 बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस आदि ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों को छपरा से डायवर्ट करके थावे गोपालगंज गोरखपुर होते हुए दिल्ली के लिए कर दिया जाए तथा इंटरसिटी थावे गोपालगंज से पटना के लिए चलाई जाए। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को लम्बी दूरी की ट्रेन मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी और श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दुनिया आज कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। भारत भी सभी संभव प्रयास कर रहा है। कल देश के प्रधान मंत्री ने जनता के साथ संवाद किया। उन्होंने डरने के बजाय, भय के बजाय सावधानी बरतने की अपील देश की जनता से की, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' का पालन करने की अपील भी सभी देशवासियों से की है। यह सभा सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा देश को दिए गए संबोधन के संकल्प के साथ है। सभी दलों ने भी इसमें सहमति व्यक्त की है। यही भारत का लोकतंत्र है कि संकट के समय पूरा देश एक साथ मिलकर ऐसी बीमारियों से या संकट से लड़ता है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और सभी दलों के नेताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

प्रो. सौगत राय : अध्यक्ष जी, यह बहुत अच्छा हुआ कि आपने चेयर से कोरोना वायरस के विषय पर कहा है।

***SHRI A. K. P. CHINRAJ (NAMAKKAL):** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Poultry farming along with egg production and chicken production contribute a total of Rs 1,60,000 Crore to the GDP. Poultry farmers are very much affected because of the Corona pandemic. They are unable to repay their debts and to sell the eggs and chicken in the market. It is an unfortunate situation. I request that the Union and State Governments should therefore come forward to help the poultry farmers in extending the loan period and rescheduling the payment of loans. So far, the poultry industry has lost Rs20,000 Crore due to the Corona virus impact. I request that the Union and State Governments should issue advisories stating that chicken and eggs are not harmful to human beings. Similarly the Lorry industry in Namakkal district is very much affected resulting in several Lorry owners giving out insolvency notices. I therefore request that Union and State Governments should extend help by way of financial assistance and loans to them. A day time intercity Express train service up to Rasipuram from Chennai via Salem should be introduced. Similarly a train from Chennai to Tiruchy via Namakkal should also be introduced. Moreover I urge upon the Union Government to ensure that all the Express trains should have a stoppage at Rasipuram and Namakkal.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुशवाहा जी,जल्दी उठा करो नहीं तो समय खत्म हो जाएगा।

श्री रविन्दर कुशवाहा : सर, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर देवरिया होते हुए, बलिया की सड़क की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। चूंकि यह सड़क गोरखपुर से सलेमपुर तक स्टेट हाई वे में फोर लेन की बन गई है लेकिन सलेमपुर से आगे की सड़क को फोर लेन में बलिया तक तबदील करना था, उसके लिए मैंने सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया था। इस सड़क के बीच में भागलपुर का एक पुल आता है, जो लगातार क्षतिग्रस्त होता रहता है और यह सड़क बलिया और देवरिया के बीच में लाइफ लाइन की तरह काम करती है। यह सड़क इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है और इतनी टूट गई है जिसकी वजह से आवागमन में बहुत असुविधा हो रही है। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो क्षतिग्रस्त सड़क है, वह बने और देवरिया से लेकर सलेमपुर होते हुए, वहां के रेवती मांझी घाट तक फोर लेन सड़क बनाने का काम सरकार द्वारा किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी.जोशी और श्री कुलदीप राय शर्मा जी को श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मैं अपने बिहार के वैशाली लोक सभा क्षेत्र से आती हूं। भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के लोग हमेशा यहां आते हैं। वैशाली एक प्रसिद्ध स्थल है और भगवान बुद्ध का इस धरती पर तीन बार आगमन हुआ है।

यह उनकी कर्म स्थली भी है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे कायम किया गया था। वहां देश-दुनिया से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आते रहते हैं। मशहूर नर्तकी, नगरवधू आम्रपाली यहीं की थी। वैशाली पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय स्थल है। यहां दूसरे देशों के कई मंदिर भी बने हुए हैं, लेकिन वैशाली में आने-जाने

के लिए हवाई मार्ग की कोई समुचित सुविधा नहीं है। मेरे बगल के संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर में भी कोई हवाई अड्डा नहीं है। ऐसी स्थिति में पर्यटकों को पटना से सड़क मार्ग से लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिससे उनका काफी समय बर्बाद हो जाता है।

अत: मैं आपके माध्यम से नागर विमानन मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली, बिहार में जल्द से जल्द एयरपोर्ट बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती वीणा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जी। मैं माननीय सदस्यों को रोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन वे एक मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): सर, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ती हुई भीड़ के कारण जो जाम लगता है, उसकी ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोनेश्वर चौराहा से दुबग्गा, सीतापुर बाईपास तक एक फ्लाईओवर बनाने के लिए पहले से मांग की गई है। इसको मंजूर भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। **मैं** आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कौशल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित लोक महत्व के विषय को संसद में उठाने हेतु अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, अहमदाबाद-मुंबई तेजस ट्रेन शुरू की गई है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के आनंद स्टेशन से होकर गुजरती है, लेकि न वह वहां नहीं रुकती है। इस स्टेशन के यात्री क्षमता के दृष्टिगत यदि अहमदाबाद-मुंबई तेजस ट्रेन के दो मिनट का ठहराव आनंद स्टेशन पर हो जाए, तो रेलवे को

व्यावसायिक दृष्टि के साथ ही, मेरे क्षेत्र की जनता भी लाभान्वित होगी। इस बाबत स्थानीय जनता का मेरे पास लगातार अनुरोध आ रहा है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आनंद स्टेशन पर अहमदाबाद-मुंबई तेजस ट्रेन का दो मिनट का स्टॉपेज देने हेतु व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान लेते हुए, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मितेश रमेशभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Hon. Speaker, Sir, in my State Kerala there is only one Cantonment and that is in my Constituency Kannur. It is a prominent strategic location for the Indian Armed Forces. From 18th century, Kannur was an army camp for European rulers. After Independence, Kannur Cantonment came under the control of the Indian Army. Today, it is the headquarters of Defence Security Corps.

Sir, within this cantonment area functions a prominent school known as St. Michael's Anglo Indian Higher Secondary School. Over 4,000 students study here in various classes from kindergarten to higher secondary. Adjacent to this school is a 1.5 acres land of Army known as GLR Survey No.32. This is an open ground between the road and front boundary of St. Michael's School. Along the lines of this ground are an Electrical Circle Office, a few restaurants and a guesthouse. For decades, this ground is being used as a gathering point for all sociocultural and political activities in Kannur. During school hours, the land is used by school vans and autorickshaws for safely alighting children. This ground is the only way to enter the school.

Ever since freedom movement, this ground holds historical and sentimental value to the people of Kannur and also has a potential for revenue generation. Unfortunately, the Defence Security Corps has issued directions for takeover of the land and the defence personnel have been deployed to remove civilians entering this area. In the earlier years, DSC made several similar attempts to prevent the general public from entering this ground However, timely intervention of the Government had helped in keeping the area accessible to all.

I request the hon. Minister of Defence to withdraw DSC's decision for takeover of the land. I request the Ministry of Defence to convert the land to C-category so that it can be used for civilian purposes.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री के. सुधाकरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने कोरोना वायरस के संबंध में पूरे देश को संबोधित कि या है, इस बात की चारों तरफ बड़ाई हो रही है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, 483 कि लोमीटर क्षेत्र में फैला कैमूर पहाड़ी क्षेत्र विंध्य पर्वतमाला का पूर्ववर्ती भाग है, जिसका विस्तार जबलपुर के कटंगी से बिहार के सासाराम तक है। इस पहाड़ी श्रृंखला में अनेकानेक औषधीय पौधों की मौजूदगी है, जिसका यदा-कदा चोरी-छिपे प्रयोग होता है। यदि इन औषधीय पौधों और इनके उत्पादों की उपयोगिता का सर्वे कराकर आवश्यक शोधन, वितरण एवं जन-आरोग्य में इनका उपयोग किया जाए, तो ये औषधीय सम्पदाएँ राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं राजस्व

के संवर्धन में अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगी। इस संबंध में, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर औषधीय सम्पदाओं का उपयोग आवश्यक प्रतीत होता है।

अत: विशेष आग्रह है कि कैमूर पहाड़ी में मौजूद उपयोगी औषधीय पौधों एवं उत्पादों का सर्वे कराकर बिहार के रोहतास जिला में एक वृहत औषधीय केन्द्र खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.पी. जोशी और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): Thank you, Speaker Sir, for giving me the opportunity to raise a matter of importance of my Jhargram constituency.

Sir, Jhargram is a district which was carved out from Paschim Medinipur District in 2017. It is also called Jangal Mahal. Most people of this constituency are from backward classes and are Adivasis, and they do not avail their proper rights. At the grassroots level, drinking water facility, road connectivity, educational facility for general people as well as for tribal people, especially, Santalis, women health and sanitation are very very poor. Super speciality hospitals are there but there are no specialists, no medicines and no equipment. Eighty to ninety per cent of Adivasi villages do not have *sauchalayas*. More than 75 per cent poor people have not got the benefit of Pradhan Mantri Awas Yojana.

Many centralized schemes like Atal Jyoti Yojana, solar pumps for marginal farmers, etc., could not be implemented there. Still this District is not included in the list of Aspirational Districts.

So, I want to request the department concerned to include Jhargram in the list of Aspirational Districts so that these schemes may reach the people of Jhargram and they may be benefited from it.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कुनार हेमब्राम द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही दुखद घटना के कारण आपसे विषय परिवर्तन की अनुमति माँगता हूँ।

अध्यक्ष जी, 18 मार्च को एक 23 साल का नौजवान, जो मेरे संसदीय क्षेत्र से है, उसका नाम तनवीर सिंह है, वह अपनी माता के साथ सिडनी से एयर इंडिया - 301 से भारत आया। उसको एयरपोर्ट पर एग्जामिन कि या गया और पाया गया कि शायद उसको बुखार है। उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, उसकी माँ को बगैर यह बताए, उसे वहाँ से ले जाया गया। जब उसकी माता बाहर आई, तब उसने लोगों से पूछा और अपने परिवारजनों को बताया कि शायद उसको सफ़दरजंग अस्पताल लेकर गए हैं। जब वे लोग सफ़दरजंग अस्पताल पहुँचे, तो उनको वहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई और उनसे कहा गया कि वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएँ। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जब वे धक्के खाकर वापस सफ़दरजंग अस्पताल आए, तो उनको पता चला कि शायद कि सी व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है। साढ़े नौ बजे **23** वर्ष के नौजवान तनवीर सिंह ने तथाकथित खुदकुशी की और ढाई बजे तक उसकी लाश वहाँ पर पड़ी रही। कि सी ने उसकी लाश को नहीं उठाया।

कल का पूरा दिन निकल गया, लेकि न पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ। जब मैंने डीसीपी, साउथ से बात की तो आज सुबह उसका पोस्टमॉर्टम हुआ है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी से, जो यहां बैठे हैं, यह आग्रह करना चाहता हूं कि पूरी घटना की जांच कराई जानी चाहिए कि एक 23 वर्ष का नौजवान हवाई-जहाज

से उतरता है, अस्पताल जाता है और अस्पताल जाते ही वह खुदखुशी कर लेता है? अगर तथाकथित तौर पर किसी को लगा कि वह कोरोना वायरस का शिकार है तो ऐसी कोई परिस्थिति तो नहीं बनी थी, जिसके कारण यह खुदखुशी होती। इसकी बहुत संवेदनशील तरीके से जांच कराने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह घटना यह बताती है कि शायद कोरोना वायरस की जो साइकोलॉजिकल इम्पिलिकेशन्स हैं, उनसे निपटने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसलिए, इस घटना को उदाहरण बनाते हुए इसकी जांच किए जाने की जरूरत है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ में मुझे चर्चा करने की इजाज़त दी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का अपने संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र सहित पूरे बिहार के किसानों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, वैसे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पूरे देश के किसान तबाह हैं। खास तौर पर ये सारे लोग कृषि पर ही आधारित हैं। वहां कुछ ज्यादा ही तबाही नज़र आ रही है। मैं समझता हूं कि बेमौसम और ओलावृष्टि के कारण पूरे प्रदेश और मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख देने का काम किया है। किसानों में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। यह सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि पूरे देश के पैमाने पर है।

माननीय अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री राम कृपाल यादव : सर, अभी तो मैंने बोलना प्रारंभ किया है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सिर्फ ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान के मुआवजे की मांग कीजिए। आपका विषय खत्म हो गया।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सर, इसमें कुछ और भी संदर्भ हैं। ...(व्यवधान) मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे बोलने दें। ...(व्यवधान) आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, यह आपकी कृपा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह आपका अधिकार है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस पर बाद में डिटेल में चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सर, कृपया मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। ...(व्यवधान)

सर, किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, यह स्वाभाविक है। खास तौर पर अभी मार्च में जो बारिश हुई, उससे बहुत नुकसान हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र के अंतर्गत पालीगंज, दुल्हिन बाजार, बिक्रम, नौबतपुर, बिहटा, मनेर, मसौढ़ी, धनरुआ, पुनपुन और दानापुर सहित पूरे इलाके में जो गेहूं की फसल लगी हुई थी, उसके अलावा मटर, मसूर, चना, खेसारी, राई, सरसों, धनिया, टमाटर, प्याज़ आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है।

सर, यही नहीं, बेमौसम बारिश की वजह से धनरुआ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली दो नदियां – कररूआ नदी और भुतही नदी का जलस्तर बढ़ गया है। किसानों की जो बची-खुची ज़मीन थी, खेती थी, वह भी बर्बाद हो गई है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के स्तर पर वहां की सरकार किसानों को राहत देने का प्रयास कर रही है। केन्द्र सरकार न सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य के स्तर पर किसानों को ओलावृष्टि

के कारण जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन करे और किसानों के लिए अविलंब उचित मुआवजे का प्रावधान करे, ताकि किसानों की हालत ठीक हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak in Zero Hour. I have had a representation from a student in Philippines. Her name is Nirai Mathai and she has said that several hundreds of Tamil students studying in Philippines are unable to come back to India. Thousands of students from all over the country are studying in Philippines and so many other countries. I can understand the Government's difficulty in bringing these students back. But the problems faced by the students are that their colleges are closed and their hostels are also closed.

They are not able to find a place to stay because most hotels are also closed and food is also not available because most shops are closed. If they have taken any steps to ensure through their Embassies in the different countries to safeguard the interests of these students, I would request the Government that if needed they may even be provided financial assistance because banks are closed and they are not able to withdraw money and spend on themselves. I request the Central Government and the External Affairs Ministry to inform the Embassies concerned to ensure that the safety of the students is taken care of. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ER. BISHWESWAR TUDU (MAYURBHANJ): Thank you, hon. Speaker, Sir.

The integrated B. Ed. And M. Ed. programmes are being taught in the four universities of Odisha such as North Odisha University, Fakir Mohan University, Surendra Sai University and Rajendra College. Till now, 50 students have come out successfully and 150 students have been enrolled in this programme. However, the matter of regret is that they are deprived of appearing in B. Ed. and M. Ed. related eligibility examinations such as OTET or SSTET and CTET. In this context, the Government of Odisha has asked the NCTE for clarification whether they are eligible to be teachers in the elementary and secondary schools and can be allowed to appear in various teachers' recruitment tests as mentioned but no action has been taken as yet. I would like to request the hon. Minister through you to take immediate appropriate action in this regard. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपसे सिंधी भाषा में अपनी बात रखने की इजाजत मांगता हूं। संभवत: लोक सभा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सिंधी भाषा में अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है।

*In front of you I want to raise some issues pertaining to I crore Sindhis residing in India. The Government should consider all these issues. Sir, a number of people have come from Sindh Pakistan to India as refugees, but most of them are living in pitiable conditions. I demand that a Sindhi Welfare Borad should be set up for development of Sindhi refugees who have migrated to India. Second, Sindhi Art and Culture are the oldest in the world, as manifested in Mohen jo Daro and Indus Valley Civilization. A National Sindhi Academy should be set up for Sindhi Art and Culture. Thirdly, T.V. channels are functioning in all recognized languages. The Sindhi community demands a Sindhi T.V. channel should be commissioned.

Fourthly, there is a tableau for every State on 26th January, but Sindhis remain unrepresented as they do not have a state; therefore I demand that there should be a tableau for Sindhi community on 26th January. Fifth, whenever I am on tour of the country, Sindhis said that as we lost Sindh State to Pakistan, a Sindhi territory should be given to Sindhi community. I want it, but not only I, the entire Sindhi community wants this. Sixth, there should be a Sindhi University so that our children are able to study there. Lastly, Sindhi community demands that Cheti Chand, which is the birthday of Lord Jhulelal, should be declared a holiday. Finally, I greet you all for Sindhi language day, which falls on 10th April and for the forthcoming Jhulelal birthday that is Cheti Chand. Jai Jhulelal.

---

* English translation of the speech originally delivered in Sindhi.

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,श्री सी.पी. जोशी और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री शंकर लालवानी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती परनीत कौर (पटियाला):अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। क्या मैं पंजाबी में बात कर सकती हूं, प्लीज?

माननीय अध्यक्ष: इजाजत है।

***SMT. PRENEET KAUR :** Sir, today, Corona virus is in the news. People are dying due to this virus. Let me ask a question. What is the Government doing to provide adequate safeguards and healthcare for the poor people like rickshaw drivers etc? The Government must do something for such people too. Let me suggest that under the CSR, if such poor people can be helped out financially, that will help them. The Labour Ministry should also provide them economic assistance for the next two months to ease their life as they have to make both ends meet under difficult circumstances.

माननीय अध्यक्ष :श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती परनीत कौर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेन नंबर 18248 रीवा-बिलासपुर ट्रेन का परिचालन दुर्ग तक करने से मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा, क्योंकि रीवां क्षेत्र के बहुत सारे लोग मेरे क्षेत्र में रहते हैं। यह मेरे संसदीय क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि रीवा-बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक चलाने की कृपा करें।

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री विजय बघेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसी तरह आप सब लोग संक्षेप में बोलें।

SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR): Thank you, Sir, for allowing me to speak in this august House during 'Zero Hour'.

Firstly, the people of Odisha, especially the Western Odisha, and myself are thankful and grateful to our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi, for inaugurating an airport at Jharsuguda and naming it after the great freedom fighter Veer Surendra Sai.

Sir, the first commercial flight was started under the UDAN Scheme on the 31st March, 2019. It was my honour to go to this great leader's village Khinda, under Sambalpur District, during his birth anniversary on 23rd January, 2020 and interact with this great man's family.

As Bhubaneswar Airport is named after late Biju Patnaik's name, and his statue has also been installed there, I would request the Ministry of Civil Aviation, Government of India, through you, to install a life size statue of Veer Surendra Sai at Jharsuguda Airport during the year 2020-21.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री नितेश गंगा देब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the Government, through you, to the long-pending un-solved problems of 64-lakh EPS pensioners.

The EPS pension is covered under the Social Security Scheme of the Central Government. Employees of the private industries, Government-owned corporations and cooperative sectors of the States and the Centre are the members and the beneficiaries of this scheme. Sir, 64-lakh retired EPS pensioners are demanding the Government for the enhancement of their minimum monthly pension to Rs.9,000 plus DA per month.

The Government has constituted three Committees earlier. The Committees had submitted their reports in favour of the pensioners. The majority of the pensioners are above the age of 70 years.

I would request the Government to take immediate steps to implement the report of the Committee, and to increase their monthly pension to Rs.9,000 plus DA per month. The Government should also give ESIC benefits to all the pensioners and till then, an interim relief of Rs.3,000 plus DA and restoration of curtailed benefits such as commutation may be done.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री एम.के. राघवन और श्री बी. मणिक्कम टैगोर को डॉ. ए. चैल्ला कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the Corona pandemic has put the entire humanity through a testing time. All the countries, including our Prime Minister, have advised people about social distancing and

to stay back at home as far as possible. All of us have supported it and we welcome it. But, Sir, only some companies and factories have allowed their employees to work from home. We all understand that 81 per cent of our workforce belongs to the informal sector. We have to take into consideration the livelihood of cab drivers, auto drivers, domestic help, people who work at restaurants, and agricultural wage workers. Their lives are going to be affected and their income may become nil.

The Prime Minister, in his speech yesterday, has promised an economic task force. I would urge the Government to take into consideration the plight of these informal workers and give them first priority so that their livelihood and their families will be protected.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री बी. मणिक्कम टैगोर को श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13.00 hrs

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों ओलावृष्टि से मेरे लोक सभा क्षेत्र के देहात की दो विधान सभाओं ऐतमादपुर और जलेसर, जो आलू बेल्ट है, हम 70 परसेंट हिन्दुस्तान का आलू पैदा करते हैं, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे वहां जाने का भी मौका मिला था। पैंतखेड़ा, हाजीपुर खेड़ा, सोनगा, गिजौली, धंगरौली, नगला चतुरा, गढ़ी अजीता, बेनई, नांदउ, धौरा, बगलघूसा, गदपुरा, फूलपुर, मादौर, नगलापैठ, पतलपुर, अगलपुर गढ़ी खोड़ा, हेता का नाला, खोड़ा नगला, धौरल, नगला गड़रिया, चूहरपुर, खुशहालपुर, नजरपुर, हाथीगढ़ी, रूपधनु, वांधनू, चौकड़ा, नयाबांस और खास तौर से आंवलखेड़ा, वरहन, समायी, मितावली गांवों में ओलावृष्टि से 70 परसेंट आलू खराब हो गया है। तीन दिन पहले बारिश हुई और फिर तीन दिन बाद ओले पड़े। आलू नीला हो गया और खोदने पर मिट्टी आ रही है। केन्द्र सरकार अलग से कोई सहायता करे, क्योंकि लोगों ने जानकारी के अभाव में फसल बीमा नहीं करवाया है। वहां यह एक ही फसल आलू की होती है। वहां सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आंधी-वर्षा-तूफान आए, 1 तारीख को तनख्वाह जरूर मिलेगी। कि सान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई स्पेशल पैकेज देना चाहे तो दे, इससे कि सानों का भला होगा। इसी प्रकार से टून्डला और नारखी विधान सभा में भी लगभग 80 परसेंट आलू बर्बाद हो गया है और जो आलू खोदा जा रहा है, चूंकि उसमें ओलावृष्टि से चोटें आ गयी हैं, उसे कोल्ड स्टोरेज में रखने पर वह सढ़ना शुरू हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को प्रो. एस.पी. सिंह बघेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस साल अनेक आपदाओं से जूझकर किसान खेती कर रहा है। कभी भारी वर्षा के कारण हो या आज कोरोना से लड़कर हो। इसमें खेती का काफी नुकसान हो रहा है। इस हालात में एमएसईबी डिपार्टमेंट कि सानों को इलेक्ट्रिसिटी बिलों को भरने के लिए दबाव बना रहा है। जो बिल नहीं भर पा रहे हैं,

उनका कनेक्शन काटा जा रहा है । अभी हार्वेस्टिंग पीरियड चल रहा है । मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की आवश्यकता तो है, लेकिन उसका समय बढ़ा दिया जाए और इस वैश्विक संकट में हमारे इस अन्नदाता किसान को राहत दी जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवले और डॉ. हिना विजयकुमार गावित को डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity and for showing love and affection towards my State of Andhra Pradesh.

Hon. Speaker, Sir, in Anantapuram district, there are several tourist attractions like Thimmamma Marrimanu, famous Penukonda Fort -- which was the second Capital of Vijayanagar Empire --, Lepakshi Nandi, Gooty Fort, Vemanna Samadhi, Sri Satya Sai Nilayam in Puttaparthy, and Penna Ahobilam. However, due to lack of publicity and insufficient funds, these historical and spiritual centres are not getting much attention.

Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to request the hon. Tourism Minister to consider these destinations for promotion of historical and religious significance.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कुरुवा गोरांतला माधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, hon. Speaker, Sir.

The Government of Kerala has mis-utilised, misused and looted the flood relief fund. The Opposition Parties had demanded that there should be a separate account for flood relief fund and also, whatever funds, received from the Government of India, individuals, and other institutions, should go to this separate account. The expenditure should be monitored by the hon. High Court Judge. But the Government of Kerala has refused it.

Now, what has happened after two years of flood. There is a shocking news. The Flood Relief Fund has been mis-utilised by the CPI(M) workers and the employees. One CPI(M) worker was arrested and one accused had committed suicide.

We do not know as to how much relief fund was received from various sources. We also do not know as to how much fund was spent for the relief work. Nobody is aware of it. Only the State Government is aware of the same. We are asking about the details. But the State Government has not given us any such detail. How much fund was received from various sources and how much fund was utilised? There is no clear-cut picture.

The Government of Kerala has already ordered an inquiry but the culprits and accused are from CPI(M). Therefore, I demand, from the Central Government, a CBI inquiry to inquire into flood relief fund utilization in Government of Kerala.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने शून्य काल में लोक महत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति दी है, मैं उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले हमारे देश के श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोरोना वायरस के अवेयरनेस के लिए रविवार को जो जनता कर्फ्यू किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं यह वचन लेता हूं कि मैं उस जनता कर्फ्यू में पूरी तरह से देश का साथ दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर है। वह उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल का सबसे मुख्य और प्रमुख शहर है। यह पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तराखंड और सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। बड़हलगंज, देवरिया और वहां के बहुत सारे क्षेत्रों के बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं। गोरखपुर क्षेत्र के पांच लाख लोग विदेशों में रहते हैं। वहां गरीब लोग भी हैं। वे रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन अगर उनको किसी भी वजह से विदेश मंत्रालय से कोई काम होता है, तो उनको दिल्ली आना पड़ता है, which they cannot afford.

महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह विनती है कि अगर विदेश मंत्रालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय हमारे गोरखपुर में खुल जाता, तो बड़ी कृपा होती और वहां के अगल-बगल का पूरा क्षेत्र खुश हो जाता।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री रवि किशन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

11.06 hrs

SUBMISSIONS BY THE MEMBERS

(iii) Re: Need to close stock exchange in view of rapid fall in sensex

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज इस विषय पर बात करना चाह रही हूं कि हमारे चिखलदरा में एक हिल स्टेशन है और यहां पर पर्यावरण मंत्री जी बैठे हुए हैं। चिखलदरा विदर्भ का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। आज चिखलदरा

हिल स्टेशन में अवैध तरीके से जो स्टोन क्रशर शुरु हुए हैं, उनकी वजह से वहां पर रहने वाले प्राणियों के लिए और वहां पर जितने भी पर्यटक आते हैं, उन सभी के स्वास्थ्य के साथ खेलने जैसा काम हो रहा है। सरकारी जमीनों पर क्रशर चल रहा है। स्टोन क्रशर की ब्लास्टिंग की वजह से वहां पर जो आने वाले पर्यटक और जानवर हैं, वहां पर ब्लास्टिंग की वजह से धूल उड़ती है, वहां पर उन लोगों के साथ आरोग्य के धोखे का निर्माण हो रहा है।

उसी तरीके से अमरावती महानगर पालिका के पास केवल चार किलोमीटर की दूरी पर राजुरा, परसोडा, मासोद और इंदला अमरावती, इन गांवों में इल्लीगल तरीके से सरकारी जमीनों पर स्टोन क्रशर का काम किया जा रहा है । यहां पर बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की जाती है । ब्लास्टिंग की वजह से यहां के पानी का स्तर नीचे चला गया है और लोगों के सामने पानी की समस्या उत्पन्न होने के कारण उनको पानी टैंकरों से लाना पड़ता है । मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से यह मांग करती हूं कि इन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दाखिल की जाए और उनकी मशीनरियां जब्त की जाएं और उनसे दस गुना रेवेन्यू वसूल किया जाए। चिखलदरा एक हिल स्टेशन है, यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीनों पर जितने भी क्रशर चल रहे हैं, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। मैं आपसे इतनी विनती करती हूं।

———

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Thank you so much hon. Speaker, Sir. The hon. Prime Minister has been emphasizing the need for water conservation, revival of dead rivers and renovation of traditional water bodies. In line with this objective and this direction of the hon. Prime Minister, I would definitely like to mention here the need for taking up the renovation and maintenance of Daya West Canal in my constituency, Bhubneswar. The revival and maintenance of the Prachi river which is almost a dead river by now is needed. The Prachi river actually flows through four districts – Khurda,

Puri, Cuttack and Jagatsinghpur. Of course, the third and very important river is the Gangwa river. In fact, one major problem of Bhubaneswar is inundation and I have raised it earlier too. We really need to actually maintain the storm water drains in such a manner that they are properly connected to Gangwa river.

Before I end, I must mention here that as far as Daya West Canal is concerned, in November, 2019, the Government officials in Odisha had made a DPR worth Rs.400 crore for the revival and maintenance of Daya West Canal. I would request the State Government to take up the matter and actually initiate work as far as renovation of Daya West Canal is concerned.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से त्रिपुरा स्टेट की तरफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहती हूं। नॉर्थ त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बन कर तैयार है। स्कूल को इस सेशन में शुरु करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने संसदीय क्षेत्र के साउथ त्रिपुरा जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय और वेस्ट त्रिपुरा के अगरतला में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग करती हूँ।

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an important matter during in the Zero Hour.

With a view to curtailing the crowd at the Railway stations across the country, the Railway Board has increased the fare of platform tickets from Rs. 10 to Rs. 50 per person. It is quite exorbitant and is not justified. Therefore, in

the name of controlling Corona Virus, the Railways should not hike the fare of the platform tickets which the common man thinks is an exploitation of the situation. Therefore, I urge upon the hon. Railway Minister to withdraw the said hike in fares of platform tickets immediately.

Thank you.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से आता हूँ। पिछले दिनों राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में बहुत ओलावृष्टि हुई है। यह जिला पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। एक तरफ तो सीमा की मार हमें पड़ती है, दूसरी तरफ पंजाब पूरा पानी भी नहीं दे रहा है। तीसरी तरफ ओलावृष्टि हुई है। मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में जिन एजेंसियों ने फसल बीमा योजना की शुरूआत की, वे इफको-टोकियो और बजाज एलायंस हैं। हमारी सरसों की, चने की, गेहूं की जो फसलें हैं, वे सारी की सारी खराब हो चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इनके जल्दी से जल्दी सर्वे करवा कर 15 दिनों के अंदर जो इन एजेंसियों का राज्य सरकार द्वारा कमिटमेंट होता है, उसके अनुसार किसान को कम्पेनसेशन दिया जाए, किसान को मुआवजा दिया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में ओलावृष्टि हुई है, उनको कम्पेनसेशन देने का काम जल्दी से जल्दी हो, मैं यही आग्रह करुंगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री निहाल चन्द द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

***SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR):** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Sivakasi called as “Small Japan” is known for Match box and firework industries. There is a long pending demand for construction of Railway Over bridges at Thiruththangal and Satchiyapuram areas of Sivakasi town.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Railway Ministry has time again rejected this proposal for construction of Overbridges at Thiruththangal and Satchiyapuram of Sivakasi town. Hon Minister while replying to my question said that there is no cooperation from the State Government of Tamil Nadu. A team led a State Minister of Tamil Nadu who is also a Member of State Assembly is engaged in halting the work relating to Over bridge in these places. I urge the Railway Ministry to take up the proposal seriously and ensure that Railway Over bridges are constructed in Thiruththangal and Satchiyapuram areas of Sivakasi town. The State Minister whom I am referring to is not concerned about solving the issues of the people. That is why he is halting the developmental work particularly these two ROBs. He is interested in helping the rich persons of the Constituency. I therefore urge upon the Union Government to take up proposal of ROBs and expedite the construction work of ROBs at Thiruththangal and Satchiyapuram areas of Sivakasi town. Thank you

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री बी. मणिक्कम टैगोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो मैं बाबा महाकाल को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं लगभग चार हफ्ते से प्रार्थना कर रहा था कि हमारे अध्यक्ष जी की मेरे ऊपर कृपा हो जाए। आज उनकी कृपा हुई। अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

एक ऐसा समय था, जब धारा **370** लागू थी और हम वहां पर कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकि न मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से देश में दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान का खात्मा किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर से धारा **370** हटाने के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी, राष्ट्रवाद के इस आंदोलन की नींव के पत्थर परम आदरणीय जनसंघ के संस्थापक स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत का आज तक कुछ पता नहीं चल सका।

महोदय, जिस प्रकार से स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने देश में **8** मई, **1953** को बिना परमिट के जम्मू कश्मीर पहुंचने के लिए यात्रा शुरू की थी, जिसके कारण **11** मई को उन्हें पंजाब, जम्मू की सीमा पर स्थित रावी नदी के पुल पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।...**(**व्यवधान)

सर, एक मिनट। लेकिन जेल में एक राजनीतिक कैदी होने के कारण उनसे ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया गया और स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जिस जेल में रखा गया था, वह उजाड़ थी। 23 जून, 1953 को उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। यह एक सोची-समझी राजनीतिक हत्या थी।...(व्यवधान) सर, मेरा आपसे निवेदन है।...(व्यवधान)

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Hon. Speaker Sir, thank you for being so kind. अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के नारायणपुर बाजार में अहरौरा रोड स्टेशन स्थित है, किन्तु स्टेशन का नामकरण स्थानीय नारायणपुर बाजार के नाम पर न होकर अहरौरा रोड के नाम पर है, जो इस स्टेशन से लगभग 20 कि लोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। ऐसी दशा में यात्रियों के बीच सदैव यह भ्रम की स्थिति बनी रहती है और इसलिए लम्बे समय से, कई वर्षों से निरन्तर क्षेत्रवासी यह मांग कर रहे हैं कि इस स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया जाए। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को 25 नवम्बर, 2019 को एक प्रस्ताव भेजा जा चुका है, किन्तु यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए अभी भी लंबित है। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को तत्काल अनुमोदित

करे, ताकि अहरौरा रोड स्टेशन का नाम परिवर्तित करके नारायणपुर बाजार स्टेशन किया जा सके और हमारे क्षेत्रवासियों तथा यात्रियों की समस्या का समाधान हो सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, सरना धर्म आदिवासियों का धर्म है। यह आदि धर्म है, जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासी समाज जब से जंगलों में रहता है, तभी से प्रकृति के सारे नियमों को मानता रहा है। यह विश्व का प्राचीनतम धर्म है। इसमें यह समाज पेड़-पौधों, पहाड़ को सम्पदा मानकर पूजता आया है। वर्तमान में पर्यावरण पर संकट उत्पन्न हुआ है, उस समय इन विचारों की बहुत आवश्यकता है। इस धर्म को ही संथाल, उरांव, मुंडा, महली, कुड़मी इत्यादि लोग मानते आए हैं। जानकारी के अभाव में अधिकांश आदिवासी लोग ईसाई, हिन्दू धर्म अपना रहे हैं और यह स्थिति ठीक नहीं है।

जनगणना के समय सरना धर्म के लोग हिन्दू, ईसाई कोड लिखते हैं और इस प्रकार की स्थिति में इनके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। यदि जनगणना के समय सरना कोड का भी विकल्प हो, तो आदिवासी समुदाय के लिए उचित होगा।

मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्म को संरक्षण देने के लिए यह सबसे न्यायसंगत होगा। इसके अलावा सरना धर्म के जो आदिवासी हिन्दू, ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलता। इस प्रकार के प्रयोग से लालच देकर कराये जा रहे धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी और आदिवासी संस्कृति और सरना धर्म दोनों संरक्षित रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री खगेन मुर्मु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। वडोदरा महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ का शहर है। इस शहर

में काफी सारी हेरिटेज इमारतें हैं। वडोदरा शहर में हेरिटेज स्ट्रीट भी है। वडोदरा शहर हेरिटेज शहर के नाम से भी जाना जाता है। सर सयाजीराव गायकवाड़ ने कई सारी विरासत वडोदरा शहर को सेवा के लिए समर्पित की है। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रालय से माँग करती हूँ कि वडोदरा शहर को हेरिटेज सिटी का दर्जा देने की सूची में रखा जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती रंजनबेन भट्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. In my Kallakkurichi parliamentary constituency, in Kalvarayan hills, there are 300 tribal villages. As many as 30000 Scheduled Tribes people live there. Kadukkai, Myrobalan is cultivated in more than 1000 acres in that area. This Myrobalan is being transported to different places and States. But the Tribal people are not benefited by the cultivation of Myrobalan. This has the medicinal value and used as a medicine curing so many diseases. This Myrobalan is used in Siddha form of medicine as well. If a Siddha medicine factory for processing myrobalan is set up in this Kalvarayan hills area, it will be helpful the Tribes living there. Since there go to Andhra Pradesh for cutting red sandalwood trees, several cases are registered against them putting their lives at danger. I therefore request that a Siddha medicine factory for processing Myrobalan (Kadukkai) should be set up in Kalvarayan hills in my constituency. Thank you

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री गौतम सिगामनी पौन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, कोरोना वायरस से जो सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे या मुतासिर होंगे, वह गरीब तबका है। जम्मू-कश्मीर में जो कांट्रेक्ट वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, 50 हजार के करीब, अपने रेगुलराइजेशन को लेकर और अपने वेतन, ड्यूज के लिए पिछले 6 महीने से वे सड़कों पर हैं। अब मौका है कि गवर्नमेंट कंसीडर करे और उनका वेतन, ड्यूज रिलीज करे।

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

दूसरी बात यह है कि एसआरओ-202 एक असंवैधानिक एसआरओ है, जिस वजह से सैलरी फ्रीज की गई है, उस पर एक पुनर्विचार, रिव्यू की जरूरत है। उनके रेगुलराइजेशन, रिलीज ऑफ पेमेंट्स डेली वेजर्स एंड कांट्रेक्ट वर्कर्स और इस एसआरओ-202 के खात्मे के लिए प्रयास किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री हसनैन मसूदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में महत्वपूर्ण विषय रखने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूर्णिया जिले में भारतीय स्टेट बैंक का आंचलिक कार्यालय वर्ष 1984 से स्थापित है और उसकी 123 शाखाएं हैं। पूर्णिया में आंचलिक कार्यालय का प्रशासनिक भवन, स्टॉफ क्वार्टर्स से लेकर सारी बिल्डिंग अपनी है, सारी व्यवस्था अपनी है और वहीं भागलपुर अभी आंचलिक कार्यालय है, जिसमें मात्र 32 शाखाएं हैं। भागलपुर में पूर्णिया का विलय कर दिया गया है। हम आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से माँग करते हैं, हम उनसे मिले भी हैं, हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि पूर्णिया में सारी व्यवस्था है, उसके बाद पूर्णिया से हटाकर यहाँ किराये के मकान में, मुझे संदेह है कि किसी खास व्यक्ति को इसका लाभ पहुँचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक का लाखों-लाख रुपया किराया देने के लिए स्टेट बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत, घालमेल से पूर्णिया के स्टेट बैंक का आंचलिक कार्यालय भागलपुर में विलय किया गया है।**...(**व्यवधान**)** महोदय, हम आपके माध्यम से माँग करते हैं कि इसको बचा दिया जाए और पूर्णिया आंचलिक कार्यालय को फिर से बहाल किया जाए। सारी व्यवस्था वहाँ पर है और भारतीय स्टेट बैंक के बड़े अधिकारी के द्वारा किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से ऐसा किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गुलाबबाग, पूर्णिया उत्तर बिहार की व्यावसायिक मंडी है, यह सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ सबसे ज्यादा व्यवसायी हैं। वहाँ की आम आवाम आज सड़क पर उतरी हुई है।

हम माँग करते हैं कि इसको संरक्षित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री संतोष कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संजय भाटिया (करनाल): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से पहले तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, पिछली बार जो मैंने माँग उठाई, नेशनल हाइवे जो दिल्ली से अमृतसर जाता है, एन.एच.1, जिसे अब एन.एच. 44 कहते हैं, उसका काम दो-चार दिन में शुरू होने वाला है। एक बहुत बड़ी समस्या, उस राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास जो गाँव बसते हैं, शहर बसते हैं, जो हिन्दुस्तान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर क्रॉसिंग, अंडरपास, और फुट ओवर बिज की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। जितने भी गाँव पड़ते हैं, पट्टीकल्याणा, गांजपड, ऊँचा समाना, छिबा, चौटाला रोड, वहाँ पर अंडरपास की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कल भी रोड सेफ्टी के ऊपर चर्चा हो रही थी। रोड क्रॉसिंग में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं और हमारे यहाँ रोज कोई न कोई दुर्घटना होती है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री संजय भाटिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सर, धन्यवाद। सर, मुझे आपसे इजाजत लेनी है। क्या मैं पंजाबी में बोल सकता हूँ?

* Sir, I seek your permission to speak in Punjabi. Sir, the Government is fighting the menace of Corona virus. It is not the responsibility only of the Government. It is the responsibility of all of us. We support the Government in this hour of crisis.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi..

Sir, the poor people, the landless labourers etc. have been badly affected by this malignant disease. I urge upon the Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji that all the poor person from Jammu & Kashmir, Punjab to Kanyakumari & from Arunachal to Gujarat, should be provided Rs.5000/- as these people have not got any employment for the last two months. Also sir, under the BPL category scheme, the centre provides wheat, flour, pulses and rice to these deprived sections. Their monthly quota of foodgrains should be doubled. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्माको श्री जसबीर सिंह **(**डिम्पा**)** गिल के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के कि सानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में चित्तौड़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिला आता है। बारिश के मौसम में ओलावृष्टि के कारण वर्ष 2019 में कोई महीना ऐसा नहीं बचा, जिसमें बारिश नहीं हुई। राजस्थान सरकार का जो राज्यांश है, जो स्टेट का शेयर है, उसमें उन्हें लगभग 1200 करोड़ रुपये देना है, मगर अभी विधान सभा में हंगामा होने के कारण उन्होंने केवल 50 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में दिये हैं और 1150 करोड़ रुपये अभी बाकी हैं।

महोदय, प्रतापगढ़ में आज किसान परेशान हैं। वहां 130 इंच बारिश हुई और उसमें वहां की सारी फसलें खत्म हो गईं। इसलिए राज्य का जो शेयर है, अगर वह जल्दी मिल जाएगा तो स्टेट के पैसे आते ही केन्द्र सरकार दो दिनों के अन्दर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में अपने पैसे जमा कर देती है। अगर राज्य सरकार वह पैसा जल्दी जमा कर देगी तो वहां के किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity. I would like to draw the kind attention of the House towards an important issue. Sir, in Andhra Pradesh, the State Election Commissioner had purportedly written a letter to the Central Home Ministry, seeking the Central Forces for his protection, which is also circulating in the Media. The SEC has neither denied nor confirmed whether he had written the letter or not. The letter contained highly objectionable remarks against the State Government. The purpose of the letter was to defame the Ruling Party in the State, which is politically motivated. Using the constitutional institution like the State Election Commission for the political vengeance is not healthy, which can be a scar on the High Office.

Sir, we demand the resignation of the State Election Commissioner from the High Office for taking sides, speaking in the voice of the Opposition, and bringing disgrace to the post he holds. Thank you so much.

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश की सभी माताएं, बहनें सदन की ओर, माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी की ओर देख रही हैं, जिनके बेटे, भाई और पति आज देश की सुरक्षा में सीमा पर शहीद हो रहे हैं। उन लोगों की माँग है कि जो देश हमारे बेटे और भाइयों की निर्मम हत्या कर रहा है, उसे कि सी भी हालत में न बख्शा जाए।

महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, हमारे संसदीय क्षेत्र सीतामढ़ी के मेजरगंज के डुमरीकला के 23 वर्षीय सुशील कुमार सिंह को अनन्तनाग में आतंकवादियों ने गोली मारकर उसे शहीद कर दिया। उसकी शादी हुए मात्र आठ महीने ही हुए थे। उसके परिवार वाले, उसकी माता

और उसकी पत्नी सदन की तरफ देख रही हैं कि उसे कब इंसाफ मिलेगा। सुशील कुमार सिंह जैसे कितने नौजवानों ने देश में कुर्बानी दी है।

हम सदन से यह मांग करते हैं कि उनकी इस कुर्बानी के लिए उन्हें इंसाफ मिले।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्माको श्री सुनील कुमार पिंटू के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष: आभार व्यक्त मत कीजिए, इतनी देर में आपका समय निकल गया।

श्री विनोद कुमार सोनकर : अध्यक्ष महोदय, कौशाम्बी जनपद वर्ष 1997 में बना और सारे शिक्षण संस्थान प्रयाग में चले गए। मैं पिछले छ: सालों से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि कौशाम्बी जनपद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुल जाए। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा टेम्पररी बिल्डिंग और टेम्पररी संस्थान उपलब्ध करा दिए गए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री यहां सदन में उपस्थित हैं। महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कौशाम्बी जनपद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय शीघ्र से शीघ्र खोला जाए।

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ आदिवासियों के विषय को आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ और उनकी ओर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को मिलाकर वहाँ बैकलॉग के 1.25 लाख पद रिक्त हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के 78,000 पद, अनुसूचित जाति के 26,000 पद और ऐसे अनेक प्रकार के पदों को मिलाकर 1.25 लाख पद रिक्त हैं। ऐसे समस्त युवा अपने भविष्य बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और विगत कई वर्षों से परेशान हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उन युवाओं का भविष्य बन जाए और उनके रिक्त पदों की पूर्ति हो पाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13.30 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS-Contd

(iv) Re: Dumbing of biomedical wastes by Hospitals in forest areas

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Mr. Speaker, Sir, I thank you for allowing me to raise a matter of urgent public importance. The hon. Minister of Environment, Forests and Climate Change is here. I would like to draw the attention of the House and the Minister to the issue of dumping of biomedical waste in forest areas. There is a big forest outside Delhi called the Shahdara Forest where a lot of hospitals in the Vasant Kunj area are continuously dumping biomedical waste. We are all waiting for the M.C. Mehta case to go on in the Supreme Court and the directions of the Supreme Court. But I would urge the Minister of Environment, Forests and Climate Change to please take strong cognizance of this issue. Obviously, hospitals are giving contracts to contractors for, what they think as, efficient dumping and they are absolving themselves of their responsibilities. But these contractors are using forest area to dump this. So, if we could set up a Task Force to deal with it immediately, I would be grateful.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को सुश्री महुआ मोइत्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): राणा मैडम ने एक विषय उठाया। मिसेज राणा मुझे बाहर ही मिली हैं। मैं ऑलरेडी टीम भेज रहा हूँ और जाँच करूँगा। जहाँ तक मोइत्रा मैडम ने बताया है, we are taking this very seriously. सभी फॉरेस्ट्स में इस तरह का डम्पिंग नहीं चलेगा। इसके लिए सभी राज्यों के साथ भी हम प्रयास करेंगे कि सारे वैस्ट मैनेजमेंट रूल्स का फॉलोअप ढंग से हो।

———

13.33 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने का कष्ट करें।

(i) Need to expedite construction of pending irrigation projects in Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): सोन नदी के पानी के बँटवारे को लेकर मुख्य मंत्री बिहार, राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश के बीच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 16 सितंबर 1973 को बाणसागर समझौता हुआ था। इस समझौते के अन्तर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को पानी का हिस्सा मिलना था। परंतु अब झारखंड और छतीसगढ़ अलग -अलग राज्य बन गए हैं। साथ ही गंगा बेसिन की उप नदी सोन के बेसिन में पड़ने वाली नदियों पर योजनाओं के माध्यम से लाभ देने का भी निर्णय हुआ था, इसके अन्तर्गत झारखण्ड में सोन नदी की सहायक नदियों पर योजनाएं बनी थी। परंतु आज तक एक भी योजना साकार नही हो पायी।

जल के नियंत्रण और बटवारे को लेकर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था, परंतु यह बोर्ड विगत 20 साल से अधिक से कार्यरत नहीं है। बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन कि या जाए। इस पुनर्गठन में छतीसगढ़ और झारखंड राज्यों को शामिल कि या जाए।

सोन नदी से झारखंड के गड़वा, पलामू, लातेहार और चतरा के लिए पाइप लाईन के द्वारा पानी आपूर्ति की महत्वाकांक्षी परियोजना वर्तमान केंद्र सरकार के पिछले कार्यकाल में हुई थी, परंतु यह योजना भी आज तक धरातल पर नहीं आई।

---

* Treated as laid on the Table.

मेरे चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिचाई योजनाएँ उत्तर कोयल जलाशय, औरंगा जलाशय योजना, अमानत बैराज, गरही, मुहाने एवं मलय आदि परियोजनायें प्रमुख हैं । इन परिजोयानाओं के अलावा, गोलाई, दुलकी, अन्नजनवा, मलय, टहले, कदवान, चाको, पीरी, सोनरे, रामघाट, नकटीनाला, घाघरी सहित अन्य कई महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिचाई परियोजनाएं लंबित हैं।

झारखंड की 85 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है । जिनके लिए खेती ही रोजगार व जीवनोपार्जन का मुख्य साधन है। परंतु खेती योग्य भूमि पर कुल सिचाई का 12 प्रतिशत से भी कम के लिए संसाधन उपलब्ध है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर खेत तक पानी और हर घर जल पहुंचाने का महत्ती संकल्प लिया है। अतः मेरा आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी से मांग है कि झारखंड में लंबित सिचाई योजनाओं को पूरा करने की दृष्टि से ठोस कदम उठाये।

(ii) Need to include Sickle Cell disease in the list of diseases eligible for treatment under Ayushman Bharat Yojana

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली): आजकल सिकल-सेल रोग (SCD) नामक बीमारी खासकर आदिवासी समाज और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों में अत्यधिक बढ़ रही है। यह बीमारी कोशिकाओं के लचीलेपन को घटाती है जिससे विभिन्न जटिलताओं का जोखिम उभरता है। हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन की वजह से सिकल-सेल रोग होता है। सिकल-सेल रोग आमतौर पर बाल्यावस्था से उत्पन्न होता है और यह बीमारी पारिवारिक होती है और इस बीमारी का स्थायी रूप से कोई इलाज भी नहीं है तथा जीवन-भर बीमारी के साथ ही जीना पड़ता है इससे मलेरिया प्लाज्मोडियम का पर्याक्रमण उन कोशिकाओं के हंसिया निर्माण से रूक जाता है जिस पर यह आक्रमण करता है। यह एक दुर्लभ प्रकार का रोग है, जिसको भी यह रोग पकड़ लेता है तो उसे हर दो या तीन महीने में असहनीय पीड़ा (दर्द) होने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है जिस पर अस्पताल में बहुत खर्चा आता है। सिकल-सेल बीमारी आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत न आने के कारण इस योजना का लाभ इस रोग से पीड़ित गरीब आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूँ कि सिकल-सेल रोग को आयुष्मान भारत योजना में उपचार हेतु जोड़ा जाए जिससे गरीब आदिवासी अपना उपचार ठीक से करा सकें।

(iii) Regarding condition of NH-19

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH (AURANGABAD): I will like to draw the attention of the House towards the abominable state of NH-l9. NH-19 is one of the busiest highways in India as it connects Delhi with Kolkata. The good condition of this highway is a pre-requisite for maximizing economic and social benefits. However, NH-19 is in a bad state of affairs. The stretch between Varanasi and Dhanbad is especially, full of big potholes. This leads to long traffic snarls. Also, a lot of overloaded trucks ply on this route. Although, restricting the plying of overloaded trucks is a state subject, but the Ministry could issue guidelines to States to restrict these trucks as NHs are managed by the Central Government. Further, most of the lanes in the toll gates on this highway are non-functional leading to traffic jams. There is a need to penalize the toll operators who are not efficiently running these toll gates.

(iv) Need to provide secondary care treatment referral facility in ESIC hospital in Adityapur, Jharkhand and also set up a 250-bedded hospital in Adityapur

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): झारखण्ड राज्य के आदित्यपुर स्थित E.S.I.C. अस्पताल पर लगभग 2 लाख IP निबंधित हैं जिस पर लगभग 10 लाख लाभार्थी निर्भर हैं। यहाँ पर मात्र 50 बेड वाला अस्पताल उपलब्ध है उसमें भी उपलब्ध डाक्टर एंव नर्सी की संख्या अपर्याप्त है। E.S.I.C. के मानक के अनुसार 2 लाख IP धारकों के लिए 300 बेड वाले अस्पताल की आवश्यकता है। यह भी सूचित करना है कि राज्य सरकार एंव निजी क्षेत्र के अस्पताल भी पर्याप्त नहीं हैं। यह एक आदिवासी एंव मजदूर बहुल क्षेत्र में स्थित अस्पताल है अत: आदित्यपुर स्थित E.S.I.C. अस्पताल में सेकंडरी केयर ट्रीटमंट के लिए रेफरल की सुविधा पुन: अविलम्ब बहाल की जाए। साथ ही यहाँ पर 250 बेड के अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाए।

(v) Regarding plan to tackle the negative impact of Corona virus menace on Indian economy

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): कोरोना वायरस को भारत में फैलने से रोकने हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की चिंता व उनकी भारत वापसी हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा की गई व्यवस्थायें सराहना की पात्र हैं। इस आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा समय पर उठाये गये कदमों का यह परिणाम है कि स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है।

इस आपदा ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। जब ऐसा लग रहा था कि मंदी के दौर से उबरने के आसार नजर आ रहे हैं, फिर से संकट के बादल गहराने लगे हैं। चीन में लगभग 75 करोड़ आबादी घरों में बंद रहने के लिए मजबूर है और 18 बड़े शहरों में औद्योगिक संस्थानों में उत्पादन लगभग बंद है।

भारत के औद्योगिक क्षेत्र के अनेकों सेक्टर चीन द्वारा निर्यात कि ये जाने वाली वस्तुओं पर निर्भर हैं। भारत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अपना 43 प्रतिशत आयात चीन से करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, वस्त्र उद्योग, दवा उद्योग आदि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर चीन से आयात पर निर्भर है। चीन में औद्योगिक गतिविधियां धीमी पड़ने का प्रभाव भारत के उद्योगों पर पड़ेगा। भारत का पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित होगा। मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय फिल्मों के चीन में बढ़ते व्यवसाय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत का चीन को निर्यात भी प्रभावित होगा। ऐसा माना जा रहा है कि चीन को वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए कम से कम 6 माह का समय लगेगा। इस कारण भारत के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोकने हेतु सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे। चीन पर निर्भरता कम करने हेतु दीर्घकालीन योजना पर कार्य प्रारम्भ करना हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनायेगा।

(vi) Participation of Members of Parliament in administrative board of educational institutions

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के शासक मंडल में जनप्रतिनिधि (क्षेत्रीय विधायक) को सदस्य के रूप में शामिल कि या जाना अनिवार्य है जिसका प्रभाव यह होता है कि जनप्रतिनिधि विद्यार्थी, शासक मंडल व शासन के मध्य सेतु के रूप में कार्य करते हुए उस शैक्षणिक संस्थान के विकास में अपनी महत्वूपर्ण भूमिका निभाते हैं।

माननीय ठीक उसी तरह मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों के शासक मंडल में जनप्रतिनिधि (क्षेत्रीय सांसद) को भी शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ भी जनप्रतिनिधि विद्यार्थी, शासक मंडल व शैक्षणिक संस्थानों में चलाए जा रहे केन्द्र शासित योजनाओं के मध्य सेतु के रूप में कार्य कर सकें जिसका सार्थक व अनुकूल परिणाम देशव्यापी स्तर पर आपको समस्त केन्द्र शासित शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त होगा।

(vii) Regarding Tripura Tribal Autonomous District Council

श्री रेबती त्रिपुरा (त्रिपुरा पूर्व): त्रिपुरा राज्य अन्तर्गत त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रीक्ट कांउसिल (ADC) की सीट की संख्या एवं बजट बढ़ाने हेतु इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया जाए। त्रिपुरा ट्राइबल (ADC) के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि एवं प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि हेतु इस संशोधन की आवश्यकता है। इस त्रिपुरा ट्राइबल (ADC) की वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होने से त्रिपुरा के जनजातियों का जमीनी स्तर पर सामाजिक विकास होगा तथा पूर्वोत्तर सहित त्रिपुरा में बसे जनजातियों की भी बहुप्रतीक्षित आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि त्रिपुरा ट्राइबल (ADC) का संशोधन विधेयक सदन में लाया जाए।

(viii) Need to provide irrigation facilities to Adivasi people living in forest area in Narmada and Bharuch districts, Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): गुजरात में विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नर्मदा एवं भरूच जिलों में वन भूमि के पटे कई सालों से आदिवासियों के कब्जे में थे तथा उन पर वे खेती करके अपना गुजारा कर रहे थे। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने उन वन भूमि धारकों को पूर्ण अधिकार दे दिया है और वे आज जमीन के मालिक हैं। यह केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का एक सराहनीय एवं उत्तम कार्य है। परन्तु आदिवासियों को जो जमीन (पट्टे) मिले हैं वो ज्यादातर फॉरेस्ट विलेज के गांवों में हैं। जमीन का मालिकाना हक देने के बाद अगर उन्हें पूरे साल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिजली कनेक्शन और सौर ऊर्जा की सुविधा प्रदान की जाए तो इससे वनों में रहने वाले आदिवासियों का शहरों की तरफ पलायन बंद हो जाएगा और साल भर सिंचाई की सुविधा की वजह से वे अपने गांव और समाज के साथ रहकर ठीक से अपना जीवन निर्वहन कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से आग्रह है कि वन भूमि धारक किसानों को मालिकाना हक देने के बाद अब उन्हें सिंचाई की सुविधा भी प्रदान की जाए।

(ix) Need to modernise and develop Porbandar Railway Station in Gujarat as a model railway station

श्री रमेशभाई एल. धडुक (पोरबंदर): मेरे संसदीय क्षेत्र पोरबंदर, गुजरात में कीर्ति मंदिर है जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कि यादों से जुड़ा हुआ है और हर साल लाखों की संख्या में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को कीर्ति मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। पोरबंदर में मत्सय एवं नमक उद्योग भी काफी फला फुला है। परंतु वर्तमान हालात में पोरबंदर की स्थिति बहुत ही खराब है। जिससे यहाँ पर्यटन का विकास नहीं हो पा रहा है, एवं मेरी आपके माध्यम से रेलवे से मांग है कि पोरबंदर रेलवे स्टेशन के पास महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा गांधी का स्टेचू बनाया जाए।

अत: मेरी रेलवे मंत्री महोदय से मांग है कि पोरबंदर रेलवे स्टेशन का तुरंत आधुनिकीकरण कर इसे एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए।

(x) Need to provide compensation to farmers who suffered damage to their crops caused by heavy hailstorms in Rewa Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा में भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ लेकिन आज तक प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों को जल्द मुआवजा देने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित करे।

(xi) Regarding conservation and development of historical fort at Deora in Chhatarpur district, Madhya Pradesh as tourist destination

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में खजुराहो से जटाशंकर धाम जाये तो इस सड़क मार्ग पर देवरा एक स्थान है, जहां का किला आज भी ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हैं। इसमें 100 फीट ऊंचा बना स्थान बारादरी राजा के बैठने की कुर्सी पर से हरियाली घाटी देहरादून को मात करती है। दरवाजों पर कलाकारी अपनी कहानियां कहते हैं। पर्यटक विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले रखा है तथा इसकी सफाई मरम्मत कई साल पहले कराई गई थी। इसके रख-रखाव के अभाव तथा टूरिस्टों की नजरों से दूर होने के कारण यह ध्वस्त हो रहा है। इसे पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार अपने अधिकार में ले तथा सफाई, रिपोरिंग संरक्षण कर यदि इसे टूरिज्म रेस्ट हाउस में तब्दील करे या पी.पी.पी. मोड में देकर विकसित कराये तो एक प्राचीन विरासत संरक्षित होगी तथा टूरिस्टों के आकर्षण का केन्द्र भी बनेगा।

(xii) Need to provide benefits under Kisan Samman Nidhi Scheme to farmers in Madhya Pradesh

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। गरीब किसानों को सम्मान निधि का पैसा दिया जाए जिससे गरीब किसान राहत महसूस कर सकें। राज्य में बहुत से जिलों में किसानों को एक किश्त भी नहीं मिल पाई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा दिया जाए।

(xiii) Regarding issuance of alleged illegal armed licence in Banswara district, Rajasthan

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाँसवाड़ा जिले के गढ़ी विधान सभा के उपखण्ड कार्यालय में कथित रूप से अवैध लाइसेंस जारी करने का बहुत बड़ा मामला सामने आया है।

उपखण्ड कार्यालय गढ़ी, जिला बॉसवाड़ा, राजस्थान में लम्बे समय से कथित फर्जी तरीके से अवैध लाईसेंस जारी किए हैं जिसकी संख्या 75/2020 रिकार्ड दर्ज हुई है।

टोपीदार बंदूकों के धड़ल्ले से लाईसेंस जारी करने के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि पहले सिस्टम में सेंध लगाकर कथित रूप से अवैध लाईसेंस की बंदरबांट की गई और बाद में चुनाव के दौरान इन अवैध हथियारों को बिना कि सी सरकारी रिकार्ड के थाने में जमा भी करवा दिया और आचार संहिता हटते ही वापस इन्हें बंदूक मालिक को दे दिया गया।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी रिकार्ड में जब इन 65 बंदूक धारियों के लाईसेंस थे ही नहीं तो आखिर थाने में इन्होंने हथियार जमा कैसे कराए? क्या इनका रिकार्ड तक नहीं जांचा गया?

गढ़ी तहसील क्षेत्र में कथित अवैध हथियारों का होने की संभावनायें हैं। यह क्षेत्र अति संवेदनशील है। पूर्व में परतापुर-गढ़ी में व डूंगरी में दो समुदायों के बीच झगड़ा हो चुका है।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।

(xiv) Need to remove areas having ground water in Churu Parliamentary Constituency from the list of dark zones

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू के राजगढ़ ब्लॉक को केन्द्रीय भूजल आयोग द्वारा डार्क जोन घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्षेत्र के किसानों व उधमियों को ट्यूबवैल पर बिजली कनैक्शन नहीं दिया जा रहा है। राजगढ़ ब्लॉक में भूजल कि स्थिति यह है कि लगभग क्षेत्र में खारा पानी है तथा कुछ प्रतिशत क्षेत्र में ही मीठा पानी है। मीठा पानी वाले क्षेत्र में भूजल का स्तर 300-400 फीट तक है जिसकी वजह से पूरे राजगढ़ ब्लॉक को डार्क ज़ोन घोषित कर दिया गया है। राजगढ़ ब्लॉक के उक्त खारा पानी वाले क्षेत्र को झींगा मछलीपालन की दृष्टि से पानी को उपयुक्त माना गया है। ड्राई क्षेत्र होने के बावजूद भी राजगढ़ ब्लॉक के खारे पानी की झींगा मछली देश में सबसे अच्छी क्वालिटी की पायी गई है। साथ ही मछलीपालन को अभी भी उद्योग में शामिल किया जा रहा है जिससे कि सानों को काफी परेशानी हो रही है। अत: मेरे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है की जल शक्ति मंत्रलाया द्वारा केन्द्रीय भूजल आयोग को एडवाईजरी जारी कर देश के अन्य राज्यों की तरह पंचायत स्तर पर सर्वे करवाये जाए एंव जिन पंचायतों में पानी का स्तर अभी भी अधिक है उन पंचायतों को डार्क जॉन से हटाया जाए ताकि किसान नई तकनीक के माध्यम से अपने आय के स्त्रोतों में वृद्धि कर सकें। साथ ही मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू के राजगढ़ ब्लॉक के उक्त खारे पानी वाले क्षेत्र में किसानों को बिजली कनैक्शन देने के लिए अनुमति मिल सके तथा मछलीपालन को उद्योग से हटकर कृषि में शामिल किया जाए।

(xv) Regarding deleting entry relating to wild boars/wild pigs from Schedule III of the Wild Life Protection Act

SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI): Pollachi Parliamentary Constituency is spread over nearby Tiruppur, Dindigul and Coimbatore Constituencies. The wild boar or wild pig from the western Ghats entered Udumalpet, Pollachi and Palani and destroyed thousands of acres of agriculture lands and attacked the villages. Wild Pigs cannot be killed as per Wild Life Protection Act vide Schedule III entry number 19. Secondly, it is very difficult for villagers to fight these animals because they come in groups. In view of the facts placed before the August House, I request the Government to remove the entry relating to Wild Boars / Wild Pigs from Schedule III of the Wild Life Protection Act to save the crops and the human beings.

(xvi) Regarding merger of Banks

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): FM announced merger of Andhra Bank with UBI as part of consolidation of public sector banks. I welcome this. Recently, the Union Cabinet has taken a decision to merge all banks into 4 big banks.

I represent Machilipatnam where seeds of AB were sown by late freedom fighter late Dr. Bhogaraju Pattabhiramaiah a century ago with just Rs. 1 lakh as initial paid up capital and 10 lakhs of authorized capital. Efforts by staff of Andhra Bank, successive Governments of Andhra Pradesh and Telugu people, the operations of Andhra Bank spread by leaps and bounds and now its business turnover stands at more than Rs. 4 lakh crores.

The point is that the pride and prestige of Telugu people is attached with Andhra Bank and merging it with UBI will hurt their sentiments. Secondly, it is recognized world over as a 'Telugu Bank'. Thirdly, AB is very strong financially and has a strong recognition.

I had submitted last time when Allahabad Bank was merged with the Indian Bank that Chennai had been chosen as its headquarters. In the same way, Canara Bank which is the pride of Karnataka has its headquarters at Bengaluru. So, it would be more appropriate and justified to merge UBI and Corporation Bank with Andhra Bank as its financial position is very strong, name it as Andhra Bank and keep its headquarters in Vijayawada orMachilipatnam.

(xvii) Regarding changes or amendments on Kharland Development Scheme

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Government of Maharashtra (Water Resources Department) vide letter dated 4th June, 2018 had proposed to the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India for carrying out changes or amendments on Kharland Development Scheme in CRZ notification, 2018.

The CRZ Notification 2018 has been published by the Central Government on 18/01/2019 but the changes which the Ministry of Water Resources, Government of Maharashtra had requested were not incorporated by the Central Government. Therefore, all Private Kharland Schemes need to be approved under the Coastal Regulatory Zone.

I, therefore, urge upon the Central Government to incorporate the changes/amendments proposed by the Maharashtra Government on Kharland Development Scheme in the revised CR notification to be issued in future.

_____

13.34 hrs

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITIES BILL, 2019
Amendments made by Rajya Sabha

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 13, माननीय मंत्री जी।

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्वसमावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:- "

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "सत्तरवें" के स्थान पर शब्द "इकहत्तरवें" प्रतिस्थापित करें।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" प्रतिस्थापित करें।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्वसमावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:- "

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "सत्तरवें" के स्थान पर शब्द "इकहत्तरवें" प्रतिस्थापित करें।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों संख्या 1 और 2 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "सत्तरवें" के स्थान पर शब्द "इकहत्तरवें" प्रतिस्थापित करें।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "2019" के स्थान पर अंक "2020" प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथापारित, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर यह सभा सहमत है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

" कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए संशोधनों पर सभा सहमत है।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

" कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए संशोधनों पर सभा सहमत है। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, आज माननीय सदस्यों का प्राइवेट मैम्बर्स बिल का दिन है, जो आज चलेगा, इसलिए माननीय सदस्य तीन बजकर 15 मिनट तक अपनी बात कहें, 15 मिनट माननीय मंत्री जी अपनी बात कहेंगे और साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मैम्बर्स बिल शुरू होगा।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष, यह रिजॉल्यूशन पिछले छ:-सात महीने से लगातार चल रहा है, महताब जी भी यह कहना चाह रहे होंगे। क्या एक रिजॉल्यूशन में चार सैशन बिता देंगे?

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि दूसरा या तीसरा रिजॉल्यूशन ले लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: सदस्यों का सुझाव बहुत उत्तम है। मैं माननीय सदस्यों की बात पर विचार करके सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर कार्रवाई करे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था दी जाए कि रिजॉल्यूशन की एक अवधि रहनी चाहिए। जैसे प्राइवेट मैम्बर्स बिल के लिए दो घंटे तय होते हैं, इस हिसाब से रिजॉल्यूशन की भी एक अवधि रहनी चाहिए।

मुझे यहां रितेश जी पूछ रहे थे कि मेरा तीन नंबर पर रिजॉल्यूशन है, यह आएगा या नहीं आएगा। यह पहली बार लगा है। वह कह रहे हैं कि अगर दूसरी बार लगने के बाद तीसरी बार नहीं लगेगा, अगर यह चर्चा नहीं होगी और फिर यह लॉटरी में जाएगा। यही सिस्टम है।

अगर आप अवधि तय कर लें कि इतने समय में यह कम्पलीट होगा तो जो पैंडिंग है, चाहे प्राइवेट मैम्बर्स बिल हो या रिजॉल्यूशन हो, उसे ले लिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष**:** माननीय मंत्री जी उपस्थित होंगे। मैंने उनको माननीय सदस्यों के आग्रह पर कहा है कि आज इस संकल्प को पूरा करें। अभी वरिष्ठ सदस्य ने जो कहा है**,** मैं सभी दलों से इस बारे में चर्चा करके विचार करूंगा कि कि स तरह से संकल्प और प्राइवेट मैम्बर्स बिल को कितने दिन और कितने समय में चलाना है। मैं आपके सुझाव पर सभी दलों की सहम**ति** से विचार करूंगा।

13.36 hrs

INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY LAWS (AMENDNMENT) BILL, 2020

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): मैं प्रस्ताव* करता हूं**:-**

> "कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनिमय**,** 2014 का और संशोधन करने वाले तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान **(**प्राइवेट**-**पब्लिक भागीदारी**)** अधिनिय**म,** 2017 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।**"**

इस समय देश भर में कुल 25 ट्रिपल आईटी संचालित हो रहे हैं। इसमें से पांच पूरी तरह केंद्र द्वारा पोषित हैं। इनमें प्रयागराज - उत्तर प्रदेश**,** ग्वालियर - जबलपुर**,** कांचीपुरम -तमिलनाडु और कुरनूल **-** आंध्र प्रदेश हैं। ये संस्थान 2014 के अधिनियम से संचालित हो रहे हैं और लगातार प्रगति के पथ पर हैं। इसके अलावा 20 ऐसे पीपीपी मोड में ट्रिपल आईटी स्वीकृत हैं**,** जो निजी भागीदारी में संचालित हो रहे हैं।

13.37 hrs (Shri N.K.Premachandran *in the Chair*)

महोदय**,** इस क्षेत्र में यह पहली बार देश में इस तरह का मॉडल होंगे**,** जो सरकारी और राज्य सरकार**,** केंद्र सरकार और उद्योगों के बीच संयुक्त प्रबंधन में चलेंगे। 128 करोड़ रुपये की

---

* Moved with the recommendation of the President.

लागत में 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार, 35 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और 15 प्रतिशत राशि उद्योग क्षेत्र देगा। संयुक्त रूप में मिलकर ये संस्थान खड़ होंगे और खड़े हुए हैं।

पूर्वोत्तर राज्य में अलग से छूट है, जहां 50 प्रतिशत सरकार को देना था, वहां 57.5 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए होगा, जो केंद्र सरकार देगी, 35 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार देगी और 7.5 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र के लोग अपना योगदान देंगे। इनका शासकीय निकाय तीनों को मिलाकर यानी बोर्ड केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योगों के साथ मिलकर बनेगा, जो कि इसका संचालन कर रहे हैं। सरकार पांच वर्षों के लिए आवर्ती व्यय भी देगी और उसके बाद इसे समय-समय पर जो सहयोग हो सकता है, ताकि यह संस्थान और आगे बढ़ सके।

ये पीपीपी मोड में जो संस्थान हैं, वे श्री सिटी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश; गुवाहाटी, असम; बड़ोदरा, गुजरात; सोनीपत, हरियाणा; ऊना, हिमाचल प्रदेश; रांची, झारखंड; धारवाड़, कर्नाटक; कोट्टायम, केरल; नागपुर, महाराष्ट्र; पुणे, महाराष्ट्र; सेनापति, मणिपुर; कोटा, राजस्थान; तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु; कल्याणी, पश्चिम बंगाल; लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हैं। ये 20 ऐसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संस्थान हैं, जो बिल्कुल नए मोड की तरह चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये 20 संस्थान हैं। इनमें से 15 तो पूरी तरीके से संचालित हैं। जो पांच विलंब से संचालित हुए हैं, वे अब अपने यौवन पर आ गए हैं और उन्हीं को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा वर्ष 2017 के अधिनियम के तहत देने के लिए आज हम प्रस्ताव लेकर सदन में आए हैं। ये पांच संस्थान- सूरत, गुजरात; भोपाल, मध्य प्रदेश; भागलपुर, बिहार; अगरतला, त्रिपुरा और रायचूर, कर्नाटक हैं, जिनको आज वर्ष 2017 के अधिनियम के तहत लाकर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करेंगे।

श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इन संस्थानों में अभी तक 14 हजार विद्यार्थी बी.टेक, एम.टेक और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 450 संकाय के सदस्य हैं। मुझे लगता है कि गुणवत्ता और शोध के क्षेत्र में जिस तरह से उद्योगों के साथ मिलकर के पाठ्यक्रम तैयार करके इन छात्रों को तैयार कि या गया है, उसी का परिणाम है कि अभी तक ये जितने भी संस्थान हैं, इनमें हंड्रेड परसेंट बाद में निकलते हैं, परिसर में पहले ही चयन होकर उनको नौकरी

मिल जाती है। अब तक अधिकांश संस्थानों का शत-प्रतिशत है। यदि मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर 70 प्रतिशत ऐसे संस्थान हैं, जिनमें रोजगार उनको अपने परिसर में ही अध्ययन पूरा करने से पहले ही उपलब्ध होता है। इसलिए, मैं समझता हूं कि आईआईटीज के क्षेत्र में जो गौरव पूरे देश के अंदर बढ़ा है, वह पूरी दुनिया में भी बढ़ा है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जितने छात्र हैं, उन्होंने देश का गौरव राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाया है। इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के बाद निश्चित रूप से ये प्रतिभाएं इन संस्थानों से ऐसी निकलेंगी, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। अभी तक इन छात्रों ने जितना काम कि या है, उसने निश्चित रूप से देश का गौरव बढ़ाया है। आज तक यह होता था कि उद्योगों की कोई आवश्यकता थी और आईआईटी के पाठ्यक्रम कुछ और होते थे। दोनों में समन्वय नहीं होता था। इसलिए, इधर के छात्र भटकते रहते थे और उद्योग भी जिस सीमा तक और जिस ढंग से उनको प्रगति करनी चाहिए थी, वे नहीं कर पाते थे। अब पहली बार उद्योगों को इसके साथ मिश्रण करके, जहां वे शोध और अनुसंधान करेंगे, उनका 50 प्रतिशत अध्ययन उन उद्योगों के साथ होगा। चूंकि उद्योगपति स्वयं इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों में निरन्तर यह प्रगति होगी।

श्रीमन् हमारा एक विषय इन पांच संस्थानों को वर्ष 2017 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का था और दूसरा, इसकी एक धारा में एक छोटा-सा संशोधन है। आपका भी इस दिशा में एक संशोधन है, लेकि न वह छोटी-सी पंक्ति है। जो वर्ष 2014 का अधिनियम है, उसमें जो उसकी धारा-40 है, वह तो ठीक है। उसमें लिखा है- 'नाम निर्दिष्ट हो' वह भी सदन के ही तहत है, लेकि न, दूसरी जगह वह नामांकन की तरह 'नाम निर्दिष्ट' शब्द आया है, वह उसी के अनुरूप धारा-41 में भी आना चाहिए था, जबकि धारा-41 में निर्वाचित शब्द आ गया।

इसमें आंशिक संशोधन दोनों को समरूप करने के लिए है, एकरूपता लाने के लिए है। श्रीमन, वर्ष 2014 का जो विधेयक है, उसमें यह व्यवस्था है कि राज्य सभा अध्यक्ष और लोक

सभा अध्यक्ष नाम निर्देशित करेंगे। मैं आपकी सहमति से पूरे सदन का सहयोग चाहता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

HON. CHAIRPERSON : Thank you Minister. Actually, this is a mistake on the part of legislative drafting. Instead of 'nominated', the word 'elected' has been scripted.

Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 and to amend the Indian Institutes of Information Technology (Public-private Partnership) Act, 2017, be taken into consideration."

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Bill.

The Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020 seeks to declare five Indian Institutes of Information Technology (IIITs) set up under the Public Private Partnership mode in Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala and Raichur as institutions of national importance.

Currently, these institutes are registered as Societies under the Societies Registration Act, 1860 and do not have the power to grant degrees or diplomas. On being declared institutions of national importance, the five institutes will be granted the power to grant degrees. I welcome this move and I also support this Bill.

While the specific intent of this Bill is to grant these five institutes to grant degrees, it must also ensure the following measures that will guarantee protection from discrimination, inclusion of weaker sections and mechanism of protection against prejudices and segregation from the administrative system and fellow students. There are so many reports that are coming every day. I think the hon. Minister is also very much aware of this.

These mechanisms are mandatory as several instances reveal that students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and weaker sections suffer a great deal of insults and harassments from the faculty and students alike.

The facts mentioned below will make the august House realise how difficult and dangerous campuses have become for students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

I would like to invite the attention of the hon. Minister in this regard. According to a 2016 survey of 6122 respondents in the 15-34 age group across India conducted by the Centre for the study of Developing Societies(CSDS) and Konrad Adenaur Stiftung, a German agency, young graduates from SC,ST and Muslim communities reported discrimination more than the less educated. Graduate Dalits face the worst of it among social groups – 18 per cent reported it. This is an authentic report. This was published by an agency.

In July, 2017, the University Grants Commission (UGC) issued a warning to the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University after they made a dalit student suffering from liver cirrhosis, leave his hostel without notice. This is the University where, in 2016, the Prime Minister Narendra Modi Ji spoke about Rohit Vemula's death for the first time by saying he was pained.

In December, 2018, two professors at IIT-Roorkee were booked on the charges of sexually harassing a dalit research scholar using casteist remarks against her, and physically assaulting her.

A probe is on against a Benaras Hindu University professor accused of making the SC and ST students' clean toilets.

In July, 2019, a Dalit student at BHU accused two security guards of stopping her from entering a campus toilet because she was a Dalit.

What is the scenario without reservation in the higher educational institutions, especially IITs and IIITs? Researchers from Carnegie Mellon University did a study, which was published in the *American Economic Review,* on 42,914 students from all castes in 215 university-affiliated engineering colleges in India. It showed that 55 per cent of SC and 74 per cent of ST students would not have enrolled in engineering colleges without reservation. Among 1,558 SC women, 1,108 would not have attended a State college in the absence of reservation. That is very important. This is the situation of students in higher educational institutions and this makes the case of institutional safeguards, a priority.

What is the situation of Dalit students if they do not get scholarships? There is ample evidence suggesting that a lot of SC/ST students drop out when they do not get scholarships. In 2017, the Bihar scholarship scam forced hundreds of SC students to drop out of college, according to a report in *The Hindustan Times.* As on 31st January, 2018, pending claims with the Centre with respect to post-matriculation scholarships for SC students amounted to over Rs. 6,800 crore. The Scroll news portal reported that this forced the Dalit students to work in the fields and skip meals in order to continue. In 2018, when the Tamil Nadu Government delayed paying scholarships, it triggered fears of a large-scale of dropout.

This is why, I suggest that the new Indian Institutes of Information Technology must have proper mechanisms that prevent harassment and intimidation by professors on caste and category basis. There should be a

proper mechanism to ensure justice for any form of harassment of Dalit girl students. There should be a robust mechanism for enhancing soft skills and abilities in communications so that the disadvantaged students get an equal opportunity in the campus recruitment.

A Committee should be there to inquire into the atrocities against the Dalit students. That Committee should comprise of representatives of students, faculty and a neutral external expert.

The institutions must have facilities for remedial coaching or other support, which is also a repeated recommendation by academics. It is to skill the students who come from disadvantaged backgrounds owing to which they are unable to compete with their peers. The institutions must establish facilities for preventing dropout among Dalit students from the disadvantaged sections because of the fact that the dropout rates are a major problem among SC/ST groups. According to the Carnegie Mellon paper, On-Time Graduation (OTG) rate for SC students is 0.54 per cent compared to 0.82 per cent for open category students and 0.75 per cent for all students.

In an analysis of dropout rates at IITs for the year 2017-19 by Bharath Kancharla, an HR Professional, it was found that ST students had the highest dropout at 4.2 per cent, followed by SC students at 3.3 per cent, while the rates for the OBC and general categories stood at 2.74 per cent and 2.68 per cent respectively.

Hon. Minister, Sir, earlier there was a system adopted by the Ministry of Human Resource Development. The first UPA Government had set up a

committee to find out the dropout of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students from higher educational institutions like IITs and IIMs. After the NDA came to power, that Committee has not convened its meeting to evaluate the dropout rate of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students from higher educational institutions.

That Committee was very able and effective because many of the eminent personalities from various institutions came together and discussed the matter as to how to tackle the dropout of Scheduled Caste / Scheduled Tribe students from IITs, IIMs and other higher educational institutions. So, a very effective discussion took place. I don't know whether that Committee is still in existence or not. But I would request the hon. Minister to revive that Committee to look into the issues pertaining to the dropout of SC/ST students from higher educational institutions.

Sir, I would not go into all the details. Finally, on behalf of the State of Kerala, I would like to give a suggestion to the hon. Minister. The Indian Institute of Information Technology, Kottayam established as an Institute of National Importance must be made a national centre of advanced research in information technology.

I would urge the Government that the higher education centres that are in public private partnerships must ensure that they do not discriminate against the students belonging to SC/ST categories as increasing reports indicate otherwise in case of IITs and IIMs.

With these words, I conclude my speech. Thank you, Sir.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन), 2020 पर बोलने का मौका दिया है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि इस बिल के माध्यम से एक विशेष अवसर बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जो अथक प्रयास हो रहा है, उसमें एक कड़ी जोड़ने का काम कि या गया है। मैं इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से पांच सस्थानों को पीपीपी मॉडल के माध्यम से अनुमति दी जा रही है। ये पांच संस्थाएं सूरत गुजरात में, रायचूर कर्नाटक में, भोपाल मध्य प्रदेश में, अगरतला त्रिपुरा में और भागलपुर बिहार में हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा कि एक विश्व स्तरीय संस्थान बनाने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार वर्ष 2014 से सत्ता में आई है, तब से केवल आईआईटी ही नहीं, बल्कि देश के तमाम संस्थानों को, जिन्हें वर्ल्ड स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, उसके लिए हर संभव प्रयास करने का काम कर रही है। हर संस्थान को वर्ल्ड स्तर पर पहुंचाने के लिए आवश्यकता के अनुकूल जैसे शिक्षक, टेक्नीकल उपकरण या अन्य चीजें हों, हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है। मैं कह सकता हूं कि पिछले छ: वर्षों में हमारी सरकार ने उन तमाम संस्थानों के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास कि या है।

14.00 hrs

भारत 130 करोड़ की आबादी वाला देश है। नौजवान और छात्रों की संख्या ज्यादा है। यह और बात है कि एक जमाना था, जब शिक्षा में बहुत पीछे थे और उस शिक्षा में तो और भी पीछे थे और खासतौर से मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, जहां आज भी गरीबी है, मैं मानता हूं, गुरबत है, मानता हूं लेकिन मेधा की कमी नहीं नहीं है। परंतु पीड़ा के साथ कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद से ही जो सरकार बनी, हमारा प्रदेश बिहार जहां मैंने कहा कि मेधा की कमी नहीं है। मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के बच्चे, न सिर्फ देश के स्तर पर जब मौका मिलता है, तो अपना नाम ऊंचा करने का काम करते हैं बल्कि विदेशों में जाकर भी अपना नाम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। मगर बिहार उपेक्षित रहा है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर, शिक्षा का जो प्रतिशत था, मगर

विगत दिनों में लोगों में शिक्षा के प्रति काफी रुचि भी पैदा हुई है। हमारे बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने, विशेष तौर पर शिक्षा पर फोकस करने का काम कि या, बच्चों पर फोकस करने का काम कि या और शिक्षा के स्तर को सुधारकर आज हमारा प्रतिशत बढ़ गया है। देश का प्रतिशत भी बढ़ गया है। बहुत सारे गरीब बच्चों की मदद करने का काम भी कि या गया है, जिसकी चर्चा हमारे कांग्रेस के मित्र सुरेश जी कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बिहार की जो सरकार है, बड़े स्तर पर बच्चो का संस्थानों में नामांकन करने के लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी व्यवस्था करने का काम कि या है और चार लाख रुपए तक बिना कि सी ब्याज के बच्चे धनराशि लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर नौकरी उनकी लग जाए तो वे उस धनराशि को वापस कर दें और अगर नौकरी नहीं लगती है तो वापस नहीं भी करें। सही व्यवस्था है। मैं कह रहा था कि बिहार जैसा प्रदेश जहां इस स्तर की जो सरकार ने पहल की है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विश्व स्तर की पढ़ाई वहां पर हो रही है। वहां संस्थान नहीं है। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं। मगर वर्तमान सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। विगत 5-6 सालों के दरम्यिान वहां आईआईएम की भी व्यवस्था करने का काम कि या है। मगर वहां और व्यवस्था की जा सकती है। हमारे बिहार के बच्चे दिल्ली, पुणे, बैंगलुरु और कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे यहां के बच्चे देश के हर भाग में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे प्रदेश से हमारे बच्चे एक बड़ी धनराशि शिक्षा के मद में खर्च करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अगर यह व्यवस्था सरकार के माध्यम से वहीं हमार प्रदेश में हो जाती, तो शायद हमारे बच्चे जो गरीब हैं, मगर उनके मन में पढ़ने की चाह और लगन है, उनको अगर यह व्यवस्था वहीं पर मिल गई होती तो वे वहीं पर अपने परिवार के साथ रहकर कम खर्च में पढ़ सकते थे।

माननीय मंत्री जी उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी और पिछड़ा प्रदेश है। ये भी पीड़ित हैं और मुख्य मंत्री रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में एक संस्था से काम चलने वाला नहीं है। आपकी विशेष कृपा बरसे और बिहार में इस तरह के संस्थान और खुलें। वहां

आईआईटी खुला है। एक आईआईटी खुला है, अभी आप संस्थान में पीपी मोड में लाने का काम कर रहे हैं। और संस्थान भी खोलिए। वहां 11 करोड़ से अधिक आबादी है। वहां मेधा की कमी नहीं है, जैसा मैंने कहा है और स्वयं आपको भी पता है। मैं कह रहा था कि जो पिछड़े प्रदेश हैं, सरकार ने एक अच्छी पहल की है और बहुत सारे आईआईएम्स, आईआईटीज खोलने की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय और विश्व स्तर की शिक्षा बच्चों को मिले, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करने का काम कर रही है।

सर, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि पटना में आईआईटी है। यह मेरे क्षेत्र बिहटा में है। मैं उस समय माननीय सांसद था और यूपीए की सरकार थी।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बिहार के छात्र अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे याद दिलाया। अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर जितनी परीक्षाएं होती हैं, यह हमारे बच्चों को सौभाग्य प्राप्त है, जो गरीब के बच्चे हैं, पढ़ कर सबसे अधिक नम्बर वन स्थान प्राप्त करते हैं, चाहे वह आईएएस, आईपीएस, आईआईटी या कोई भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो, हमारे बिहार के बच्चे उसमें मेधा के बल पर कम्पीट करते हैं। हमारे यहां गरीबी है, मगर बच्चे पढ़ने में पीछे नहीं हैं।

बिहटा में आईआईटी है। मगर माननीय मंत्री जी को उस पर और भी ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। सारे संकायों की स्थापना नहीं की गई है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बिहटा के आईआईटी पर विशेष ध्यान दें और इसमें जो कमी है, उसको दूर करें। सर, मैं आभार व्यक्त करता हूं।...(व्यवधान) देश के लिए कानून बनेगा, तभी गिरिराज बाबू आपका वह बनेगा। शायद ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार ने अच्छा काम किया है, अच्छी पहल की है। वर्ष 2017 में एक प्रयोग किया गया, एक कानून बना, वह हमारी सरकार ने लाया और उस कानून के तहत 20 संस्थान चलाए जा रहे थे। इस विधेयक के माध्यम से आपने और पांच संस्थान ऐड किए हैं। एक अच्छा प्रयोग करने का

काम किया जा रहा है । पीपीपी मोड का मॉडल 15 प्रतिशत है, 50 प्रतिशत भागीदारी भारत सरकार की है और राज्य सरकारों की भागीदारी 35 प्रतिशत के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित की गई है । उद्योगपतियों को 15 प्रतिशत भागीदारी दी गई है । सरकार कुल मिला कर 128 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है । मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि 10 करोड़ रुपये इसको संचालन करने के लिए जो बोर्ड होगा, जो संकाय होंगे, उनको अगले पांच सालों के लिए दिया जाएगा । यह बड़ा ही प्रभावकारी होगा । इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा । सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे संस्थान में बीटेक, एम टेक और पीएचडी में लगभग 14,000 बच्चे हैं । हर साल का नतीजा यह दिखा रहा है, मैंने तालिका देखी है कि 90 प्रतिशत, 96 प्रतिशत, 97 प्रतिशत और कोई संस्थान 100 प्रतिशत बच्चों को जॉब देने में सफल रहे हैं । मैं समझता हूं कि ये संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं और पूर्वोत्तर के लिए विशेष कृपा की गई है । यह हमारी सरकार की पॉलिसी है, उसके अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है । भारत सरकार 97.5 प्रतिशत, राज्य सरकार 35 प्रतिशत और उद्योग की भागीदारी 60.5 प्रतिशत है । मैं समझता हूं कि यह निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है । मुझे भरोसा है कि सरकार के स्तर पर माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर मानव संसाधन मंत्रालय ने इस सकारात्मक पहल को करने का प्रयास कि या है, वह बहुत ही कारगर ढंग से प्रयास कि या है । बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर एवं विश्व स्तर पर प्रयास कर रही है । हमारे यहां मेधा की कोई कमी नहीं है । भारत दुनिया में राज कर रहा है । आप कि सी संस्थान में चल जाइए, वहां वैज्ञानिक देखिए, एक से एक इंजीनियर देखिए, एक से एक डॉक्टर देखिए, एक से एक प्रोफेसर देखिए, भारत की कोई तुलना ही नहीं है । …(व्यवधान) भारत की मिट्टी में जो सुगंध है, वह पूरी दुनिया में फैलती है ।

यह पूरी दुनिया में मेधा के बल पर धाक जमाता है । मैं दो-चार मिनट के लिए आपका फेवर चाहूँगा । कृपया दो-चार मिनट समय और दे दीजिए । मैं तो कम ही बोलता हूँ । शायद इस सेशन में पहली बार बोल रहा हूँ ।

माननीय सभापति: आपकी पार्टी के चार स्पीकर और हैं । इसलिए please conclude.

श्री राम कृपाल यादव : ठीक है सर। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं बिहार के लिए पुन: एक आग्रह करना चाहता हूँ। बिहार में राष्ट्रीय संस्थानों की जिस तरह से आवश्यकता है, वे वहाँ नहीं हैं। आपने दो-दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिए हैं, आपने यह विशेष कृपा की है। लेकिन और केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता है।

पटना विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, यह सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। बहुत दिनों से माँग हो रही है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाए। लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की है।

माननीय सभापति: अब समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, हमारे यहाँ एनआईटी भी है। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एनआईटी की मान्यता दी गई है। उसके भवन बन गए हैं, उसको आईआईटी का दर्जा दे दिया जाए। अलग से कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी। अभी जो एनआईटी कार्यरत है, उसकी कमियाँ दूर की जाएं और एनआईटी को आईआईटी का दर्जा दे दिया जाए, तो बड़ी कृपा होगी। अगर गंगा के उस कि नारे पर एक और आईआईटी खुल जाए, चूँकि वहाँ की आबादी बहुत बड़ी है। वह बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वहाँ कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है, तो बड़ी कृपा होगी।

माननीय सभापति: प्लीज, अब समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आपने लगभग 20-25 संस्थान कर दिए हैं, यह आगे चल पाएंगे या नहीं? यह एक सक्सेसफुल मॉडल है, जो 90 परसेंट से अधिक छात्रों को जॉब्स दे रहा है। यह बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगा कि इसे आगे बढ़ाने की कृपा की जाए। मैं पुन: इस बिल का समर्थन करते हुए और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए और आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill. Basically, I support the Bill because this is just to give the tag of institutions of national importance to five more IIITs at Bhagalpur, Surat, Raichur, Bhopal and Agartala. So, having more IIITs in the country is a welcome step, and I support this welcome step as the way forward to IT education in the country.

May I say -- and the HRD Minister knows -- that these IIITs are not yet of a standard of national importance if you compare them to the IITs or the Indian Institute of Science, Bangalore or the Indian Statistical Institute, Kolkata. Those are institutes that are recognised globally, and your IIITs have not yet come to stand at that level. I would urge him to look into the curriculum of these IIITs to bring them up to the level of IITs.

Having said that, may I say that the education in Information Technology is in a very confused state. In our State also, one IIIT is there at Kalyani, which is a good thing and it is running well. But many engineering colleges open IT courses. Why is it so? It is because there is little cost involved in doing it.

You just set up a few computers, and a few chairs, and you say, you are teaching information technology. Education is not properly done. What they do, they teach physics and mathematics at the early stage, then, they teach hardware and software. There also, I want to point out to the Minister that IT should consist of two parts – hardware and software. Hardware means, how you build a computer, computer circuits, theory, etc. Software means, apply this computer to real work; analysing big problems. Our institutes teach little

about hardware. That is why, while India is on the forefront in the world in software, we are very much behind in hardware. We hardly manufacture. All our computers are imported from abroad. So, it is necessary to develop hardware education in the country so that we can manufacture our own computers. There are some companies which manufacture mobile phones here. As you see, most of our mobiles are imported, like Nokia, etc. So, that should be developed and that should be our aim; to develop building hardware in the country.

As you were saying, the curriculum is flawed. What do they teach? They teach elementary mathematics and physics at the lower stage. As a teacher of physics, I know that their level of physics is not very high but the basic knowledge of physics is necessary to understand IT. Then, they teach certain matters of software like linked list, sorting algorithm, circuit theory, network theory in electronics. These are basics of software and hardware.

You will be aware – Sir, you are a very aware person – that there is a new industrial revolution in the world. It is called, industrial revolution 4.0. Our Rajya Sabha Member, Narendra Jadhav has written a book on Industrial Revolution 4.0. New things are coming. First is machine learning; second is artificial intelligence; third is blockchain technology; and then, there is the internet of things and then, you also have to learn about data structure. These are absolutely new things. It is wonderful how the whole world can be sorted out with the use of artificial intelligence. It will increase the speed of computers by many times. So, these latest things have to be taught in our IIITs.

I would request the Minister to form a committee at his level - I will complete my speech in two minutes; I have supported the Bill – and to take the advice of best people in the country. We have a very good man, Shri Saptagiri Ulaka. He worked in Infosys for 15 years. He is a computer engineer. You have to incorporate such people in your committees.

As I said, Indian companies have captured software market throughout the world. We do data analysis for the top American companies, airlines – all belong to our country. The TCS, Infosys, Cognizant Technology, Mahindra – these are doing work all over the world. In America, half the software work is done by our companies, our boys. Take Consultancy Services take fresh graduates.

HON. CHAIRPERSON : Boys and girls.

PROF. SOUGATA RAY : Boys and girls and send them for a few years but the training in these institutes is so rudimentary that Mr. Ulaka was saying that a company has to spend five per cent of their revenue to properly educate them.

Our education should be in line with the needs of the big software companies. The hon. Minister is saying that a lot of them have got jobs. I would like to know from the hon. Minister as to how many graduates from these fifteen IIITs and from those five have got jobs. Where have they got jobs and at what salary? We do not want our IT graduates to work as cyber coolies. We want them to work as proper data analysts. That is not happening in the country. So, I welcome this Bill. It is a good Bill and it should be supported.

Lastly, I would request the hon. Minister to develop a scientific temperament in the country as Pandit Jawaharlal Nehru used to say. People still believe that *Gaumutra* can cure coronavirus and wearing five rings on yours fingers will take away all your problems. Unless this superstition goes away, we cannot grow. With these words, I support this Bill.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, धन्यवाद। जो Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020, पेश कि या गया है, मैं उसे अनुमोदन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। खासकर पहले 15 इंस्टीट्यूट्स और जो बाकी 5 शेष थे, भागलपुर, सूरत, रायपुर, भोपाल और अगरतला, इन्हें सम्मिलित करके बढ़ावा देने का प्रयास इस बिल के माध्यम से हो रहा है। खुशी की बात है कि मंत्री महोदय जी के माध्यम से इस देश में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर, इस क्षेत्र को अच्छा स्थान देने का प्रयास हो रहा है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। अभी सौगत दा ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के छात्रों ने इस क्षेत्र में अपना स्थान ऊंचा कर दिया है। हमारे महाराष्ट्र का पुणे शहर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हब बन चुका है।

जब यह बिल पेश कि या था तो मंत्री जी ने इस बिल के उद्देश्य में कहा था कि इस क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा मैन पावर क्रियेट करने का एक प्रयास इस बिल के माध्यम से होने वाला है। It will provide the manpower of global standards. दुर्भाग्य की बात है और सभापति महोदय आप इसके अच्छे जानकार है कि देश में यह होता था कि सब बच्चे आई.टी.आई. की तरफ भागते थे। अब आई.आई.टी. की तरफ सभी बच्चे भाग रहे हैं। इण्डियन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में पुणे में इतना अच्छा एजुकेशनल हब और एम्प्लॉयमेंट हब होने के बाद भी कई वर्ष पहले वहां कैंडिडेट नहीं मिलते थे। आज पुणे के सारे आई.टी. सेक्टर्स में हजारों की संख्या में जिनके हाथ से रोजगार निकल गया है, ऐसे बच्चे रोजगार ढूंढते रहते हैं। दुर्भाग्य से आईटी सेक्टर में अच्छा डिप्लोमा या डिग्री मिलने के बावजूद 4-4 वर्ष तक उनको अच्छे जॉब्स के अवसर नहीं मिले रहे हैं। इंस्टीट्यूट का निर्माण करना सही है, लेकिन इंस्टीट्यूट से निकलने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको सही वक्त पर प्लेसमेंट देने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए। आज यह हो रहा है कि हम सभी सांसदों के पास हर दिन कम से कम 2-4 आई.टी. स्टूडेंट्स, एम.ए. से आई.टी. स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं।

मेरी इस बिल के माध्यम से विनती है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज एक आवश्यक बात हो चुकी है और एडवांस टेक्नोलॉजी आने की जरूरत है। इस क्षेत्र में अपने देश के लोग अमेरिका को भी कैप्चर कर चुके हैं।

पूरे देश में इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी सही तरह से चलने के बाद भी इस क्षेत्र में आने वाले सभी बच्चों का भविष्य भी अच्छा बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बिल का समर्थन करते वक्त मैं माननीय मंत्री महोदय से यही अपेक्षा करता हूं कि इस क्षेत्र को और बढ़ावा दीजिए। पांच यूनिवर्सिटीज के अलावा और भी कई यूनिवर्सिटीज की सख्ंया पूरे देश में बढ़ाई जाए। सरकार इस ओर भी ध्यान दे। इन यूनिवर्सिटीज से निकलने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इस हेतु सरकार प्रयास करे। धन्यवाद।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक, 2020 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी। सरकार इस बिल के माध्यम से प्रस्ताव कर रही है कि 5 आईआईटीज को 15 आईआईटीज के अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आईआईटी अधिनियम, 2014 और 2017 में संशोधन कि या जाए। ये संस्थान वर्तमान में पीपीपी के आधार पर भागलपुर, बिहार, सूरत, गुजरात, रायचूर, कर्नाटक, भोपाल, मध्य प्रदेश, अगरतला और त्रिपुरा में स्थापित हैं। इससे पांचों आईआईटी संस्थान भी पहले से मौजूद 15 आईआईटी संस्थानों की तरह बीटेक, एमटेक तथा पीएचडी के लिए नामांकन एवं डिग्री के लिए अधिकृत हो जाएंगे। यह सरकार का काफी सराहनीय कदम है।

महोदय, अब ये संस्थान डिग्रियां प्रदान कर सकेंगे। छात्र पीएचडी कर सकेंगे और देश-दुनिया में इन सभी संस्थानों की साख बनेगी। यहां से पास होने वाले ज्यादातर छात्रों को कैंपस सेलेक्शन मिल जाता है। इससे छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। प्रस्तावित बिल में आईआईटी अधिनियम, 2014 की धारा-41 और उपधारा-3 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि हमारे मिथिला, मधुबनी में भी आईआईटी संस्थान खोले जाएं, ताकि वहां के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके और उनको रोजगार मिल सके।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान आईआईटी में प्राध्यापकों की जगह रिक्त होने की ओर भी दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आईआईटी का कार्य अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान में करीब **822** पोस्टें रिक्त हैं। सभी आईआईटी संस्थानों में इनकी रिक्तियां भी निकल चुकी हैं। प्रश्न यह उठता है कि इतनी रिक्तियों के साथ आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं**?** आप कॉंट्रैक्ट बेसिस पर प्रोफेसर और फैकल्टी को रखेंगे तो फिर वहां उनकी जॉब सिक्योर नहीं रहेगी। तब उत्तम शिक्षा की आशा नहीं की जा सकती है। अत**:** मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी आईआईटी संस्थानों में रिक्त प्राध्यापकों के पदों को भरा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to support the Bill for the very reason that India has emerged as a very important power in the field of information technology. I recall that here in 2014, the four IIITs were recognised. Before that, the first IIIT was established in Allahabad. Subsequently, three more IIITs were established - one in Gwalior, one in Jabalpur for Design and Manufacturing, and one in Kancheepuram which was also for Design and Manufacturing and they were elevated to the status of institutes of national importance.

The point which I would like to mention here is that India has made its presence felt in the field of information technology. Our engineers who came out from IIITs have made their impact felt and a number of institutes have flourished throughout the country.

A number of State Governments have also been encouraged towards establishing IIITs. It is not only the State Governments, but here is a unique chance that the Union Government is also trying to encourage the private players. It should also be linked with employment. That is how the different organizations especially, the industry sector also gets involved in the education mechanism.

Here, I would like to mention that this Bill is required to grant degrees to the students of IIITs, which are setup under PPP mode. It will also grant status to the 15 IIITs established in PPP mode and declare them Institutes of National Importance. It is also supposed to be self-sustainable within five years of commencement and therefore, needs to have appropriate financial process in

place. State Governments will identify one industry partner for collaboration to establish an institute and submit a proposal to the Union Government.

The basic feature of this Bill, which I can find and as was mentioned by Prof. Sougata Ray is this. What is our weakness? Our weakness is, we are not focusing on developing our hardware. Wherever the IT Sector is flourishing, we are giving more focus on the software mechanism. That is the reason why most of the components are being imported and that is the reason why we hardly manufacture computers but we have become one of the masters of assembling different equipment and producing it and sending it to the market.

My second point is that there should be uniformity in the curriculum, which is actually not happening. When we are increasing the number of institutions now, it is really required that we have uniform curriculum also in all these IIITs.

I would like to mention that we did not discuss the budgetary allocation relating to HRD Ministry. But Budget 2020 has increased the allocation for the education sector by five per cent to Rs.99,311.52 crore in this financial year. Of this, the Department of Higher Education has been allocated Rs.39,466.52 crore, while the School Education and Literacy Department was given Rs.59,845 crore. For the Skill Development Ministry and its various programmes an allocation of Rs.3,002.21 crore has been proposed. But the point is, how much money are you going to devote for R&D especially, relating to IIITs or relating to IT Sector. That also needs to be demarcated so that we

can make a beginning from 2020 and in another five years' time we will be on a better footing so that our R&D also increases.

It is important that these institutions open their doors and enable themselves to be more relevant to the area they are operating in. Such institutes should create a cadre of cyber security professionals which can be utilized by the Government as the threat of cyber attack is mounting. The institutes must also play a role in triggering the start-ups culture in the country.

The need for India to improve upon its capability in producing innovations is to be stressed upon observing that the US and Europe have overtaken us in this regard and the country lags way behind globally in innovation. Attention must be drawn towards the PPP model in the ratio of 50:35:15 prevalent in IIITs, wherein 50 per cent is given by the Union Government, 35 per cent is given by the State where the institute is setup, and 15 per cent is given by the private establishment.

My suggestion is, the participation of private sector in the PPP model must be enhanced. Questions with respect to the private sector's management and control must be also looked into. Government should also focus on linking education with employment and Government must clarify on the vetting process for inviting private participation in the PPP model in IIITs.

The need for a common syllabus throughout the country has to be focused upon, considering the problems faced by students in clearing competitive entrance examinations for institutes like IIITs and IITs due to lack of uniformity in syllabus. Standardization of fee structure also needs to be

done. The global ranking of Indian universities is another concern. These challenges can be addressed by initiating a quality assurance system for faculty and through increased funding for R&D.

With these words, I conclude my speech and I support the Bill.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Hon. Chairperson, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Indian Institute of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020. I would like to say that I am hailing from Tamil Nadu which has historically been a pioneer in any form of education, be it school education, college education or any other education. Our great leaders like *perunthalaivar* Kamraj, *perarignar* Anna and *kalaignar* Karunanidhi have understood the importance and significance of education and they have been instrumental in establishing so many schools, colleges and universities.

Having said that, with so much of work done by these leaders, it is a sad state that we hear discomforting reports that the present Government is trying to close several schools and planning to open up TASMAC outlets. This is a situation in which I hope the Central Government would be able to intervene because we all believe that the Central Government has a lot of influence over the present Government in Tamil Nadu. *Kalaignar* Karunanidhi has been a person who started the first institute in the country, that is, the Indian Institute of Information Technology in Tamil Nadu. We also have great amount of opportunities for the students. I understand that these institutes will be opened up on PPP model. I would like to emphasize that proper reservations should be ensured in these colleges. Whenever we talk about anything outside of the Government with a little bit of support from the private sector, immediately the reservation policies are thrown up in the air. I would like to insist upon this

Government that since it is giving 50 per cent of the funds, adequate reservations should be provided as per the prevailing State's rights. Right now, in Tamil Nadu we have a 69 per cent reservation policy. I hope these institutions will also ensure that 69 per cent reservation is provided for all the students as well as the staff who are employed in the university.

I would like to talk about the state of affairs of all the educational institutions in our country. Right now, the Government of India does not have any statistical analysis about the number of institutes needed in our country. I feel this unsolicited starting up of engineering colleges is one of the reasons why we see now engineers being recruited as sweepers and cleaners in toilets. This is the state of affairs of our graduates. We keep telling our children that they should study properly so that they can get good jobs. Having toiled for several years, if they are told that they are going to end up as sweepers, I think it is a very dismal state of affairs. The Government of India and we should all be held accountable and we should be ashamed of this state of affairs. We have to have some kind of analysis, be it for medical colleges or engineering colleges, as to what the exact number of requirements is for engineers, information technology students, doctors or dentists. I have seen some instances where dentists are working for Rs. 8000 or less while a nurse or even a car driver gets paid more than that. We are talking about technical education and qualification, but we are not assuring them of adequate salaries or they are not able to employ themselves on their own. With already dwindling

economy of our country which is bordering on recession, more impetus should be given on educating these people also.

The unemployment rate is so high and we are talking about e-commerce whereas this is taking away the already existing employment. We are talking about e-pharmacies whereas they are taking away all the pharmacists. There are 8.5 lakh pharmacists in this country and there are court verdicts which have banned e-pharmacies.

The Central Government has not given any impetus to the court's order and they are still permitting that to go on. I would like to ask the Health Ministry, through you, to look into this matter and do justice to these people.

Thank you very much.

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): Thank you for allowing me to speak on the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020. I rise to speak in favour of the Bill and the amendments proposed therein, especially the amendments to the IIIT Public-Private-Partnership Act, 2017 whereby five more IIITs set up under the PPP framework are sought to be declared as Institutes of National Importance. These are at Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala and Raichur. The details have already been provided by the hon. HRD Minister and other hon. Members who have spoken.

India has been unfortunate to miss out on the first two industrial revolutions of the modern world: the one in the late 18th and early 19th century and the other in the late 19th and early 20th century. It is not only that we missed out on these landmark shifts in the world technology and economy but we were also at the receiving end of feeding these revolutions by the West. We were not just a vast market for the industrial products but had to undergo a corresponding period of de-industrialisation, a fact which was first brought out by Dadabhai Naoroji and lately by our eminent colleague Dr. Shashi Tharoor also. However, we captured the opportunity and latched on to the third industrial revolution, the one that focussed on information and telecommunications, or, as it is called in popular parlance, the digital revolution. Prof. Sougata Ray also mentioned the Industrial Revolution 4.0, a term which was coined by Klaus Schwab of the World Economic Forum.

India's economic growth in recent times owes a lot to this opportunity that India's IT industry contributed in 2017 almost 7.7 per cent of the country's

GDP and is likely to rise to more than 10 per cent by 2025. Again, in 2017, the industry provided direct employment to almost four million people and indirect employment to another ten million. In 2019, IT services industry alone created over two lakh new jobs. IT giants like Microsoft, Oracle Cognizant, Samsung, etc., are hiring aggressively from our colleges. To ensure that we capture this demand for skilled manpower in this sector, we have to ensure more and more such institutes of higher learning so that issues of quality faculty and quality students could be addressed, a curriculum suited to the needs of the industry and the job market are designed accordingly, and the linkage between the industry and the academia is deepened and expanded.

In the current Budget of 2020-21, as was brought out by hon. Member Shri Mahtab, Rs. 39,467 crore have been allocated for higher education. Out of this, the IITs have been allocated Rs. 393 crore; and world-class institutions another Rs. 400 crore. However, as was brought out earlier, research and innovation still leave a lot to be desired. This, I guess, is reflected when we look at the low rankings of our universities in the global rankings. Only three institutes – two of which are IITs and the third one an IISc – figure in the top 200 universities of the world. This is essentially on account of lack of research papers published.

Another area of concern is our gross enrolment rate which is very low compared to the western world or the developed world. We claim to be – and we are on the path of becoming – a global leader as far as education and higher education is concerned but this needs to be addressed.

I would also like to say that in these institutions stringent quality assurance mechanisms have to be put in place so that the graduates that we produce from here have a value in the job market and do not end up being 'technology coolies' as was being mentioned by another hon. Member.

I am sure that adding these five IIITs to the list of INIs will go a long way in helping us retain our pre-eminence in the IT sector and help us in achieving our goal of a $ 5 trillion economy by 2024.

With these words, I support the Bill and I am quite sure that it will be passed by the House unanimously. Thank you.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, आपने मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिल पर बोलने का मौका दिया है। मैं देख रहा हूँ कि जो पाँच इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर्स खोले जा रहे हैं- भागलपुर, बिहार में, सूरत, गुजरात में, रायचूर, कर्नाटक में, भोपाल, मध्य प्रदेश में और अगरतला, त्रिपुरा में। सबसे पहले तो मेरी आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट खुलवाए। अगर अमरोहा में खुलवाएं, तो बहुत अच्छा होगा।

मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है और हम देख रहे हैं कि पिछले दशक में सरकार अपने आपको सोशल सेक्टर से, एजुकेशन के सेक्टर से लगातार विद्ड्रा कर रही है। खास तौर से जो गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको इसका नुकसान हो रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फीस इतनी बढ़ जाती है कि गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे वह फीस नहीं दे पाते हैं। अच्छा कदम है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से इंस्टीट्यूशन्स क्रिएट किए जाएं, लेकिन उसके साथ-साथ इन इंस्टीट्यूशन्स में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसका ख्याल रखा जाए कि एम्प्लॉयमेंट में भी और एडमिशन में भी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ न हो। वरना हम यह देख रहे हैं कि जब से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, तब से लगातार सरकार की यह कोशिश रही कि कि स तरीके से सरकारी नौकरियों और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को खत्म करके प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाए, जिससे रिवर्जेशन की इस देश में रिलेवेंसी खत्म हो जाए।

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ भी कहें, लेकि न धरातल पर यह समझ में आता है कि अभी पिछले हफ्ते मैं अपने जिले अमरोहा में जिला विकास की बैठक में था। उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री जिला प्रभारी मंत्री और हमारे जिले के कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पर थे। वहां पर हमने जब लेखा-जोखा लिया, तो पता चला कि पिछले एक साल से ओबीसीज़ और माइनोरिटीज़ की जो स्कॉलरशिप है, वह स्कॉलरशिप नहीं मिली। जब यह सवाल कि या गया कि क्यों नहीं मिली, तो पता यह चला कि साहब पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन बंद है। पोर्टल पर

जब तक केवाईसी नहीं होगा, जब तक रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक पिछड़े वर्ग और माइनोरिटीज़ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यह ऑन रिकार्ड है, पूरा डेटा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन्स खोलें, लेकि न उनके बारे में जैसे कि कुछ दूसरे सदस्यों ने भी कहा, मेरे यहाँ गाजियाबाद के अंदर बहुत सारे, जब दिल्ली से मैं अमरोहा जाता हूँ, तो ऐसे सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स और इंजीनियरिंग के कॉलेजेज़ हैं, जो बहुत तेजी से आए थे, प्राइवेट लोगों ने खोले थे, लेकि न आज सब बंद हो चुके हैं। उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से दुनिया की लिस्ट में हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में गिरावट आई है, मतलब शुरू के 200-500 में हमारा कहीं दूर-दूर तक नम्बर नहीं आता है।

अगर नम्बर आता है तो कि सी एकाध संस्थान का नम्बर आता है। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार आरएंडडी पर ज्यादा बजट दे और जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की ग्रेडिंग होती है, उसकी प्रक्रिया पर भी मानव संसाधन विकास मंत्री जी ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को एमिनेंस की ग्रेडिंग बगैर उनकी आरएंडडी रिसर्च कि ये दे दी जाती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Thank you, hon. Chairperson, Sir. The Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020 intends to grant statutory status to five IIITs, under PPP mode, at Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala, and Raichur, so that they can get the status of Institutions of National Importance.

It will empower the Board of Governors of these five IIITs to start new courses, including dual degree courses. It will also enable the institutes to attract enough students required to develop a strong research base in the country in the field of Information Technology. Twenty-one posts of Directors and Registrars would be created for each IIIT and one for IIITDM Kurnool. By this initiative of the Government of India, these institutions will impart knowledge in the field of Information Technology to provide solutions to the challenges faced by the country and to provide manpower of global standards for the information technology industry.

But the Indian Government has to remain focussed on the quality of education while increasing capacity so as not to dilute the IITs. The focus of the new institutions should be on attracting the best of faculty and setting-up state-of-the-art labs. While location does make a difference in attracting world-class faculty, the new institutions should focus on developing as centres of excellence in particular fields, rather than trying to be good in everything.

India's premier tech and business schools should also focus on more inclusive education and incorporate more courses and curriculum in subjects, such as History, Economics, and English. Creating a robust academic culture

and at the same time, having an industry connect, are crucial for the new institutions. The issue is not about where to set-up new IITs and IIMs, but about investing enough resources, finding faculty, and putting in place enough good leadership.

To gain critical mass, new institutions need early location of a permanent campus, better resourcing, assurance of continuity to the first directors, and identification of good project managers for infrastructure development. IIT-Hyderabad, which is considered among the more successful of the new IITs, has attracted students who scored ranks from 530 to 1000 in the Joint Entrance Examinations. It managed to place around 70 per cent of the B.Tech batches. Some innovative steps need to be taken which includes enabling young faculty members to set-up state-of-the-art research laboratories, and introducing a new academic programme. There is an urgent need to create more seats for quality management and engineering education in India and just the mushrooming of new IITs and providing them with the status of institutions of national importance may not be a guarantee of achieving that.

For institutions to deliver education that fits into the IITs brand name, they have to ensure quality and the best way to ensure that is to elevate established institutions to IITs; and also follow the Roorkee and the Varanasi models rather than set-up new ones at obscure locations.

With these words, I support the Bill. Thank you, Sir.

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): महोदय, आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

यह जो बिल आज लाया गया है, इसमें पाँच और संस्थानों को हम इस बिल के द्वारा वैधानिक दर्जा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी डिग्री या हायर एजुकेशन, जो पीएचडी वगैरह है, वे डिग्री वे दे पाएंगे। इसके साथ डूअल डिग्री कोर्सेज जो हैं, उन्हें भी वे चला पाएंगे। गवर्नमेंट ने जो यह निर्णय लिया है, मैं गवर्नमेंट के इस निर्णय को सपोर्ट करता हूँ और इस बिल को सपोर्ट करता हूँ।

दो-चार सवाल हमारे ऑपोजीशन बेंच की तरफ से भी आए हैं । उसके बारे में थोड़ा एच.आर.डी. मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि in recent years, a lot of private colleges have already been closed down. They had these courses. क्या मार्केट में डिमांड है? मंत्री जी ने बताया है कि जो छात्र आई.आई.आई.टी. से पढ़ कर निकले हैं, उनमें ज्यादातर लोगों को जॉब मिल गई है। यह बहुत अच्छी बात है। As the Minister of Human Resource Development is present here, I take this opportunity to speak on the overall situation of higher education in India. पहले तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।

महोदय, इस हाउस के माध्यम से इस डिबेट को ओरिजिनेट करना चाहता हूं कि whether higher education is for all or not. अगर यह होना चाहिए तो इसमें कितने पैसे जाते हैं और उस पैसे से सिर्फ एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम. की जो डिग्री के कागज मिलते हैं, क्या वे ही काफी हैं? जो रिसर्च है, जहां हायर एडुकेशन के प्राण बसते हैं, जो उसकी आत्मा है, उस रिसर्च में दिनों दिन हम बहुत पीछे जा रहे हैं। जैसा कि मेरे से पूर्व मेरी पार्टी के बृजेन्द्र सिंह जी बोल रहे थे कि हमारे यहां बहुत कम साइंस के ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं। वे इसमें नहीं आते हैं क्योंकि हर जगह यूनिवर्सिटी है । मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था । यूनिवर्सिटीज में लैब्स नहीं होते हैं और आपको वर्ल्ड क्लास जर्नल में पब्लिश करने के लिए कम्पीट करना पड़ता है, especially in case of science. How much money are we

pumping in science and technology? अगर आप बेसिक साइंस की डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो साइंस की दुनिया में कोई आपको नहीं पहचानेगा। अगर आपको सुपर पावर बनना है तो वह साइंस के थ्रू ही बनना है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसमें आई.टी. है और उसके साथ बेसिक साइंस भी है। आज कितने साल हो गए, इस बेसिक साइंस में हमें नोबल पुरस्कार नहीं मिला। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि इतने सालों में हम साइंस में नोबल पुरस्कार क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हमारे रिसर्च में इन्नोवेटिव थिंकिंग है। पिछले कुछ सालों में हमने इसमें बहुत उन्नति की है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस से और माननीय मंत्री जी से बोलना चाहता हूं, यह सुनने में सबको अच्छा लगेगा कि पियर ट्रिब्यूट जर्नल में पब्लिकेशंस की संख्या के मामले में चीन को पछाड़ कर हम थर्ड पोजीशन में आ गए हैं। यह बहुत अच्छा अचीवमेंट है। जो आई.आई.टीज़. हैं, आई.आई.आई.टीज़ हैं, आई.आई.एस.ई.आर्स. हैं, सभी साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी में अच्छा पब्लिकेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें और बेहतर करना चाहिए क्योंकि जो रिसर्च है, वह इन्नोवेटिव थिंकिंग के अलावा आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए इन्नोवेटिव थिंकिंग पर जोर देना चाहिए। आई.आई.आई.टीज़ इस गैप को फिल-अप कर रही है। प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? हमारे ऑपोजीशन बेंच की तरफ से यह इंफॉर्मेशन आई है कि उनका जो रेवेन्यू है, उसका 5 प्रतिशत उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है, for training the new job seekers. इसके बारे में सोचना चाहिए।

अन्त में, मैं इतना बोलना चाहता हूं कि हमारे स्टेट में भी कल्याणी में एक आई.आई.आई.टी. है। पर, प्रॉब्लम यही है कि हमारे स्टेट में जो डेवलपमेंट होता है, वह स्टेट के सबसे बड़े शहर कोलकाता में होता है। हमें एक एम्स मिला था। उसे भी कल्याणी ले जाया गया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से डिमांड करता हूं कि मेरे उत्तर बंगाल क्षेत्र से अभी एक शांति स्वरूप भटनागर एवार्डी हैं, जो अभी सी.डी.आर.आई. के डायरेक्टर हैं। लेकिन, हमारे

यहां कोई इंस्टीट्यूट नहीं है । इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप उत्तर बंगाल के बारे में सोचिए। वहां बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, उसका यूज कीजिए।

SHRIMATI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Hon. Chairperson, I congratulate the Government on introduction of the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020.

As we all know, the Bill amends Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 and the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017.

It is important to state that the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 declares certain Indian Institutes of Information Technology established under Public-Private Partnership mode as institutions of national importance. Under the Act, 15 institutes are currently incorporated as institutions of national importance.

Now the said Bill seeks to declare five Indian Institutes of Information Technology (IIITs) set up under the Public-Private Partnership mode in Surat, Bhopal, Agartala and Raichur as institutions of national importance.

15.00 hrs

Currently, these institutions are registered as Societies under the Societies Registration Act, 1860 and do not have the powers to grant degrees or diplomas. On being declared institutes of national importance, the five institutes will be granted the power to grant degrees which is a very considerate and thoughtful idea which the Government proposes to materialise through the provisions of this Bill.

The proposed legislation also provides for rectification of a major error under the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 by substituting the word `elected' with `nominated' for clarity.

Hon. Chairperson, talking about the need or impact the provisions of the Bill shall have, I would like to state that the Bill will declare the remaining 5 IITs-PPP along with the existing 15 Indian Institutes of Information Technology in Public Private Partnership mode as `Institutions of National Importance' with powers to award degrees. The effect of this will be that this will entitle them to use the nomenclature of Bachelor of Technology or Master of Technology or Ph.D degree as issued by a university or institution of national importance. It will also enable the institutes to attract enough students required for development of a strong research base in the country in the field of information technology.

Sir, talking about the manifold impact and benefits, I would like to conclude by giving a brief background and sharing some vital information. As we all know, IITs are envisaged to promote higher education and research in the field of information technology, under the scheme of setting up of 20 new IITs in Public Private Partnership (IIT PPP) mode as approved by the Union Cabinet on 26.11.2010, 15 IITs are already covered by the IIIT (PPP) Act, 2017, while the remaining 5 IITs are to be included in the Schedule of the Act.

15.03 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

The Indian Institute of Information Technology Act of 2014 and Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 are

unique initiatives of the Government of India to impart knowledge in the filed of information technology to provide solutions to the challenges faced by the country. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Next speaker Shri E.T. Mohammed Basheer. As the hon. Minister was scheduled to reply at 3 p.m and we have to conclude this Bill by 3.15 p.m. and intelligent speakers speak only for three minutes.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, as you suggest. Sir, I agree with the provisions of this Bill. But I would like to express something that I feel very strongly and that is, there is not much farsightedness and strong vision in the field of education. We do not understand our strengths. This is the era of internationalisation of education. This is also the era of a knowledge-driven society. In this peculiar situation, India can give leadership to the entire world as far as education is concerned. But in the present scenario, are we capable of this? Can our education system develop and reach that standard? That has to be examined with an open mind.

Sir, I wish to say that the kind of goals that we set for ourselves is also poor. I know the hon. Minister, since I worked with him in a Committee, he is a very loud thinking person. Why am I saying that the goals we set for ourselves is poor? In this new world order, we have got a lot of opportunities. Our planning should also be in keeping with such opportunities. That requires reforms in the education sector and that too it has to be very fast. Earlier, the saying was `survival of the fittest' but now it has changed to `survival of the fastest'. The Government has to be on the fast track. With regard to our

planning I would like to say that we must have a high ambition. Our former hon. President, Dr A P J Abdul Kalam used to advise students to dream.

He said, goal setting is very important in education. So, what I am saying is that we have to be very careful in all this kind of things.

A country is not judged on how many institutions it is having. On the other hand, it is judged on how many institutions a country is having to meet the challenges, to fight the competitiveness of the internal era. In that regard, framing of curriculum is very important. Unfortunately, the budding generation in our country is not capable of competing in the international education sector. So, we have to think in that way also. Similarly, I would like to tell the hon. Minister that his Department is known as HRD. Normally, in States, it is known as Education Department. What does HRD mean, Human Resource Development. But what is happening? I am not blaming anybody. I would like to make an appeal to the hon. Minister that we should not put our country into a water tight compartment. We must have a liberalized policy and broad mindedness in the education sector. I quote Pandit Jawaharlal Nehru. He said: `ideals should be the guiding factor as far as Indian education system is concerned. He also said: A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas and for the search of truth. It stands for onward march of human race towards ever high objectives." …(*Interruptions*). I am just concluding.

So, what I am saying is that we must have a liberal policy. The hon. Minister is liberal, but the entire Government should do it in the same way.

Actually, what is happening is, his good ideas and liberal mentalities are shrinking in our educational sector.

Before concluding, I request the hon. Minister that reservation principle should be adhered to strictly in educational system, especially in higher education.

With these words, I conclude.

प्रो. एस. पी. सिंहबघेल (आगरा): माननीय अध्यक्ष, मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक के पुरजोर समर्थन मेंअपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, पांच संस्थान सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचुर इसकी कवरेज में आ जाएंगे। मैं जिस राज्य से आता हूं, जिस शहर से आता हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सातवां राज्य है। चेयरपर्सन साहब ने कहा था कि प्रयागराज में पहला संस्थान खुला था, प्रयागराज में पहला खुलना ही चाहिए था, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ही पुष्पक विमान का निर्माण किया था। उनको श्रद्धांजलि देने हेतु यह संस्थान खुलना ही चाहिए था।

हमारे राज्य में लखनऊ में निजी और प्रयागराज में सरकारी संस्थान है। लखनऊ के बाद सहारनपुर, गाजियाबाद और बागपत तक उत्तरप्रदेश है, जिसमें बृज क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है, ये जिले अपने आप में कई राज्यों के बराबर हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु आगरा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आगरा में संस्थान खोलने का कष्ट करें।

ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। इसमें 30-40 विश्वविद्यालय बन गए हैं, माननीय मंत्री जी इसे सैंटर यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, तो बहुत कृपा होगी। आगरा कॉलेज वर्ष 1823 से है। तब उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था, यह कोलकाता विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था, उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दें तो बहुत कृपा होगी।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में हमारी धमक ट्रिपल आईटी और आईआईटी की वजह से है। मैं सिंगापुर गया, तो एक ने मुझे देखकर कहा कि आईटी, आईटी, आईटी। उसने कहा,- face is like an IITian, but he is not dressed up like an IITian. मैं कुर्ता-पजामा पहने था। हमारी पहचान चेहरे से आजकल आईटी के रूप से होती है। राइट ब्रदर्स ने जहाजबाद में बनाया, हमारे पास आईआईटी नहीं थी, लेकिन पहले यह बन चुका था। बुलेट प्रूफ जैकेट कर्ण के पास पहले थी, दुनिया ने बाद में बनाई। फायर प्रूफ जैकेट होलिका जी के पास पहले थी, दुनिया में बाद में बनी। ब्रह्मास्त्र और अग्नि बाण हमारे पास पहले से था, परशुराम जी ने बनाया था, अमेरिका ने बाद में मिसाइल बनाई।

अगर सूचना प्रौद्योगिकी की बात करूं तो जब कंस अपनी प्यारी बहन देवकी को लेकर मथुरा जा रहे थे तो आगरा के पास ही आकाशवाणी हुई थी कि तुम जिसको लेकर जा रहे, उसका आठवां पुत्र तुम्हें मारेगा, इस प्रकार मार्कोनी ने वॉयरलेस बाद में बनाया, रेडिया बाद में बना। अगर आप नारद जी को देखेंगे तो, जहां भी कोई घटना होती थी, नारद जी वहां पहुंच जाते थे। इस प्रकार सूचना की तकनीक में हम बहुत आगे थे। हमारे पुरखों ने जो गौरवशाली परम्परा रखी है, हम विश्व गुरु थे, आज नहीं हैं, लेकि न मोदी जी के नेतृत्व में और बीजेपी सरकार के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हम सूचना तकनीक में भी विश्व गुरु बनने का काम करेंगे। ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे बैच में एकाध लड़का इंजीनियर बनता था और जब हम जॉब में आए तो पूछते थे कि इंजीनियर का घर कौन है, तो लोग बताते थे कि पीली वाली कोठी इंजीनियर का घर है। आज पूछते हैं कि इंजीनियर साहब का घर कौन हैं, तो कहते हैं कि वे झोपड़ी में, कि राये पर रह रहे हैं, क्योंकि वे अन-एम्पलॉयड इंजीनियर हैं। केवल उनके नाम के आगे इंजीनियर लग जाता है, लेकिन जॉब नहीं मिलता है। आईआईटी और ट्रिपल आईटी ने जो अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा है, आपसे अनुरोध है कि उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I rise to speak on the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020. I support the Bill which brings five IIITs as Institutes of National Importance which are at Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala and Raichur. I have some suggestions to give to the hon. Minister.

Firstly, the distribution is quite lop-sided. We have Gujarat, Maharashtra, UP, MP which have two IIITs but many States like Punjab, Odisha, Goa, Chhattisgarh, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya and Mizoram have none of them. So, there should be equal distribution of IIITs. We have scope of five more IIITs which are coming up. You may consider the same.

There is very slow progress of the IIITs and the dual degree course is still not done. Funds are not available for infrastructure and the campuses are also temporary. For example, Trichy and Raichur have temporary campuses. Funding needs to be increased.

I will come to the basic points on information technology since I have the background of information technology. There are two big challenges. One is the employment issue and the other is the employability issue. When I talk about the employment issue, let me tell you that there are ten lakh engineers from private engineering colleges who are without employment. About 15 to 20 per cent of them in IITs still do not have campus placement. This is a big problem.

I will explain the reason as to why this is happening. Information technology in India started with a global development model which is basically on cost arbitrage like Wipro, under Narayana Murthy and all that. They used to provide cheap labour in comparison to other developed countries; and our IT picked up but slowly, when they started inducting more and more people, the quality of education in the engineering colleges came down.

I was a Manager myself. I used to interview people for recruitment in my Institute. I observed that they never understood the concept of Physics or Maths, forget about engineering concepts. Premier Institutes spend five per cent of their revenue to train the engineers who have graduated from premium engineering colleges. This is something with which we will be struggling day in and day out. I will give you some statistics.

HON. CHAIRPERSON : Do not go into statistics. Kindly make your last point.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : Sir, 80 per cent of Indian engineers are not fit for any job in knowledge economy. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I would request the Minister to give you special audience so that you can explain him the issue relating to this context.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : Sir, I want to help the Government to solve the problem as we are in crisis.

Sir, information technology is something through which we are trying to solve the crisis that we are in. We are not into cost arbitrage or anything. With AI and mechanical learning in the IITs and the block chains, we are not able to compete with other developed nations. We have countries like Vietnam,

Malaysia and others which are competing with India because that cost arbitrage is no more there. We need to develop the curriculum; we need to change the colleges and we need to align these colleges with the industry.

With these words, I would like to support the Bill but unless and until you involve the industry in technical education, we cannot succeed and you should think rationally to improve the quality of education.

15.15 hrs

***SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE):** Hon'ble Chairman Sir, thank you very much for allowing me to speak. I rise to support this IIIT Bill. You have approved 15 institutes throughout the country and you have also approved this institute at Pune. After your approval, the state Government had allotted the land for his institute. I personally pursued for this and wrote many letters. Pune is known as an IT hub and this kind of institute is very much required there. But, I am totally clueless about the fate of this institute as I do not know about the future developments. Due to the paucity of time I would not take much time. Hon. MoS represents our state of Maharashtra and therefore I would like to request him to call a meeting in this regard as per his convenience. This institute must be started at the earliest. I have come to know that one builder has encroached that land. So, I would like to request the concerned authority to look into this matter and call a meeting to know the actual position. I support this bill. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : You have made your point. Thank you.

Now, Shri P. Raveendranath Kumar.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR : Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me the opportunity to speak on the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020.

Sir, I take this opportunity to welcome the move of our hon. Minister for Human Resource Development, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank*ji,* for amending both, the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 and the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017.

I welcome this Bill as its aim is to develop new knowledge in information technology, to provide manpower of global standards for the information technology industry, and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto.

At this juncture, although my State of Tamil Nadu is already blessed with IIITs in Kancheepuram and Trichy, I would request the hon. Minister for HRD, through you, Sir, to consider the feasibility of establishment of one more IIT in my Theni Parliamentary Constituency under the PPP mode, which would enable the deserving students from southern parts of Tamil Nadu State to have their research and higher education in the field of Information Technology, at par with international standards.

Sir, my colleague from the DMK, Dr. Kalanidhi Veeraswamy said that the Tamil Nadu Government is closing the schools and opening the TASMAC. This is not true. He is giving a wrong statement in this House. The Tamil Nadu Government is undertaking various schemes for the development of schools

and the students. The Tamil Nadu Government, under the leadership of our hon. Chief Minister, Shri Edappadi K. Palanisamy, is spending more than Rs. 30,000 crore for the development of education sector and also for the development of students.

HON. CHAIRPERSON: This is a good suggestion for the Minister; good suggestion for the Government.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR : Sir, the DMK is talking about the opening of TASMAC but they are manufacturing liquor. …(*Interruptions*) The leaders of the DMK are running a distillery, and selling liquor to the TASMAC. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, I am calling the next speaker.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR : Sir, I will just conclude.

Sir, this Bill paves the way, resulting in increasing complexity of this technology. Therefore, it is the need of the hour to know what we can do for the success of the information technology implementations, and to achieve or intended values. This is a business imperative. With these words, I conclude. Thank you.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, thank you very much for giving me the opportunity to participate in this discussion. I am proud of the fact that out of the 15 institutions, one institution is in Kerala, in Palai district which lies in my Constituency, Kottayam. It was accorded by the then hon. Minister for Human Resource Development, with the efforts of my predecessor, Shri Jose K. Mani, who wanted that Kottayam be the Centre of Excellence, and an education hub. Sir, I am glad that the IIIT was established in Kottayam. It is also appreciated that the Government has taken an initiative for establishing five more IIITs, in addition to the 15 IIITs which are already existing. I would just suggest that the Government should go ahead in alignment with the industries and institutions of excellence, which we have already done.

In Kerala, this institute is supported and partly managed by the Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram. They give all the technical support and administrative guidance.

HON. CHAIRPERSON : Mr. Thomas, if you can give suggestions within one minute, that would be better. Otherwise, I will have to call the next speaker.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN : Sir, that is what I am doing.

The new institutions as well as the existing institutions should be encouraged to have connection with the industry so that the courses would become modern and the students also would be getting the most modern facilities.

*DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I welcome this Bill. At the same time ,I wish to bring some points to the notice of Hon. Minister. The Union Government is engaged in surveillance and spying all the Indian citizens on the basis of Aadhar through UIDAI. I want to say that this information has been acquired through an RTI application. Hon. Supreme Court in its verdict has categorically stated that information found in Aadhar should only be used for Social Welfare Schemes and not to be used or linked to any other thing. I wish to say that Aadhar card information should neither be linked to Voter I Card, Bank Cards nor should be used for surveillance and spying too. The information in detail in this regard have come out in Private Magazines. It can be used to make voters unable to cast their vote. It is painful to note that the Government is taking steps which are against the judgement of Hon. Supreme Court. Hon. Minister for Home Shri Amit Shah while replying to the discussion on Delhi Riots in this august House said that the Government is using face recognition software to identify persons in the country. I want to say that it is illegal and against the verdict of Hon. Supreme Court. This should be prevented. The personal information about an individual is a matter related to his privacy. Similarly photograph of a person is something relating to his privacy. Any violation on this is unacceptable. The Union Government has the responsibility to protect this personal information of

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

every individual. I bring this to the notice of Hon. Minister and urge him that this should be stopped. Thank you.

माननीय सभापति: श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, एक मिनट में अपनी बात बोलिए, जस्ट सजेशन्स दीजिए।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): सर, मैं केवल एक मिनट लूंगा । सर, मैं आईआईआईटी लॉज (अमेंडमेंट) बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज मुझे डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो आद्य अभियंता हैं, की याद आ रही है। आज अपने देश में ऐसे पांच इंस्टीट्यूट पीपीपी मोड पर शुरू होने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्राब्लम यह है कि इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, टेक्नोक्रैट्स तैयार हो रहे हैं, लेकि न they are taking only theoretical knowledge without any practical application. उनकी प्रैक्टिकल एप्रोच नहीं है । मैं सरकार का अभिनंदन इसलिए कर रहा हूं कि this PPP model will actually give practical approach to engineers and technocrats, because that is the need of the hour.

सर, पहले बोलते थे कि ऑयल पर वार होने वाली है, बाद में बोलते थे कि वाटर पर वार होने वाली है, लेकि न the next war will be on information and database. That is why, setting up of these IIITs on PPP mode is very important. देश के लिए एक सही दिशा में, राष्ट्रीय महत्व के इश्यू की दृष्टि से सरकार बहुत अच्छा कदम लेने जा रही है।

मैं जलगांव से आता हूं, जो जीरो का इन्वेंशन करने वाले भास्कराचार्य का स्थान है। मैं यह नहीं बोलूंगा कि वहां पर आईआईआईटी खोलिए, but I would request the Minister that, at least, a Software Technology Park should be set up there and Business Processing Offices should also be established there. This is my submission.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill. I would like to suggest to the hon. Minister to declare the Indian Institute of Information Technology and Management, which is an autonomous institution at Thiruvananthapuram, also as an institute of national importance in future at least for which I have already given a notice for an amendment also.

This is giving statutory recognition to five more institutes. Now, the total tally would come to around 20 institutes, that is, 20 IIITs in our country having national importance and significance. The main two objects of this Institute are: 1) to impart expertise knowledge in the field of IT to provide solution to the challenges being faced by the country, and 2) to provide skilled manpower of international standard to the IT industry. Sir, the institutes are even empowered to use the nomenclature B.Tech., M.Tech. and even Ph.D. The Board of Governors is also empowered even to start new courses including the dual degree course. So, such an empowerment is being given to these Institutions.

I would like to flag two to three issues in this regard. First is regarding the quality of education. The quality of education is one of the major challenges being faced by the country. Then, even the New Education Policy of which the Draft has already been circulated, is also giving thrust to have the higher education, and also to improve the quality of higher education. My point is: whether there is any quality assessment review mechanism in these IIITs so as to assess the standard of education imparted in these institutions because these students coming out of these institutions have to compete with the

students of the international standard. So, in these 15 institutions, which have already been declared as institutions of national importance, whether such an assessment regarding the quality has been done. My suggestion is that there should be a quality assessment review mechanism in which the Ministry and the Government should also have a role in having such a review mechanism.

My second issue is about the fee structure. Sir, you have also cited the issue of fee structure. We know that when it is a PPP model, the expenses have been borne by the students, who are studying in those institutions. So, it is marginalising the poor and common people of this country. So, how would the poor meritorious students be able to get admission in these institutions because they are imparting better education of international standard? So, my suggestion is that there should be a fee regulatory system in place. The Government of India is providing budgetary support to these institutions. So, definitely, the Government should have a financial as well as social control over these institutions because they are working, running and functioning with the budgetary support of the Government of India.

Lastly, regarding the placement, as rightly asked by Prof. Saugata Ray-ji, what is the rate of placement of these 15 institutions, which we are already having during the last three to four years? With these few suggestion, I conclude. Thank you.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Mr. Chairman, Sir, it does not need any emphasis that information technology has a key role to play for the development of a nation.

If any State has a better claim to have IIIT, that is Jammu and Kashmir. But unfortunately, Jammu and Kashmir has been made to lag behind. Jammu and Kashmir earns a lot of foreign exchange through export of handicrafts, fruits and tourist industry, and it needs IIITs more than any other State. we need a trained workforce and a trained manpower so that whatever ICT tools are to be integrated in export and for the development of the State, are in place.

So, till an institution is set up, I would request that the National Institute of Technology, Hazratbal, Srinagar be also declared and brought within the fold of the Act, and given statutory recognition so that the manpower that we get out of it, is not only trained but also gets recognition around the IT experts, to play a big role in the national development. Thank you.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, मेरा कहना है कि प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू करने का समय हो गया है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू किया जाए।

HON. CHAIRPERSON : Let me take the sense of the House. Is it okay to extend the time till this Bill is passed?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: All right. We will be starting the Private Members' Business after this Bill is passed. We would pass it as early as possible.

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस संशोधन बिल के बारे में दो शब्द रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस संशोधन बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, पांच जगह में यह हुआ है और इससे देश भर के विद्यार्थियों को जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन मैं जिस प्रदेश से आया हूं, उस प्रदेश का भी कहीं न कहीं अधिकार है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, उसमें झारसुगुड़ा एक जिला है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों के कारण हाल ही में वहां काफी कुछ हुआ है। ओडिशा में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां झारसुगुड़ा में हैं। वेदान्त एलमोनियम लिमिटेड है, महानदी कोयला कंपनी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू भी झारसुगुड़ा में है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज झारसुगुड़ा में हैं और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस जिले के आसपास बहुत सारे विद्यार्थी बैंगलुरु, मद्रास, कोलकाता और दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यह भी यहां बताना चाहता हूं कि एक भी सरकारी कॉलेज झारसुगुड़ा में नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी की एक संस्था झारसुगुड़ा में भी हो।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, at the outset, I am according my affirmative nod to the legislative document under the tittle, the Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020.

The Bill amends the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 and the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017. In the year 2010, the Indian Institutes of Information Technology Bill, 2010 was introduced in Lok Sabha. The Bill sought to grant the status of Institute of National Importance upon the four IIITs. So, it is a long-drawn process that has been carrying on by the successive Governments.

Yes, India has been recognised across the globe as a *Mecca* of information technology because we have established the miniature form of Silicon Valley in our country at Bengaluru. Once upon a time, Obama, the former President of America, suggested his countrymen that, 'if you do not have the requisite knowledge, then jobs would go to Bengaluru.' So, we have had the capacity of developing this kind of empire of information technology. Once upon a time, we had been subjugated by the British colonial power by dint of their adequate wherewithal and the scientific power that we did not have at our disposal. That is why, they had been able to subjugate us by their scientific power. But now, the situation has been totally turned to a 360-degree angle. Now, Indian people have been dominating the western world in terms of information technology. We had been able to offer the world Sundar Pichai and Satya Nadella, the greatest product of our country. So, we need more and

more IIITs and IITs, etc., in our country. It is because IT sector is a sector which could be recognised as a knowledge-based industry. Without spewing smoke, we can establish a knowledge-based industry that we have had.

Sir, I know there is a scarcity of time but I would like to draw the attention of the hon. Minister to two or three issues. There is a lopsided distribution. You are establishing 15 plus five but for the Eastern India, you should pay a little more attention. That must be our demand.

Second issue is the slow progress. None of the 20 IIITs established have started Dual Degree courses yet, due to inadequate infrastructure, which is being set at slow pace. Thirdly, there is a serious infrastructural institutional gap. IIITs, as per PPP Model, were set up to be autonomous, non-profit, self-sustaining and research-led educational institution. However, all of these institutes are started without any permanent campus.

मतलब आप काम करते हैं, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है । इसलिए आपको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक फंडिंग का सवाल है, the parent act provides for the Central Government funding for the recurring expenditure of the institution during the first five years of operation. That has been earlier mentioned by Shri Bhartruhari Mahtab Ji also. As noted above, many institutes still function without a permanent campus. The Central Government should ideally provide funds for recurring expenditure during the first five years after the development of fully functional permanent campus, as the transition to another campus and the following period can be a challenging one.

Last but not the least, हम जो करते हैं वह अपने नौजवानों की नौकरी के लिए करते हैं। आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के बाजार में आईआईटी पास किए हुए लोग झाड़ू लगाने वाली नौकरी के लिए भी परेशान हैं। जो बच्चे आईआईटी पढ़ लेते हैं, 15-20 per cent Indian Institute of Technology graduates do not get campus placement. The degree granting status does not spell an end to the problem of unemployment particularly in the IT sector. So, these are the issues that I think Minister will certainly ponder over. We are all supporting the Bill and wishing for the success of these institutions because our future lies in information technology but the world has been changing rapidly. Now, we have to deal with the robotics, machine learning etc. Our future generation need to be well-equipped with the emerging conditions of the world.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं भागलपुर जिले से हूं और केन्द्र सरकार जो पांच इंस्टिट्यूशंस, प्रॉमिनैंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है, आज उसमें भागलपुर भी इस बिल का पार्ट है। मेरा एक दर्द यह है कि बिहार राज्य है, भागलपुर मेरा जिला है और मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है कि मैं आज भी भागलपुर का वोटर हूं। मैं तीन बार झारखंड से सांसद चुना गया हूं। यहां बगल में मुंडा जी बैठे हुए हैं। मैं जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं, उसमें और बिहार में काफी फर्क है। हम झारखंड से सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। इस देश का 40 प्रतिशत माइंस और मिनरल्स, उद्योग धंधे, जहां से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, वह सारा क्रेडिट झारखंड और झारखंड के लोगों को जाता है, लेकिन आप मंत्रालय की तरफ से डिसक्रिमिनेशन देखेंगे, तो बिहार को दो केन्द्रीय विश्व विद्यालय दिए गए हैं, एक उत्तर बिहार में और दूसरा दक्षिण बिहार में। मसूदी साहब यहां बैठै हुए हैं। जम्मू में अलग विश्वविद्यालय है और श्रीनगर के लिए अलग विश्वविद्यालय हैं। यह सौभाग्य की बात है कि मैं विक्रमशिला में पैदा हुआ हूं, वह मेरा गांव है, वहां आज मेरे माता-पिता रहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है और उसका पैसा दिया हुआ है, लेकिन बिहार सरकार जमीन नहीं दे पा रही है, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है। यह एक ऐसा राज्य है, जहां तीन-तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। बगल में मुंडा जी बैठे हैं। झारखंड दो पठारों छोटनागपुर और संथाल परगना से मिल कर बना है। इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, इंस्टिट्यूशन की बात कर लीजिए, कि सी भी सरकार को रांची से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। मुंडा जी की कृपा है कि देवघर में बीआईटी चालू है। हमारा जो राज्य है, जहां देवघर है, जहां से मैं सांसद हूं, वहां रामकृष्ण मिशन वर्ष 1921-1922 में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर बना। वह इतना अच्छा स्कूल है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से लेकर, बिहार, झारखंड और बंगाल के सभी पदाधिकारी सोचते हैं कि उनके बच्चे रामकृष्ण मिशन में पढ़ें। हमारे यहां इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अडाणी आ रहा है, पावर प्लांट आ रहा है, माननीय प्रधान मंत्री जी की कृपा से वहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ रहा है। चूंकि झारखंड इस देश को

चला रहा है, हमारे पास 40-42 प्रतिशत माइंस और मिनरल्स हैं। संथाल परगना सबसे पिछड़ा इलाका है, वहां डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप जिस तरह से बिहार में तीन विश्वविद्यालय दे रहे हैं, जम्मू-कश्मीर में दो विश्वविद्यालय दे दिए, भारत सरकार ने दो एम्स दे दिए, आज देवघर को एक ट्रिपल आईटी दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी डिमांड रिकॉर्ड में आ गयी।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैं भागलपुर के लिए एक बार पुन: आपको बधाई देता हूं कि मेरे गृह क्षेत्र, जन्म स्थान को आपने यह दिया। इसके लिए जय हिन्द, जय भारत।

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Hon. Chairperson, I rise to support the Bill. But there are certain queries that I would like to put forward here.

According to this Bill, the said Act, the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 was enacted to declare certain Indian Institutes of Information Technology established under the public-private partnership mode as Institutes of National Importance. It is the definition of national importance that I want to question here.

According to the definition of Institute of National Importance, an Institute of National Importance is the one that serves as a pivotal player in developing highly skilled personnel within the specified region of the country or State. This definition says a lot without saying anything at all.

What are the guidelines for determining who a pivotal player is? What distinguishes highly skilled personnel? This needs to be specified because we need to set the criteria as to on what basis we are choosing these institutes as Institutes of National Importance.

This is my last point. सर, मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में तमाम ऐसे गरीब, पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोग हैं, जिनके बच्चों की कॉलेज की छात्रवृत्तियाँ अभी तक नहीं आई हैं । माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है कि इसे देखते हुए उन लोगों को जरूर...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : It is a request and it is not connected to the Bill**.**

SHRI RITESH PANDEY : Yes, absolutely. But I would like to make the request. Please allow and assure that these people get the money.

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam Chairperson.

The great visionary, Dr. Kalignar had introduced the IT Policy in the year 1998. In the Government's schools, we had introduced Computer Science as a subject way back in the year 1998, which even the students and IT professionals now would have forgotten. In 2000, we had set up an IT ITDEL Park with thermal energy storage system which was then the third largest system in the world. This was followed by a 1,000-acre IT Park at Siruseri which was inaugurated by our leader, Thiru Stalin. Then we have IT Parks at Trichy-Navalpattu, Tirunelveli, Madurai and Salem.

So, what I am saying is that, having so much of excellence in IT, power and technology and being the pioneers in this field, I would like to know from the Central Government if they know that a part of India, that is pioneer in this field, still exists, and it is called as the State of Tamil Nadu, the State of Kerala, the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh. It is because we are continuously being neglected in the budgetary allocations and in the railways. Yesterday, when the Bill relating to Ayurveda was taken up, there was no talk of any institution being set up in Kottakkal. So, I would like to request them to give consideration to us and have centres of excellence at Kancheepuram and Trichy by establishing Indian Institute of Information Technology over there.

Also, my last point is that reservation in the institutions under the public-private partnership mode should be strictly adhered to. Thank you very much for this opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Anubhav Mohanty, you have one-and-a-half minute. Others were provided one-minute each only.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, one-and-a-half-minute time is okay. I am thankful to you for giving me extra 30 seconds.

I will just speak of a few concerns from my side. Sir, the need for a common syllabus throughout the country has to be focussed upon, considering the problems being faced by students in clearing the competitive entrance exams for institutes like IITs and IIITs due to lack of uniformity in syllabus. Standardisation of the fee structure should be there.

Now, I have a few questions. The IIITs under the PPP mode were established over the last seven years. The institutes have fund allocation of Rs.128 crore for establishing the infrastructure. This amount is shared among the Central Government, the State Government and the industries. Has there been any study on the adequacy of funds for establishing a good IT institution?

During the first four years, the Central Government will provide partial support towards the recurring expenditure up to Rs.10 crore for each IIIT depending on the actual requirement. Is this adequate for the institute to sustain the initial phase? Is there any study on how these institutions will be able to sustain over a long time in the absence of revenue funding? Is there any study on the quality of education provided by these institutes? What is the employment scenario for graduates from these institutes?

Are these institutes eligible to receive the research grant provided by different Ministries of the Government? Is the Government planning to establish an IIIT under PPP scheme in the State of Odisha? In Odisha, we already have one under the State PPP scheme, which could be included in this

Act or a new one could be established. Considering the importance of self-employment and entrepreneurship in technology sector, incubation centres are required which require additional funding and participation of industries.

Sir, these are my few questions through you to the hon. Minister. I hope he will give certain answers which will satisfy the State of Odisha and the nation. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON : There is an unending list of speakers. The hon. Minister can understand that there is so much of interest relating to IIIT.

Dr. Satyapal Singh ji was a former Minister of HRD. He also wants to speak on this issue.

Now, Dr. Satyapal Singh ji.

DR. SATYAPAL SINGH (BAGHPAT): Thank you, Chairman, Sir, I stand here to support the hon. Minister for bringing in this Bill as well as getting the curriculum of all these technical institutions upgraded and making it almost modern.

Sir, I come from Baghpat area, which happens to be the most backward area in the NCR around Delhi. There is neither a State institution nor an all-India institution. It is one of those few places which have their names since Mahabharata Era. It used to be known as Vyaghraprastha.

Sir, through you, I would request the hon. Minister to at least set up one technical education institution, whether it may be an IIT or IIIT. Thank you, Sir.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमान, मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर हो रही चर्चा में बड़ी उदारता से सभी लोगों को सहभागी बनाया।

श्रीमान्, सुरेश जी ने इस बिल पर चर्चा को शुरू कि या था। उसके बाद राम कृपाल यादव जी, प्रो. सौगत राय जी, विनायक राऊत जी, रामप्रीत मंडल जी, भर्तहरि महताब जी – श्रीमान स्वयं आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, डॉ. वीरास्वामी जी, बृजेन्द्र सिंह जी, कुँवर दानिश अली जी, बी. बी. पाटील जी, डॉ. सुकान्त मजूमदार जी, श्रीमती गोड्डेटी माधवी जी, मोहम्मद बशीर साहब, एस. पी. सिंह बघेल जी, सप्तगिरी उलाका जी, गिरीश बापट जी, रविन्द्रनाथ जी, सी. थॉमस जी, तिरुमावलवन जी, उमेश पाटिल जी, आदरणीय प्रेमचन्द्रन जी, हसन साहब, सुरेश पुजारी जी, अधीर रंजन साहब, निशिकान्त जी, रितेश जी, सेंथिल जी, अनुभव जी और डॉ. सत्यपाल जी के सहित लगभग 30 लोगों ने चर्चा में भाग लिया।

श्रीमान्, इस बिल पर बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। जैसा कि सब लोगों की चिंता रही है, लगभग दो-तीन विषयों पर सबकी चिंता रही है। नंबर-एक चिंता रही है कि इसमें आरक्षण हो रहा है या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2017 का जो एक्ट है, उसमें यह व्यवस्था है कि जो भी इस एक्ट से संचालित संस्थाएं होंगी, उनको इसका पालन करना पड़ेगा।

दूसरी बड़ी चिंता यह है कि हम लोग डिग्री तो दे रहे हैं, लेकि न जो रोज़गार के अवसर हैं, वे हम कैसे देंगे। मैंने पहले भी कहा कि इस देश में इतना खूबसूरत मॉडल शायद पहली बार आया है। उद्योगों के साथ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर उन छात्रों को अवसर देगी। मैं चार्ट के बारे में बताऊंगा कि जो आईआईटीज़ और ट्रिपल आईआईटीज़ हैं, इन 25 संस्थानों में, आज के पांच संस्थान जोड़ने के बाद, पांच संस्थान सरकारी हैं और शेष 20 संस्थान पीपीपी मोड में हैं।

श्रीमान्, आपको यह जानकार खुशी होगी कि कुछ संस्थानों में 100 परसेंट प्लेसमेंट है। यदि टोटल में देखा जाए तो यह 70 प्रतिशत से अधिक है। ये प्रमाणित आंकड़े हैं। हमने यह जो मॉडल शुरू किया है, यह बहुत ही सफलतम है। मुझे यह कहते हुए भी बड़ी खुशी है कि हमारे

आईआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़, एनआईटी और आईएसआर जैसे संस्थानों ने पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थानों को प्राप्त किया है।

श्रीमन्, बहुत सारे सदस्यों ने यह कहा है कि स्तर गिर रहा है। मैं उनके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि विश्व की रैंकिंग में हमारा स्थान गिर नहीं रहा है। मैं वर्ष 2013-14 का आंकड़ा देना चाहता हूं कि द टाइम्स रैंकिंग में हम 1000 में केवल 3 थे। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद अब हम 1000 में 56 हो गए हैं। यदि क्यू.एस. रैंकिंग में देखा जाए तो वर्ष 2015 में हम 1000 के अंदर सिर्फ 5 थे, लेकिन आज हम 1000 के अदंर 48 हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 के ही अंदर आए हैं, हम 500 के अंदर आ गए हैं, हम 200 के अंदर आ गए हैं।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 2-3 विषयों में अभी कुछ ही दिन पहले 50 के अंदर भी हमारी 3 संस्थाएं आ गई हैं। हम लगातार विश्व की रैंकिंग में बढ़ रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि हमारी उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है, विशिष्टता है, उसका दम पूरी दुनिया में है। हमारी आई.आई.टीज. ने, बहुत सारे लोगों ने यहां पर नाम लिए, समय के अभाव में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकि न मैं यह कहना चाहता हूं कि आज विश्व की शीर्ष कंपनियों में हमारी आईआईटी के अधिकांश लोग सी.ई.ओ. हैं। इसके प्रमाण हैं।

मैं समझता हूं कि उच्च स्तर पर हमारी गुणवत्ता गिर नहीं रही है। हम इसको पूरी ताकत के साथ बढ़ा रहे हैं। इस देश के अंदर लगभग 1 हजार विश्वविद्यालय हैं, लगभग 45 हजार डिग्री कॉलेजेज हैं, लगभग 16 लाख स्कूल्स हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं और 33 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राएं हैं । अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या है, इस समय उससे ज्यादा हिन्दुस्तान के पास छात्र-छात्राएं हैं। हमने इन संस्थानों, जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए एक परामर्श कार्यक्रम रखा है। जो ऊपर की रैंकिंग वाला संस्थान होगा, उसके इर्द-गिर्द जो 5 से 7 संस्थान होंगे, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह उनको रैंकिंग पर लाए। जैसे

बहुत सारे सदस्यों ने जिज्ञासा व्यक्त की और चिंता भी व्यक्त की है कि हमारा अनुसंधान नीचे गिर रहा है। श्रीमन्, ऐसा नहीं है, हम अनुसंधान में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पार्क के तहत दुनिया के 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम उच्च स्तर का शोध कर रहे हैं। हम स्ट्राइक के तहत, इम्प्रैस के तहत, इम्पैक्ट के तहत तमाम शोधों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम ज्ञान और ज्ञान प्लस को करके, जहां बाहर की फैकल्टी हमारे यहां आएगी, हमारी भी फैकल्टी ज्ञान प्लस के तहत पूरी दुनिया में जा रही है। श्रीमन्, हम स्टडी इन इण्डिया के तहत पूरी दुनिया में छा रहे हैं। अभी एशियाई देशों के 1 हजार से भी अधिक छात्र हमारी इन आई.आई.टीज. में शोध करने का अनुबंध विदेश मंत्रालय के साथ हो गया है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारे जो आई.आई.टीज. संस्थान हैं, इनमें पूरी दुनिया आकर अनुसंधान करना चाहती है।

हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि नए भारत के निर्माण की जरूरत है। ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, श्रेष्ठ हो। जिस तरीके से रास्ते बनाए हैं, मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया। श्रीमन् उसी का कारण है कि आज जो यह मॉडल दिया है, इसमें पाठ्यक्रम भी वह स्वयं तैयार करते हैं। आज तक यह होता था कि उद्योग एक तरफ रहता था और जो छात्र पढ़ रहा था, वह दूसरी तरफ रहता था। जो पढ़ रहा है, उनको जरूरत नहीं है और जो उनको जरूरत है, वह इधर नहीं है। हमने इस खाई को तेजी से पाटा है। हमने उद्योगों के साथ जुड़कर और वह स्वयं इस बात को तय करेंगे, इसलिए जहां केन्द्र सरकार है, वहां राज्य सरकार को जोड़ा है और जहां राज्य सरकार को जोड़ा है तो उद्योगों को भी जोड़ा है। इन तीनों की सहभागिता से पाठ्यक्रम तय करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वह इनके अंदर ऐसा पाठ्यक्रम तय करे, ताकि शत प्रतिशत छात्रों को रोजगार उपलब्ध हो सके, वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मुझे यह कहते हुए गौरव और खुशी महसूस हो रही है कि संस्थान में पढ़ाई पूरी कर उसे छोड़ने से पहले ही छात्र को नौकरी मिल रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जहां तक यह

कहा गया है कि संस्थानों के अपने परिसर होने चाहिए, इनमें केवल चार के परिसर ही हैं, जो अस्थाई हैं, बाकी सबके स्थाई परिसर हैं। इस दिशा में बहुत तेजी से काम चल रहा है। जहां तक नि:शुल्क शिक्षा एवं एससी-एसटी के आरक्षण की बात है, उनको इन संस्थानों में नि:शुल्क अध्ययन कराया जा रहा है। श्री सुरेश जी ने इस बात की चिंता की थी कि इन संस्थानों में अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता है। श्रीमन हमने 'दीक्षारम्भ कार्यक्रम' तय कि या और इस सदन में मुझे यह कहते हुए गौरव महसूस होता है कि पिछले वर्ष ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। हमने 'दीक्षारम्भ कार्यक्रम' की जिम्मेदारी परिसर को और पूर्व छात्रों को भी दी है।

महोदय, बहुत सारे बिंदु आए हैं, लेकि न मुख्यत: प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, स्थाई परिसरों, तकनीकी के क्षेत्र में विकास आदि की बात हुई है। बहुत सारे सदस्यों के द्वारा उठाए गए अन्य सभी बिंदुओं के उत्तर भी मैं एक-एक करके देता, तो मुझे और भी गौरव होता। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे उच्च शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो या विज्ञान के क्षेत्र की शिक्षा हो, यह देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम उसके प्रमाण आपके सामने रख रहे हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे : विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी कुछ बोल दीजिए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो मैंने बोल ही दिया है। यहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ाया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बिल को स्वीकृति प्रदान की जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : क्या आप बंगाल की बात नहीं करेंगे?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : हम सब जगह की बात करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका अभिनन्दन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : मेरा यह निवेदन है कि हमारे सांसदों ने कई सजेशन्स दिए हैं। आप कृपया व्यक्तिगत रूप से उनको लिखित में रिप्लाई दे दीजिए।

15.58 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष: क्या कोई माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहता है? अधीर रंजन जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी : नहीं सर।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

> ''कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने वाले तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राईवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार कि या जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 Amendments of section 41 of Act 30 of 2014

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am not moving my amendment no. 1 to clause 2.

In amendment No. 1, I am requesting that after 'nominated', we should insert 'by the House of People' because hon. Speaker has absolute authority to nominate. I respect the nomination by the Speaker. But whenever

nomination is made and whenever elections come, people's representatives belonging to smaller parties should also be considered into these Institutions. That is the only suggestion which I would like to make. I am not moving it.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Amendment of Scheduled to Act 23 of 2017

माननीय अध्यक्ष: श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 2 व 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY : I am not moving my amendments no. 2 and 4, to clause 3.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I am moving amendment No. 3 to clause 3. That is Kerala Indian Institute of Information Technology and Management, Autonomous Education Institution be declared as an Institute of Information Technology of national importance.

I beg to move:

Page 2, *after* line 51, *insert*, --

"'7B.	Kerala Indian Institute of Information	Indian Institute of Information	Indian Institute of Information Technology

Technology and Management, Autonomous Education Institution, Thiruvananthapuram	Technology and Management, Thiruvananthapuram (3)	and Management, Thiruvananthapuram",'.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित कि या जाए।

16.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित कि या जाए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित कि या जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित कि या जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16.01 ½ hrs

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(i) Construction of canals through Ken-Betwa River Linking Project to overcome the problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 17, प्राइवेट संकल्प। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण। मैंने आज व्यवस्था दे दी है कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल। आपका बुंदेलखंड से क्या संबंध है?

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष जी, मैं इनका साथ दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी द्वारा पेश कि ए गए संकल्प- बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण, की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता हमारे पुष्पेन्द्र सिंह जी ने की है। बुंदेलखंड इलाके, छुट्टा गोवंश और पीने के पानी सहित सिंचाई के पानी की कैसे ठोस व्यवस्था हो, इसके लिए चिंतित नजर आए।

अध्यक्ष महोदय, यह बुंदेलखंड की नहीं, पूरे देश की समस्या है। वर्ष 2016 में नीति आयोग व यूएनडीपी के सौजन्य से प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अन्ना प्रथा, उस प्रथा को संदर्भित करता है, जहां जानवर रबी की फसल की कटाई के बाद घूमने के लिए खुले

छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार की परम्परा के पीछे इतिहास यह है कि बहुत समय पहले चारा और पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता था तो कि सान लीन सीजन में अपने मवेशियों को चराने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन आज के इस जल संकट के दौर में स्थितियां बदल गयी हैं, हर साल इस तरह से घूमने वाले मवेशी न केवल फसल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर देते हैं, बल्कि सड़कों पर एक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा कारण भी बनते हैं। नीलगाय सड़क पर चलते हुए आ जाती है। हम अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं, टेलिविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि नीलगाय गाड़ी पर गिरी, मौतें हो गयीं, मोटरसाइकिल से टकराई, मौत हो गयी। इससे जान-माल की बहुत हानि होती है, यह समस्या केवल बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं है, यह समस्या हर उस कृषि प्रधान क्षेत्र की समस्या है, जो कि पानी की कमी और मवेशियों के आंतक से परेशान है।

मैं आप सभी का आभारी हूं कि आज यह सदन इन समस्याओं के कारणों के निदान के लिए बात करने के लिए एकत्रित हुआ है। अध्यक्ष जी, उस दिन भी जब मैं प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर अंतिम वक्ता के रूप में बोल रहा था तो मुझ से पहले भी कई विद्वान वक्ताओं ने अपनी राय रखी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं, जहां राज्य की तकरीबन 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, तथा अपने जीवनयापन के लिए कृषि और कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। राजस्थान में कृषि तकरीबन 14 मिलियन कि सानों और 5 मिलियन काश्तकारों के लिए रोजगार का साधन है। यही वजह है कि आज के प्रस्ताव के दोनों प्रमुख मुद्दे - आवारा पशु और सिंचाई, मेरे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में पहले ही अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, गिरता भू-जल स्तर, लम्बे समय तक पड़ने वाला अकाल जैसी अनेक समस्याएं हैं। इनके अलावा मवेशियों को त्यागने से कृषि समस्याएं और ज्यादा विकराल हो रही हैं। गांवों और नगरों में मवेशियों का आतंक बढ़ा हुआ है और यह इस हद तक बढ़ गया है कि राज्यों को उन्हें रहने की जगह मुहैया कराने के लिए कर लगाना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कई किसानों ने आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए बाड़-बंदी का इंतजाम कि या। लेकिन बाड़-बंदी से खेती की लागत बढ़ गयी। पौने चार हेक्टेयर खेत की बाड़-बंदी का खर्च 8 से 10 हजार रुपये बैठता है। इसमें मरम्मत की लागत भी जुड़ती है। मवेशी बार-बार बाड़-बंदी को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत से किसान परिवार ऐसे हैं, जो यह खर्च झेलने की स्थिति में नहीं हैं। जो लोग अपने खेतों में बाड़-बंदी कराने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार को खुद व्यवस्था करनी चाहिए, राज्य सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार को इस मामले में सुध लेनी चाहिए।

जो लोग अपने खेतों में बाड़बंदी कराने में असमर्थ हैं, जो 24 घंटे अपने खेतों की रखवाली खुद करते हैं, लेकिन रखवाली में थोड़ी-सी चूक होने पर मवेशी फसलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे में खेती में आमदनी की उम्मीद खो चुका किसान अपने परिवार के जीवनयापन के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए विवश है। गांव खाली हो रहे हैं, रोजगार के साधन नहीं हैं। जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां लोग वर्षा की खेती पर निर्भर करते हैं। रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं मिलने से गांव के गांव खाली हो रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ रही है। हमें इस देश के किसान को बचाना है।

महोदय, मेरी इस सदन के माध्यम से यह गुजारिश है कि खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर चारागाह या मवेशी अभियान बनाए जाएं, ताकि कृषि में उपजे मानव-मवेशी संघर्ष को समाप्त किया जा सके। महोदय, योजनाबद्ध विकास के बाद भी आज़ादी मिले हुए 70 सालों से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया है। मगर राजस्थान आधारभूत संरचना की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहां कृषि योग्य भूमि का दो तिहाई भाग वर्षा पर निर्भर करता है। पानी के इस्तेमाल में कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है, जिससे जल संसाधनों की निरंतरता पर संदेह बन चुका है। इसका मतलब यह है कि सरकार की पीने के पानी की आपूर्ति से जुड़ी हुई योजनाओं में ही कई तरह की समस्याएं हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हम अभी हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य से बहुत दूर हैं।

महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, हमारे जल शक्ति मंत्री जी जोधपुर जिले से आते हैं। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर में ऐसे इलाके हैं, जो देश सेवा के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक देते हैं। लेकिन अभी हम लोग पीने के पानी से भी बहुत दूर हैं। जब से माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने सत्ता संभाली है, तब से यह उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, अटल जी ने नदी से नदी को जोड़कर हर खेत के लिए सिंचाई के पानी की एक उम्मीद जगाई थी। हर व्यक्ति यह चाहता है कि नरेन्द्र मोदी जी हर खेत को सिंचाई का पानी देंगे और किसानों को बचाएंगे।

16.07 hrs (Shrimati Meenakashi *in the Chair*)

महोदया, मैं मंत्री जी का भी ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि अभी हम इस लक्ष्य से काफी दूर हैं। हर खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिले, आप उस धरती से आते हैं, जहां हमेशा हमारे किसानों ने अकाल का सामना किया है। नागौर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर बहुत ही अलग परिस्थितियों से वहां का कि सान संघर्ष करता रहा है। वहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। वहां बड़ी तकलीफ के दौर से किसान गुजरे हैं। पानी की आपूर्ति की निरंतरता को बनाए रखने हेतु पूर्व प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना, जल संसाधन प्रबंधन के असंतुलन को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जब वर्ष 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, तो अटल जी जो योजना लाए थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी इस योजना के भारी भरकम खर्च को देखते हुए इस योजना से मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने उसको डंप कर दिया है और कांग्रेस की उस सरकार ने देश के कि सानों को एक बार फिर प्यासा छोड़ दिया था।

महोदया, राजस्थान के 10 जिलों की प्यास इंदिरा गांधी व भाखड़ा नहरें बुझाती हैं, जिनको पौंग व भाखड़ा बांधों से पानी मिलता है। इन बांधों में सतलुज और व्यास नदी का पानी आता है। मगर गत वर्ष इन बांधों के जल स्तर में काफी गिरावट आ गई थी। इन नदियों में पानी की घटी हुई मात्रा से कई जिले मुसीबत में फंस गए हैं। इन मुश्किलों को बढ़ाने में एक और कारण पिछले कुछ वर्षों से उभरकर आया है, जो कि प्रतिस्पर्धी संघवाद है, जिसमें कई राज्य दूसरे राज्यों को पानी

देने से नकार रहे हैं। आपस में स्टेट, स्टेट से झगड़ा कर रहे हैं। इस संबंध में, मेरी सरकार से यह गुज़ारिश है कि देश के नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अंतर्देशीय जल ट्रांसफर परियोजना पर जल्दी से जल्दी प्रगति की जाए। हालांकि संविधान में पानी को राज्यों का विषय माना गया है, लेकिन आज प्रतिस्पर्धी संघवाद की जगह सहकारी संघवाद का समय आ गया है। इसलिए, हम सभी को देश और देश का पेट भरने वाले कि सानों के हितों में नदी जोड़ो योजनाओं को जल्दी से जल्दी से क्रियान्वित कर हर खेत को पानी दिलाना होगा।

महोदया, मंत्री जी इस मामले में काफी गंभीर भी हैं।...(व्यवधान) हम सभी बुंदेलखंड की भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे राजस्थान की भी स्थिति वैसी है, जैसी बुंदेलखंड की है। माननीय सांसद महोदय जो संकल्प पत्र लेकर आए हैं, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और हम सभी आपके समर्थन में हैं। आपका संकल्प पत्र पारित हो और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार पूरी बातों को माने। हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में केवल 19.3 प्रतिशत कृषि भूमि ही सिंचित है, जिसमें सिंचाई का स्त्रोत केवल कुएं और बोरवेल हैं। 70 वर्षों के बाद भी पश्चिमी राजस्थान के इस कृषि प्रधान जिले में एक भी नहर या लिफ्ट केनाल परियोजना का न होना, यहां के किसानों के साथ खिलवाड़ है।

विशेषकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 60 साल तक जो नागौर जिले को धोखा दिया, यह उसी का परिणाम है कि हम पिछड़ कर रह गए हैं। इस संबंध में आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि चंबल और ब्राह्मणी नदी के पानी को बिसलपुर तक पहुंचाने की योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और बिसलपुर से फिर नागौर की ओर पानी एक साइड से जाएगा। इस संबंध में मेरा यह आग्रह भी है कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा जैसलमेर को सिंचाई का पानी देने वाली इंदिरा गांधी परियोजना का लाभ भी नागौर व जोधपुर के किसानों को लिफ्ट के माध्यम से मिले तथा नर्मदा लिंक कैनाल से बाड़मेर के किसानों को नर्मदा नदी का पानी सिंचाई के लिए मिल सके।

सभापति महोदय, अभी राजस्थान के अंदर विधान सभा चुनाव थे, तब कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी थे, अधीर रंजन जी, मैं नाम तो ले सकता हूँ न? राहुल गांधी जी वहां प्रचार में गए थे, तब उन्होंने कुंभाराम लिफ्ट की जगह कुंभकरण लिफ्ट योजना बोल दिया। फिर उन्होंने सॉरी फील कि या कि गलती से कुंभकरण बोल दिया। जब इनको कुंभाराम और कुंभकरण में ही फर्क नज़र नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता है कि देश के विकास पर इन्होंने ध्यान दिया होगा। यह राजस्थान के अंदर उनका खुद का बयान था, बहुत बड़ा छपा था। इस परियोजना को भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। मेरे एक-दो और सुझाव हैं। साबरमती का सरप्लस वॉटर जमा कर के पाली, जालौर, सिरोही आदि इन जिलों तक पहुंचाया जाए तो ये तीनों जिले इसमें जुड़ जाएंगे। नर्मदा का पानी जालौर और बाड़मेर के अंदर आए, ऐसी गुजरात सरकार से मांग करें। मंत्री जी, आप इस पर व्यक्तिगत प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारे जालौर, बाड़मेर के अंदर भी पानी आएगा। यमुना से राजस्थान के हिस्से का जल 575 एमसीएम, ताजेवाला से चूरु, झुंझनू, सीकर इनको भी सिंचाई परियोजना से जोड़ा जा सकता है। ईआरसीपी का मुद्दा हमेशा गर्माता रहा है। पार्लियामेंट के अंदर भी और राज्य के अंदर भी हमेशा ईस्टर्न कैनाल को लेकर कांग्रेस बीजेपी के लोग बात करते रहे, लेकि न सरकारें हमेशा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ज्यादा रही हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान के हिस्से का पानी ला कर 13 जिले, जिनके अंदर जयपुर, भरतपुर, कोटा डिवीजन, जिसमें लोक सभा अध्यक्ष जी का भी इलाका आता है, इस ईआरसीपी को लागू कर के कि या जा सकता है। सभापति महोदय, हमारा रामगढ़ बांध जो जयपुर के अंदर, जयपुर को भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराता है, अगर रामगढ़ बांध का जो कैचमेंट एरिया है, उससे अतिक्रमण हटाया जाए, हाईकोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रामगढ़ बांध के अंदर जितने भी रिज़ोर्ट, होटल हैं, अभी कांग्रेस के विधायकों को जिस रिज़ॉर्ट में रुकाया गया था, वह रामगढ़ बांध के अतिक्रमण का इलाका है, जिसमें हमारे एक सांसद ने वहां धरना भी दिया था, उनको कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। रामगढ़ बांध को अतिक्रमण मुक्त कि या जाए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की जाए। सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करूंगा कि हमारे जो

इलाके हैं, इनमें अटल भूजल योजना के द्वारा भूगर्भ जल को पुनर्पण कि या जाए, जहां ट्यूबवेल-कुओं से खेती होती है। 15 साल पहले मेरे इलाके में पानी 300-400 फीट था, आज वह 1000-1200 फीट नीचे चला गया है। पानी का लेवल ऊपर कैसे आए और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे राजस्थान में जितने भी भूजल के ब्लॉक्स हैं, वे 75 पर्सेंट ब्लॉक्स रिज़र्व कर दिए हैं, अब ट्यूबवेल भी वहां नहीं खुदा सकते हैं। अगर किसान की जमीन उपजाऊ है तो उसे ट्यूबवेल खुदाने के लिए अनुमति लेनी होगी और राजस्थान की सरकार अनुमति नहीं देती है। मंत्री जी, मैं इस मामले में भी आपसे निवेदन करूंगा कि जहां वॉटर लेवल 400 या 500 फीट है और गलत तरीके से राजस्थान की सरकार ने उस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया कि यहां ट्यूबवेल नहीं खुदवा सकते हैं, तो उसमें आप यहां से आदेश जारी करें कि वॉटर लेवल अगर 1000-1200 फीट है, तो वहां तो आप ट्यूबवेल खोदने से रोको, लेकिन जहां 300 या 400 फीट है, उन किसानों को तकलीफ नहीं हो, नहीं तो वे खाएंगे क्या? उनकी जमीन उपजाऊ है। पुराने आदेश निकले हुए हैं, उसी परिपाटी पर राजस्थान चल रहा है। इसके लिए आप भूजल के अधिकारियों को निर्देश दें कि नागौर, जोधपुर के कुछ इलाके, जो प्रतिबंधित इलाके हैं, जहां आप ट्यूबवेल नहीं खोद सकते हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, इनकी जानकारी आप मंगवा कर दिखवाएं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत राजस्थान के किसानों को मिलेगी।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूँगा, आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के मारवाड़ इलाके से आते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा अकाल पड़े। मारवाड़ के अंदर पानी की पूरी व्यवस्था हो, राजस्थान के अंदर पानी की पूरी व्यवस्था हो। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे नेता यहां दिल्ली में 50-60-70 साल पहले कई मंत्री भी रहें, लेकिन कभी विकास की बात उन्होंने नहीं की। प्रधान मंत्री जी ने हर व्यक्ति को जगह दी। हर बेरोजगार कह रहा है कि मोदी जी रोजगार देंगे, हर कि सान कह रहा है कि हमारे खेत में सिंचाई का पानी आएगा। आपने लोगों की उम्मीदें कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगा दीं और वे

सारे काम यहाँ पर हुए। देश ने 50-60 तक जो दंश भोगा, जो नासूर बन गया, उस नासूर को मिटाने का काम किया, खत्म किया।

अब किसान और जवान पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। प्रत्येक खेत को अगर सिंचाई का पानी मिला, तो हिन्दुस्तान विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। किसान अगर मजबूत हो गया, तो देश मजबूत होगा। मैं माननीय मंत्री जी से पुन: यह माँग करूँगा। हमारे बुंदेलखंड के एमपी साहब यह संकल्प लेकर आए हैं। हमने आवारा पशुओं की बात भी की, सिंचाई की परियोजनाओं की बात भी की। जहां सिंचाई के पानी की देरी हो रही है, वहां पीने के पानी की प्रधान मंत्री जी की जो योजना है, प्रधान मंत्री जी प्रत्येक घर पर पीएम योजना का जल लेकर जाएँगे। इसमें भी उन सूखे जिले को, जो एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारे यहां भी ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक घर में मीठा पानी आ सकता है। इस योजना को आप लागू करे।

मैं पुन: पुष्पेन्द्र जी के संकल्प का समर्थन करता हूँ, जिन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र की समस्याओं को रखा। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और पुन: माँग करता हूं कि इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे तथा इसे लागू करे। धन्यवाद।

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on this Bill and that may surprise some of the learned Members. Even though the matter does not concern Jammu & Kashmir, it does concern the country as a whole and also the humankind. When we go through climate change studies, we see that Central India is going to be affected most by climate change. That is why I stand in support of the hon. Member who moved this Bill.

People engaged in agriculture in Bundelkhand and other parts of Central India are under a lot of stress. They are deprived and marginalised. However, they do a huge ecoservice to the country. Therefore, irrigation facilities in Bundelkhand and adjoining areas need to be supplemented. The concerns voiced by the hon. Member are appropriate and there is enough merit in them to persuade him to move this Bill.

Madam, we cannot lose site of the fact that people engaged in agriculture in Bundelkhand and adjoining areas are changing their cultivation patterns. By moving away from crops like rice and wheat, they are making a huge contribution to preservation of our ecosystem. We know that climate change is mostly attributable to crops like rice and wheat because of the methane gas that escapes from the rice fields. So, that way they are contributing in a big way to combat climate change. They are engaged in an ecoservice. They are doing good not only to them but also to the people in other parts of the country by moving their focus on to pulses and other crops. Therefore, I would suggest that irrigation facilities to farmers in Bundelkhand and adjoining areas and also in other parts of Madhya Pradesh need to be

supplemented. This should be given top priority so that they continue to play a key role in preservation of the ecosystem and in saving from the dangers of climate change first their own region and then the whole country.

We all know that environmental disasters do not respect geographical boundaries. They do not take note of political loyalties and loyalties of communities. They affect the humankind as a whole. So, I would support the suggestions made by the hon. Member and would urge upon the hon. Minister to give top priority to supplementing and enhancing irrigation facilities in Bundelkhand and adjoining areas. Thank you.

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): धन्यवाद, सभापति महोदया। बुंदेलखंड के क्षेत्र से आने वाले सांसद कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह जी चंदेल द्वारा दिए गए इस संकल्प कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की कमी और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में लोगों को अपनी गायें चराने के लिए खुले में छोड़ना पड़ता है, जिसे अन्ना प्रथा कहते हैं, उसके कारण से कि सानों की खड़ी फसलों को हानि होती है। इसलिए उन्होंने यह संकल्प कि जल की इस कमी की समस्या और अन्ना प्रथा से निजात पाने के लिए बांधों और तालाबों को परस्पर जोड़ना और साथ में उनके पुनर्भरण के लिए केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से नहरों की एक प्रणाली बनाई जाए, सदन के सामने प्रस्तुत कि या है।

महोदया, निश्चित रूप से विषय अत्यंत समसामायिक भी था, प्रासंगिक भी था और इस प्रासंगिक विषय पर श्री निशिकांत दुबे जी से लेकर के श्री हसनैन मसूदी साहब तक **21** माननीय सदस्यों ने मानसून सत्र के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान और अब वर्तमान में बजट सत्र के दौरान पाँच सिटिंग्स में अलग-अलग अपने-अपने अनुभव के आधार पर विस्तार से चर्चा की। निश्चित ही संकल्प का जो विषय है और माननीय सदस्यों ने जिस तरह से अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार सदन के सामने रखे हैं, यह इस बात के परिचायक भी हैं और इस बात को बल देते हैं कि जल की समस्या, जल का संकट पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।

महोदया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के कारण से भारत के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जल संकट, जलवायु का परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के विजिबल इम्पैक्ट्स, भारत की भूगर्भ जल पर अत्यधिक निर्भरता और उसका सिमटते जाना, लगातार भूगर्भ के जल स्रोतों का सिकुड़ते जाना, जो हमारे पारम्परिक जल स्रोत थे, उन जल स्रोतों का विलुप्त हो जाना, बढ़ती हुई आबादी के कारण से उन पर अतिक्रमण होकर के उनका अस्तित्व खो देना, इन सबके कारण से एक बहुत बड़ा संकट जल, जल संचय और जल की उपलब्धता को लेकर हो रहा है। हम सब जानते हैं, कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में विचार व्यक्त किए हैं कि जो **4** हजार

बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल हमें बरसात से या बर्फ के माध्यम से प्रकृति के द्वारा उपहार के रूप में मिलता है, आज से **70** साल पहले भी लगभग उसकी मात्रा उतनी ही थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। इस 70 साल के कालखंड में हमारी आबादी जिस तरह से बढ़ी है, उसके कारण से हमारी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, जो एक जमाने में 5 हजार क्यूबिक मीटर से अधिक थी, वह आज घटते-घटते 1,540 क्यूबिक मीटर के लगभग पास में पहुँच गई है और वह निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के सामने एक चुनौती का विषय है। इस सबके कारण से और विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण से जिस तरह से स्कैंटी एंड इरैटिक रेनफॉल्स हो रहे हैं, एक दिन में बरसात होना और कुछ घंटों में पूरे वर्ष भर की औसत से ज्यादा बरसात हो जाना, एक जगह बरसात हो जाना, निश्चित रूप से जो मात्रा है, जब हम कुल मिलाकर कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, वह शायद पूरी हो जाती होगी, लेकिन उस जल का जिस तरह से उपयोग होना चाहिए और जिस तरह से उपयोग हो सकता है, वह नहीं हो पाता और उसके कारण से विभिन्न संकट पैदा हो रहे हैं।

महोदया, सारे माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की, चिंता व्यक्त की कि इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव यदि कि सी पर पड़ा है तो वह गाँव में रहने वाले हमारे अन्नदाता किसान पर पड़ा है। कि सान की कृषि, जलवायु परिवर्तन और घटती हुई जल की उपलब्धता के कारण से लगातार सिमटती जा रही है, कम होती जा रही है। परोक्ष रूप में उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे गौधन, हमारे पशुधन पर भी पड़ा है, क्योंकि उनके सामने चारे का एक संकट आकर खड़ा हुआ है।

अब कोई एक समस्या कि स तरह से दूसरी समस्या को पैदा करती है, उसका हम सबके सामने एक उदाहरण है कि बरसात की कमी के कारण कृषि के क्षेत्र में संकट हुआ। कृषि के क्षेत्र के सामने जो चुनौती आई, उसके कारण पशुधन के सामने चारे का संकट हुआ। जब चारे का संकट हुआ तो हमें मजबूरन अपने पशुओं को खुले में चरने के लिए छोड़ना पड़ा तो शेष बची-खुची जो कृषि थी, उसने उसे खा लिया और किसान के सामने एक नया संकट पैदा हुआ। कुल मिलाकर यह जो चक्रव्यूह बना, इस चक्रव्यूह ने देश की कृषि के सामने एक अस्तित्व का संकट पैदा कि या।

इन सबके कारण गांव के अस्तित्व के सामने एक चुनौती खड़ी हुई। सभी माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर अपने विचार, अपने दर्द, अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है और माननीय सदस्यों ने इसका जो सजीव चित्रण कि या है, वह सजीव चित्रण इस बात का परिचायक है कि गांव के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो रहा है और उसके कारण हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। लोग गांवों से पलायन करके रोजगार की खोज में और बेहतर जीवन की खोज में गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। जब लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं तो शहरों पर जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और शहरों से निकलने वाले पानी के कारण से हमारे जो बचे हुए जल स्रोत हैं, चाहे वे नदियां हों, बांध हों, झीलें हों, वे जिस तरह से प्रदूषित हो रहे हैं, वह हमारे सामने जल की चुनौती का एक और कारण बन रहा है।

महोदया, मैं माननीय सदस्य कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे सम-सामयिक विषय के ऊपर इस सदन में एक संकल्प को चर्चा के लिए रखा और सारे माननीय सदस्यों द्वारा इस गम्भीर विषय पर बातचीत करने और उन सबकी चर्चा के माध्यम से हमें भी अपने मंत्रालय में काम करने के लिए, अपने मंत्रालय की पॉलिसी प्लानिंग के लिए, सरकार को अपने कामकाज की एक समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान कि या। मैं आदरणीय पुष्पेन्द्र सिंह जी और उन सारे माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इसकी चर्चा में गम्भीरता से भाग लिया, उन सबके प्रति आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, उन सबका अभिनन्दन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखीं। जनार्दन मिश्र जी ने रीवा क्षेत्र की चुनौतियों को सामने रखते हुए इस बात की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया कि जिस तरह से इस देश में सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक पेस्टीसाइड्स का उपयोग बढ़ रहा है और उसके कारण हमारी जमीन में सॉयल हेल्थ में जिस तरह का परिवर्तन आ रहा है, वह अपने आप में एक दूसरी चुनौती पैदा कर रहा है। उसके कारण जमीन की पर्कोलेशन कपैसिटी कम हुई। जमीन में नैसर्गिक रूप से रहने वाले जो केंचुए थे, जो कीट-पतंगे थे, उनका अस्तित्व समाप्त हो

गया और उसके कारण जमीन की पोरोसिटी कम हुई। जमीन के अन्दर भूगर्भ में जो पानी समाहित होता है, वह हमारे देश में सबसे बड़े जल संसाधन या जल भंडार के रूप में है, क्योंकि our dependability for all purposes of water, whether it is for drinking, industrial use or agricultural irrigation, इन सबका 65 प्रतिशत हिस्सा भूगर्भ जल से आता है। इसके अति दोहन के कारण भूगर्भ जल जिस तरह से समाप्त हो रहा है, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कि ए।

माननीय निशिकान्त जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए हम सबके सामने इसका एक वैश्विक परिदृश्य रखा कि किस तरह से दुनिया भर के सामने जल एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, किस तरह से भारत के सामने जल का संकट एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। जिस तरह से इनका अध्ययन है और सभी विषयों पर वे जिस प्रकार से बात करते हैं, उसमें उन्होंने पूरे विस्तार से यह बात रखी कि आज भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और वह चुनौती प्रबंधन की कमी के कारण है। केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिसका संदर्भ इस संकल्प में है, उस विषय में यह बात कि केन-बेतवा लिंक परियोजना कहां से प्रारंभ हुई, उस दिशा में किस तरह से विभिन्न चरणों में काम हुआ, इंटरलिंकिंग के कॉन्सेप्ट के प्रारंभ से लेकर अब तक के विषय पर विस्तार से उन्होंने सदन के सामने अपनी बात रखी।

जगदम्बिका पाल जी और अनेक माननीय सदस्यों ने, माननीय प्रधान मंत्री जी का जो संकल्प है कि हम देश के किसान की, अन्नदाता की आमदनी को दुगुना करेंगे, इस संकल्प की मय के पीछे, इस संकल्प की सफलता के पीछे भी जल की उपलब्धता और जल संसाधनों के चरण में आने वाली कमी के कारण जो संकट खड़ा होने वाला है, उसके बारे में चिंता व्यक्त की।

आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री अधीर रंजन जी ने भी सदन में अपने विचार व्यक्त कि ए हैं। उन्होंने भी माना कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बहुत बड़ी चुनौती है। राज्यों के महकमों में भी इसको लेकर आपस में मतैक्य नहीं है। इसको लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ उन्होंने यह प्रश्न भी रखा कि क्या जल के विषय को समवर्ती सूची में लाने के लिए सरकार का कोई विचार है। ऐसा प्रश्न भी उन्होंने किया था। अनेक सदस्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से अपने विचार

व्यक्त किए। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना निश्चित रूप से शीघ्रता से पूरी हो। हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की दिशा में, उसकी पूर्णता की दिशा में तथा उसकी सफलता की दिशा में इस माध्यम से एक कदम आगे बढ़ा सकें। बुंदेलखंड की जो परिस्थिति है, वहाँ जिस तरह से सूखे के कारण पानी की कमी है, उस परिस्थिति से बुंदेलखंड के लोगों को निजात दिया जा सकें। इस संकल्प के साथ खड़े होकर माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी और बुंदेलखंड की जनता का विश्वास बढ़ाने का काम सारे सांसदों ने कि या है। मैं सभी का एक बार फिर से इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदया, जैसा हम सब ने अभी चर्चा में देखा और अनेक अवसरों पर सदन में इस बात के ऊपर माननीय सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया, उनसे जिस किसी भी प्लेटफार्म पर बात करने का अवसर मिला, सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इस देश में पानी का संकट एक बहुत बड़ा संकट है। यदि हम दुनिया भर के देशों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जितना प्रकृति प्रदत्त जल हमारे पास आता है, जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे पास जो 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी आता है, उसका हार्वेस्टेबल कम्पोनेन्ट लगभग 50 प्रतिशत जियोग्रैफिकल कंडीशन और ऑपरेशनल लॉसेस के कारण से है। जो अन्य हार्वेस्टेबल है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त भी जो पानी हमारे पास आता है, वह लगभग 2,000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। 2,000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स में से हम कुल मिलाकर जितना जमीन पर संधारित कर पाते हैं, वह मात्र 300 बिलियन क्यूबिक मीटर्स से भी कम है। हम पानी का ऑठवां हिस्सा भी जमीन पर रोक नहीं पाते हैं। हर साल जमीन के अंदर जो पानी रिचार्ज होता है, वह लगभग 400 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास है।

जब मुझे एक बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक अवसर पर सांसदों से बात करने का एक मौका दिया था, मैंने उस दिन कुछ सांसदों से प्रश्न किया था। मैंने अपने मित्रों से पूछा था कि कोई मुझे बताएगा कि देश का सबसे बड़ा जल भंडार कहाँ है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने ज्ञान के अनुरूप बताया था। किसी ने कहा कि श्रीसैलम बाँध सबसे बड़ा है। एक माननीय सदस्य

ने कहा कि टिहरी का बाँध सबसे बड़ा है। जो ओडिशा के सांसद थे, उन्होंने कहा कि महानदी पर बना हुआ हमारा हीराकुंड बाँध सबसे बड़ा है। मैंने उस दिन कहा था कि इन सभी बाँधों की कुल मिलाकर जितनी क्षमता है, देश के सबसे बड़े बाँध से लेकर गाँव के सबसे छोटे पोखर, जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, यदि इन सभी को जोड़ दीजिए तो उससे दोगुना जल हमें भूगर्भ का भंडार देता है।

पिछले 40 सालों में हमारा जितना भी इरिगेशन का एक्सपैंशन हुआ है, उसका 85 प्रतिशत हिस्सा हमको जमीन के पानी से मिलता है। दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे देश हैं, हमारे ऊपर प्रकृति की कृपा है कि लगभग 1168 मिलीमीटर बरसात हमारे यहाँ एवरेज रेन फॉल होता है। दुनिया में इजराइल का उदाहरण भी हमारे सामने है, जहाँ लगभग 100 मिलीमीटर बरसात होते हुए भी वह आज जल समृद्ध देश है। उन्होंने जिस तरह से जल का प्रबंधन कि या कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग कि स तरह से कर सकें, वर्षा के जल का ज्यादा से ज्यादा संचय कि स तरह से कर सकें, पानी का पुन: उपयोग कि स तरह से कर सकें और जुडिशियस यूज ऑफ वाटर करें। हम पानी की एक-एक बूंद को बचाते हुए अधिकतम उपयोग कि स तरह से कर सकें, इस दृष्टिकोण से जब उन्होंने काम कि या तो आज अपने देश को जल सुरक्षित बनाया। मुझे लगता है कि हम सभी को भी निश्चित रूप से इस दिशा में चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारी जो चुनौती है, उस चुनौती का अगर समग्र रूप से कोई एक समाधान है तो वह यह है कि हम जल प्रबंधन की दिशा में मिलकर काम करें।

माननीय सभापति महोदया, चूंकि जल का विषय संविधान प्रदत व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है, इसलिए प्राथमिक रूप से राज्यों को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। केन्द्र की सरकार भी इस महत्वपूर्ण विषय पर वर्षों से काम कर रही है। जब-जब भी सरकारें बनीं, अपने-अपने दृष्टिकोण से इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए प्रयास किए गए। एक राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया गया है। इस राष्ट्रीय जल नीति में जल प्रबंधन और संचय करने के

लिए बेहतर तरीके से हम कि स तरह से काम कर सकते हैं, उस नीति का मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

हम जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर कि स तरह से काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को किस तरह से रोक सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शन राष्ट्रीय जल नीति द्वारा दिया गया है। मैं मानता हूं कि आज समय आ गया है कि हम केवल सप्लाई साइड मैनेजमेंट से देश को जल के संकट से नहीं उबार सकते हैं, हमें साथ ही डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी काम करना होगा। हमें जल के अधिकतम उपयोग पर निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा।

मैंने पहले भी इस सदन और राज्य सभा में निवेदन किया था। कृषि में जल का उपयोग प्रोडक्टिविटी के आधार पर देखें तो दुनिया का सबसे कम प्रोडक्टिव पानी भारत में है। विभिन्न स्टडीज़ इस बात को उल्लिखित करती हैं कि एक किलोग्राम चावल उगाने के लिए भारत में 5600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि चीन से लेकर अनेक देश केवल 350 लीटर पानी में एक किलो चावल उगाते हैं। हम सबको निश्चित रूप से इस पर विचार करने की जरूरत है।

ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक नहीं हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, यहां माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साइंटिस्ट्स का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्होंने यह विधा बहुत साल पहले विकसित कर ली थी। कृषि राज्य का विषय है, टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन धरातल तक कि सानों तक पहुंचे, इसकी प्रमुख रूप से जिम्मेदारी राज्य की है, इसलिए राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि क्या उगाएं, कैसे उगाएं और कैसे एक-एक बूंद पानी का उपयोग करें।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के सामने संकल्प रखा – 'per drop, more crop', इसके साथ हम किस तरह से काम करें ताकि हम कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक पानी बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों को जल सुरक्षित, जल समृद्ध भारत दे सकें। हमने इस दृष्टिकोण से नीति बनाई, विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राष्ट्रीय जल नीति का एक बार पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है, दोबारा देखने की आवश्यकता है। हमने इस दृष्टिकोण से 5

नवंबर, 2019 को एक नई समिति का गठन करके राष्ट्रीय जल नीति में व्यापक संशोधन करते हुए और इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने की दिशा में काम किया है।

हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के ठीक बाद पहली बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने रेडियो में 'मन की बात' के माध्यम से पूरे देश को संबोधित कि या। उन्होंने विस्तार से देश के सामने संकल्पना रखी कि हम किस तरह से देश को इस गंभीर संकट से बचा सकते हैं। उन्होंने गांवों के लोगों से आग्रह किया, गांवों के प्रधानों से आग्रह किया कि हम कैसे अपने गांव में बरसात के पानी की एक-एक बूंद का संरक्षण कर सकते हैं, जल संचय कर सकते हैं ताकि गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे। इसके साथ ही बताया कि घर का पानी घर में किस तरह संचित कर सकते हैं। हम सबको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जब उन्होंने इस दृष्टिकोण से बात की तो निश्चित रूप से एक वायुमंडल का निर्माण हुआ।

यह जल का विषय है। सरकार की गंभीरता आप सब लोगों और माननीय सदन के सदस्यों के संज्ञान में आई होगी कि जल के विषय के बारे में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अलग डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स में विचार हुआ, पॉलिसी प्लानिंग हुई, निर्णय हुए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बार एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। देश के जल के विषय से जुड़े विभागों और लगभग सब मंत्रालयों को इन्टीग्रेट करके नए मंत्रालय का गठन किया। देश के सामने एक नया संदेश दिया कि अब हम जल जैसे महत्वपूर्ण विषय को एक साथ समग्र और हालिस्टिक रूप से निर्णय करके पॉलिसी प्लान करें ताकि भविष्य में लोगों को जल समृद्ध देश दे सकें।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक पत्र लिखकर देश भर के चुने हुए गांव के प्रतिनिधियों को पत्र लिखा। उन्होंने ढाई लाख लोगों को बारह भाषाओं में पत्र लिखकर अपनी तरफ से संदेश दिया कि जिस तरह से गांव में पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन करते हैं, उसी तरह एक डेडिकेटेड ग्राम सभा केवल जल के विषय में हो कि किस तरह से गांव में जल का उपयोग कैसे करें, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट करते हुए गांव के पानी का अधिकतम उपयोग कैसे करें, गांव को जल सुरक्षित और जल समृद्ध किस तरह से बनाएं, इस पर गांव के सब लोग बैठकर विचार करें। मुझे सदन के सामने यह

बात कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि डेढ़ लाख से ज्यादा पंचायतों ने माननीय प्रधान मंत्री जी के इस आह्वान का अनुसरण किया, सब लोग साथ जुटे, साथ बैठे और कुछ कदम इस दृष्टिकोण से इस दिशा में आगे बढ़ाए। मैं मानता हूं कि जो पहला कदम रखा जाता है, वही सफलता का मार्ग सुनिश्चित करता है।

पहला कदम डेढ़ लाख पंचायतों ने रखा। आज पूरे देश भर में एक वायुमंडल का निर्माण हुआ है। पूरे देश भर में लोगों ने इस बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया, चिन्तन करना प्रारंभ कि या और विचार करना प्रारंभ किया। जैसे माननीय प्रधान मंत्री अक्सर कहते हैं कि ऐसी सारी चुनौतियों का समाधान तभी हो सकता है, जब ये चुनौतियां एक जन चर्चा और जन आंदोलन का विषय बने। जल के आंदोलन को जन-जन का आंदोलन बनाने की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने सफलता प्राप्त की है। जल शक्ति अभियान के माध्यम से ऐसे 256 जिले, जैसे मैंने अभी चर्चा में कहा कि हमारी अधकि तम 65 प्रतिशत निर्भरता भूगर्भ के जल में है। देश के पश्चिमी हिस्से में, यदि भारत के नक्शे को रखा जाए तो कश्मीर से लेकर केरल तक लगभग पूरे पश्चिमी हिस्से में ऐसे जिले आते हैं, जो सूखे से ग्रस्त हैं या वहां की जमीन में पानी की कमी है। जहां जमीन के पानी के भंडार समाप्त हो रहे हैं या जमीन के पानी के भंडार सिकुड़ते जा रहे हैं, देश भर में 6800 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं, जिनको हम पीरियोडिकली मॉनिटर करते हैं, उनमें से लगभग 1500 ब्लॉक्स ऐसे हैं, जो या तो एक्सप्लॉएटेड हैं या ऐसे ब्लॉक्स हैं जो क्रिटिकली एक्सप्लॉएटेड अथवा सेमी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। यदि जिलों के ऐसे सारे ब्लॉक्स को चिह्नित किया जाए तो इन जिलों में से जिनको वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं, ऐसे 256 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है। कुछ प्रदेशों में ऐसे जिले हैं जो उस प्रदेश में क्रिटिकली एक्सप्लॉएटेड, ओसीएस कैटेगरी या वाटर स्ट्रेस्ड कैटेगरी में नहीं आते होंगे। ऐसे जिले हरेक प्रदेश में हैं, जहां कहीं न कहीं इस प्रकार का काम होता है कि समग्र रूप से इस तरह की हलचल बने, एक देशव्यापी परिकल्पना बने और इसके ऊपर देशव्यापी विचार हो, इस दृष्टिकोण से 256 जिले आइडेंटिफाई किए गए। भारत सरकार में संयुक्त सचिव और उनके ऊपर के स्तर के अधिकारी, सीडब्ल्यूसी के इंजीनियर्स,

सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हाइड्रो जियोलॉजिस्ट, इन सबको साथ में भेजकर तथा जिलों में कलक्टर को नोडल ऑफिसर बना करके एक रिपल क्रिएट करने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया। देश को दो हिस्सों में इन 256 जिलों में बांटा, एक जहां मानसून पहले आता है और दूसरा, जहां दूसरे दौर का मानसून आता है। ऐसे जिलों को हमने आइडेंटिफाई कि या और वहां इन अधिकारियों ने दो-तीन विजिट्स किए। उनको मैनडेट दिया गया था कि वे जल संरक्षण के ऊपर और उस जिले में वर्षा जल का संचयन कैसे हो सकता है, उसके बारे में व्यापक विचार-विमर्श करके लोगों को उसके बारे में जागृत करें तथा जन जागृति के लिए काम करें। वहां के परंपरागत जो जल संसाधन हैं, जैसे-तालाब, बावड़ियां, जोहड़, झीलें आदि, उन सबका पुनरुद्धार कैसे हो सकता है, उनको किस तरीके से जीवित किया जा सकता है, उसकी व्यापक योजना बने। ऐसे बोरवेल्स जो इन क्षेत्रों में ड्राइ हो गए हैं, जो हैंड पंप्स ड्राई हो गए हैं, उनका वर्षा जल पुनर्भरण के जरिये कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसकी रचना करें, इसके बारे में लोगों से चर्चा करें।

वारटशेड विकास पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं? इन जिलों में उसके ऊपर व्यापक योजनाएं बनें। इन सबके साथ-साथ, जिस विषय के बारे में हम बार-बार करते हैं, पेड़-पौधे लगाना, बरसात को आमंत्रित करना और उसके माध्यम से भूगर्भ के जल का संचयन करना अत्यंत आवश्यक है। इन जिलों में ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन कैसे हो सके, उसकी योजना बनाएं।

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से एक अत्यंत सफल कार्यक्रम के रूप में पहचाना गया। अनेक सांसदों ने जिनके जिले उन 256 की सूची में नहीं थे, मुझे आग्रह किया कि हमारे जिलों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। हमने राज्य सरकारों को लिखा, हमने अपने सांसद मित्रों से भी निवेदन किया कि आप चाहें तो इस तरह का कार्यक्रम अपने प्रदेश में सारे जिलों में ले सकते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्न्ता है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जिसने माननीय प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर जल शक्ति मंत्रालय, जिस तरह देश की सरकार में एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई गई है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में न केवल इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई गई अपितु उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल शक्ति अभियान को अपने स्तर पर लेकर आगे बढ़ाने का

प्रयास कि या । जो राज्य देश की सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए और वाटरशेड के लिए जिस तरह से काम होता है, उन सबको एक साथ जोड़कर हम इंटीग्रेटेड रूप में किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं, इसका एक नायाब उदाहरण इस जल शक्ति अभियान के माध्यम से देखने को मिला । हजारों संरचनाएं बनाई गईं और हजारों संरचनाओं को, जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थे, उन सबका पुनरुद्धार करने के लिए इस दिशा में योजनाएं बनीं और व्यापक रूप से सफलता के साथ उस दिशा में काम हुए।

जल शक्ति अभियान के माध्यम से दो लाख से ज्यादा जल संचयन संरचनाएं बनाई गईं। इसके अलावा अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो पिछले पांच सालों में नरेगा के माध्यम से 31907 करोड़ रुपये केवल वॉटर हार्वेस्टिंग और नेचुरल रिर्सोस मैनेजमेंट के ऊपर खर्च किया गया। 18,760 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को वॉटरशेड मैनेजमेंट के लिए प्रदान किए गए। मैं मानता हूं कि हमें अपेक्षित सफलता इन कार्यक्रमों के माध्यम से मिलनी चाहिए। राज्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इसे इंप्लीमेंट कि या है, लेकि न सांइटिफिक बैकअप नहीं होने के कारण से जितना इम्पैक्ट इतनी बड़ी राशि के खर्च होने से बनना चाहिए था, उतना शायद नहीं बन पाया। हमने नरेगा के माध्यम से नेचुरल रिर्सोस मैनेजमेंट और विशेष रूप से जल के विषय पर जो पैसा खर्च किया गया है, उसका अध्ययन करवाया है। जो वॉटर स्ट्रेस्ड एरिया है, यदि हम एक-दूसरे लक्ष्य को सुपर इंपोज करें तो बहुत सारा गैप दिखाई देगा । बहुत सारी जगहों पर ऐसी परिस्थितियां है, जहां पर वर्षा जल के पुनर्भरण और जमीन में जल के पुनर्भरण के लिए अलग तरह की अवसंरचनाओं की आवश्यकता है। जमीन के अन्दर की स्ट्रेटा स्टडी न होने के कारण से वह काम उतनी सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है।

सभापति महोदया, मैं आज आपके माध्यम से सदन को प्रसन्नता से यह बात साझा करना चाहता हूं कि देश की सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐक्कफर की स्टडी की है । जमीन के अन्दर कि स तरह की भौगोलिक संरचना है और हम किस तरह की

अवसंरचनाएं बनाकर जमीन के अन्दर पानी को ज्यादा तेजी से भर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारम्भ किया है। आज देश भर में 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन का अध्ययन या ऐक्कफर का अध्ययन करना है, उसमें से 11 लाख 40 हजार स्क्वायर कि लोमीटर का अध्ययन करके उनकी प्लानिंग कर दी गई है। हर एक जिले की अपनी-अपनी स्टडीज बनाकर इस तरह के प्लान तैयार कर दिए गए हैं और हमने उनको राज्यों के साथ साझा किया है, ताकि हम जो नरेगा या वॉटर शेड मैनेजमेंट के माध्यम से खर्च करने वाले हैं, उसको आने वाले समय में और ज्यादा साइंटिफिक बैकअप के साथ कर सकें, ताकि उसके अच्छे परिणाम तीव्रता के साथ प्राप्त हो सके।

माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाया है। अभी आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देश के किसान का अधिकार है कि पानी उसके घर और खेत तक पहुंचना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय से लंबित परियोजनाएं पड़ी थीं, जिन परियोजनाओं पर लगातार पिछले 25-30 सालों से काम चल रहा था। 60 से 70 प्रतिशत तक परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन उन योजनाओं में कुछ छोटी-छोटी कमियों के कारण से, राज्यों के पास धन की उपलब्धता न होने के कारण से, संसाधनों की सीमितता के कारण से, वे योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ऐसी 99 योजनाओं को चिह्नित करवाया। हमने उन 99 परियोजनाओं पर काम शुरू किया और आज मैं प्रसन्नता से कह सकता हूं कि हमने उनमें से 40 परियोजनाओं पर काम पूरा कर लिया है और शेष 40 परियोजनाओं का भी शीघ्र काम पूरा हो जाएगा। हमने तेजी के साथ कार्य प्रारम्भ किया और उसके कारण ही आज मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि 76 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता बढ़ी है, या अभिवृद्धि हुई है या हम उसमें इफैक्टिव रूप से सिंचाई कर पाने की स्थिति में पहुंचे हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैंने अभी जैसा कहा है कि हम केवल सप्लाई साइड के मैनेजमेंट को करते हुए इस देश को जल समृद्ध नहीं बना सकते हैं। हमको डिमाण्ड साइड मैनेजमेंट

पर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा है कि हम नई राष्ट्रीय जल नीति की कल्पना करते हैं, उसमें हमने बराबर का बल देने की दिशा में काम करना प्रारम्भ किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार इस देश में एक 'अटल भूजल योजना' के माध्यम से गत 25 दिसम्बर को देश के नेता स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर एक नई योजना का प्रारम्भ किया है, जिसमें 7 राज्य वॉटर स्ट्रेस्ड थे। हमने उन 7 राज्यों के 78 जिलों को चिह्नित कि या और उन 78 जिलों के लिए प्रायोगिक रूप से 6 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है, जिसमें से 3 हजार करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मिलने वाले हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, वहां कि स तरह से सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ-साथ डिमाण्ड साइड मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के माध्यम से, जन सहयोग माध्यम से लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करके, कैसे उनको जल समृद्ध बना सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारम्भ किया है। इन 78 जिलों में अनुकूल परिणाम आने के बाद, इसको आगे और विस्तार देते हुए, देश के हरेक हिस्से में यह काम करेंगे कि किस तरह से लोगों को साथ जोड़कर जल समृद्ध बना सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं, मैंने इज़राइल की बात की, यदि मैं इज़राइल को छोड़ दूं, हमारे देश में भी अनेक ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलती हैं। राज्यों के द्वारा की हुई सक्सेस स्टोरीज के बारे में मैंने कल यहां सदन में उत्तर देते हुए कहा था कि अनेक प्रदेशों ने इस दृष्टिकोण से काम किया है। गुजरात की सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की और जब माननीय प्रधान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने वहां जिस तरह से काम कि या, महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार नाम से योजना बनाकर काम किया। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन योजना के माध्यम से काम किया, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नीरू चेट्टू मिशन, तेलंगाना सरकार ने मिशन काकतीया बनाकर काम किया। हरेक राज्य ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इन योजनाओं पर काम किए हैं। बिहार सरकार वर्तमान में जल जीवन हरियाली नाम के शीर्षक के साथ इस दिशा में काम कर रही है। अनेक

राज्यों सरकारों ने इस तरह से काम किए हैं और उनके निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम आए हैं।

यदि सरकारों की बात भी छोड़ दें, जो कम्यूनिटी लैड आर्गनाइजेशन्स हैं, एनजीओज आदि ने भी ऐसे बहुत से काम किए हैं। महाराष्ट्र में जय भारती जैन संघटना के लोगों ने काम कि ए। इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहां कम्यूनिटी या एनजीओ के लोगों ने मिलकर काम किए हैं और उनके अनुकूल परिणाम आए हैं। गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत में बैठकर काम कि या। एक व्यक्ति, एक सरपंच खड़ा हुआ, उसने अपने संकल्प के साथ जब गांव में काम करना शुरू किया, जब गांव के लोगों की जनभागीदारी उसके साथ जुटी, प्रत्येक व्यक्ति जब उसके साथ खड़ा हुआ, तब उस गांव में कायाकल्प हुआ। हिवड़े बाजार का उदाहरण हमारे सामने है, रालेगण सिद्धी का उदाहरण हमारे सामने है। राजस्थान के एकदम सूखे इलाके पिपलांतरी का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां गांव के लोगों ने हाथ में कमान उठाई और उस गांव का कायाकल्प हुआ। केवल एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उसने काम करना प्रारम्भ कि या। मैं राजस्थान से आता हूं, जयपुर के पास दौसा जिले में एक छोटा सा गांव है – लापोड़िया। उसके आस-पास के गांवों में भी कहीं एक बूंद पीने का पानी नहीं था। जमीन का पानी इतना खारा था कि पीने के लिए किसी भी तरह से उसका उपयोग नहीं कि या जा सकता था और जमीन में पानी उपलब्धता भी बहुत कम थी। वहां लक्ष्मण सिंह नाम का लगभग बिना पढ़ा-लिखा आदमी खड़ा हुआ और उसने अपने गांव में, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपने खेत में ऐसी अवसंरचनाएं बनाईं, जिनको चौका नाम दिया गया। उस चौका सिस्टम में खेत के ग्रेडिएंट्स देखकर, उसने खेत में एक फुट गहरे, दस या बारह फुट चौड़े और बीस या तीस फुट लम्बे गढ्ढे खोदकर वर्षा के पानी को संग्रहीत किया। उसको कुछ अनुकूलता मिली तो गांव के दूसरे लोग प्रेरित हुए और उन्होंने साथ मिलकर इस तरह से काम किया। आज मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि न केवल लापोड़िया जल समृद्ध हुआ, आज उस गांव के कि सान तीन चक्र की फसल एक वर्ष में ले रहे हैं। उसके आस-पास के 58 गांव जल समृद्ध हुए हैं। दुनिया इज़राइल की

बात करती है, मैंने भी प्रारम्भ वहां से किया, लेकिन इज़राइल के वैज्ञानिकों ने वहां आकर शोध किया और उस टेक्नोलॉजी को इज़राल में लागू करने का काम किया। देश में अनेक लोगों ने इस दिशा में काम किया है। यदि देश को जल समृद्ध बनाना है, तो हम सभी को पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की दिशा में जाना पड़ेगा। हमने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में अटल भूजल योजना के माध्यम से इस दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाया है।

महोदया, पीने के पानी के संकट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने बात की। पीने के पानी के संकट के बारे में पुष्पेंद्र सिंह चन्देल जी ने विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पीने के पानी का गंभीर संकट हमारे सामने है। यहां निहाल चन्द जी बैठे हैं, वह नहरी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन इनके यहां क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से गंभीर चुनौती है। ...(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मंत्री जी, मैं नहरी क्षेत्र से आता हूं, लेकिन वहां हम लोग जिस तरह से गन्दा पानी पी रहे हैं, उससे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आप अंदाजा लगा सकते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति जी, मैं निहाल चंद जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। इस देश में पिछले पांच साल सामान्य आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने काम किया है। कि सी ने कल्पना नहीं की थी कि देश का प्रधान मंत्री लाल किले के प्राचीर से यह बात कहेगा कि देश के प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। केवल सैनिटेशन के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह घोषणा माननीय प्रधान मंत्री जी ने की थी। जब उन्होंने यह घोषणा की, उसके बाद सदन की दीवारें साक्षी होंगी, अनेक बार अनेक तरह के प्रश्न खड़े कि ए गए और अनेक तरह की आशंकाएं व्यक्त की गईं। मुझे याद है कि ब्लूमबर्ग ने कि स तरह के आर्टिकल लिखे थे और बीबीसी ने कि स तरह के आर्टिकल लिखे थे। सभी ने इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की थीं कि देश में यह संभव नहीं है कि पांच साल के कालखंड में, जो देश दुनिया का **60** प्रतिशत ओपन डेफिकेशन वाला देश है, वह देश ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएगा। लेकि न संकल्प की शक्ति थी, राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति थी और माननीय प्रधान मंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स थी, पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ और आज जब हम **135** करोड़ लोग कह सकते हैं कि हमने देश को सौ प्रतिशत स्वच्छ देश, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गैस का चूल्हा दिया। साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमने देश के हर गरीब को आवास देने के दृष्टिकोण से काम करना प्रारम्भ कि या। हर साधारण मानव के घर में भी बिजली का कनेक्शन हो, हजारों गांव जो बिना बिजली के थे, उन सभी घरों में बिजली पहुंचे, इस दृष्टिकोण से काम करना प्रारम्भ किया। हर घर तक बैंक खाता पहुंचे और इन सब के माध्यम से साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाना और उसके साथ-साथ महिलाओं का सम्मान और उनके सशक्तीकरण करने का काम हमारी सरकार ने कि या और उस दिशा में एक और कदम बाकी था, जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है कि देश के प्रत्येक घर में पीने का पानी पहुंचे।

महोदया, आजादी के पहले से प्रयास प्रारम्भ हुए थे और आजादी के **70** सालों बाद देश में 18 करोड़ के लगभग जो ग्रामीण आवास हैं, उनमें से केवल तीन करोड़ घरों तक हम पीने का पानी पहुंचा पाए थे। केवल तीन करोड़ घरों तक हम पीने का पानी नल के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंचा पाए थे। आजादी के 70 सालों में केवल 18 प्रतिशत तक पहुंचे थे और एक बार फिर देश के प्रधान मंत्री जी ने लाल कि ले की प्राचीर से संकल्पना की और देश के सामने यह संकल्प रखा कि हम आने वाले पांच सालों में, वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में हम काम करेंगे और मैं आज आप सभी के सामने विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले दिनों हमने जिस तरह से इस दिशा में काम प्रारम्भ किए, राज्यों के साथ बैठकर जिस तरह से चर्चाएं कीं और राज्यों को जिस तरह से वित्तीय सहयोग देने का हमने वायदा किया है, कई राज्यों ने बहुत तेज गति से उस दिशा में काम करना प्रारम्भ कर दिया है। कुछ राज्य हैं, जहां इस काम में गति मिलना बाकी है और जिस गति से काम करना अपेक्षित था, वह गति नहीं मिल पाई है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जो अपने संसाधनों के सीमित होने की बात कहते हैं और उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है, जब मैं यह बात लोगों के सामने बैठकर करता हूं और बैठकों में समीक्षा की बात करता हूं कि मेरा अपने राज्य राजस्थान में, जहां हमने **1600** करोड़ रुपये दिये, वहां सबसे कम खर्चा हुआ और इस दिशा में सबसे कम प्रगति हुई। कुछ राज्यों ने बहुत कमिटमेंट के साथ इसमें काम करना प्रारम्भ किया है और उन राज्यों ने संकल्प कि या है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां के माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह तय कि या है कि वर्ष **2021** तक प्रदेश के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम करेंगे। झारखंड की सरकार ने भी पहले इस दिशा में काम कि या था, लेकि न अब कुछ विराम लगा है। मुझे लगता है कि शायद कुछ गति आने वाले समय में बढ़ेगी। 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से हम न केवल पीने का पानी पहुंचाएंगे, अपितु हमारी मातृ शक्ति, हमारी माताएं-बहनें जिन्हें पीने का पानी लेने के लिए रोज मीलों पैदल चलना पड़ता है, उन्हें भी इससे फायदा पहुंचेगा।

महोदया, मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं और पश्चिमी राजस्थान का भी सुदूर रेगिस्तान का हिस्सा है। मेरे मित्र कैलाश जी बैठे हैं। इनके लोक सभा क्षेत्र में और मेरे लोक सभा क्षेत्र में शायद बहुत सारे ऐसे गांव होंगे, जहां की महिलाओं को 12-13 साल की उम्र से 65-70 साल की उम्र तक प्रतिदिन अपने सिर पर पानी के दो-दो मटके रखकर लाना होता है। वे जितने कि लोमीटर रोजाना पानी के लिए चलती हैं, पानी के लिए जीवनपर्यंत जितना चलती हैं, आप महिला होने के नाते उनका दर्द समझ सकती हैं कि वे जितने कि लोमीटर पूरी उम्र पानी लाने के लिए चलती हैं, यदि एक दिशा में उतना चलना प्रारम्भ करें तो शायद वे पूरी धरती के दो चक्कर अपने जीवन में लगा लेतीं। महिलाओं के साथ इतनी बड़ी जो ट्रेजडी हो रही है, उससे मुक्त करने की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से काम करना प्रारम्भ किया है। जैसा मैंने कहा कि हमारी अधिकतम निर्भरता भूगर्भ के जल पर है और भूगर्भ के जल संसाधनों को हम कि स तरह से, जो अति दोहित हैं और लगातार जहां पानी की कमी हो रही है, वहां ध्यान देने की है। भूगर्भ का जल इनविजिबल सोर्स है, वे दिखाई नहीं देते हैं और दिखाई न देने के कारण जमीन के पानी को हम लगातार जिस तरह से अतिदोहित कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से देश के सामने बड़ी चुनौती और चिंता का विषय है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अथाह भूजल था लेकिन आज उन जगहों पर पीने का पानी भी नहीं है और पीने का पानी भी दूसरी जगह से लाकर वहां के लोगों को पिलाना पड़ रहा है।

17.00 hrs

ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हम सब लोगों के परिवेश में कहीं न कहीं होंगे। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी चुनौती है। भूगर्भ के जल की जिस तरह से क्वॉलिटी अफैक्ट हो रही है, आर्सेनिक का प्रभाव बढ़ रहा है, फ्लोराइड का प्रभाव जिस तरह से भूगर्भ के जल में बढ़ रहा है, यह सब चिंता का विषय है। पर हमने इस दिशा में कि हम भूगर्भ के जल को किस तरह से दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, इस दिशा में भी हमने व्यापक योजना के साथ काफी तेजी के साथ काम करना प्रारम्भ किया है। जैसा मैंने कहा कि हमारी 65 प्रतिशत आवश्यकता भूगर्भ के जल से पूरी होती है, मैं आज भी कहीं

चर्चा कर रहा था। हमारे बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि अपने घर में हम पानी बचाएं। निश्चित रूप से सब लोगों ने इस दिशा में सोचना प्रारम्भ किया है।

मैं आप सबके साथ एक संस्मरण साझा करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं हवाईजहाज से मुम्बई से दिल्ली आ रहा था। इंडिगो का हवाईजहाज था। मेरे साथ एक महिला और उनकी एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। एयरहोस्टेस ने लाकर पानी का गिलास दिया। मैंने अपना पानी पिया और पानी का गिलास तोड़कर सामने पॉकेट में रख दिया। उस छोटी सी बच्ची ने भी दो तीन बार में पानी का गिलास पीकर अपने गिलास को समाप्त किया। उनकी माता जी ने एक घूंट पीकर पानी का गिलास रख दिया। थोड़ी देर में जब एयरहोस्टेस सामान इकट्ठा करने के लिए आई तो हम सबने गिलास दिया, उनकी बच्ची ने भी गिलास डाला और उनकी माता जी जब आधे से ज्यादा पानी से भरा गिलास उसमें डालने लगी तो बच्ची ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, मम्मा, "Mummy, you cannot waste water." मोदी जी ने मना किया है। पांच साल की बच्ची इस दिशा में सोचने लगी। निश्चित रूप से यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में है कि लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है।

जब व्यवहार चेंज होता है और सोच में बदलाव आता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लेकिन हम घर में जितना पानी उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने घर में तय किया है कि हम घर में कम से कम पानी उपयोग करेंगे लेकि न कुल मिलाकर जितना पानी हम साल भर में उपयोग करते हैं, उसका छ: प्रतिशत पानी हम घरेलू उपयोग के लिए लेते हैं। पांच प्रतिशत पानी हम इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं। 89 per cent of the total water we use is being used in agriculture. निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा कि हमारा पानी लीस्ट प्रोडक्टिव पानी ऐसा दिखाई देता है। मैं सारे माननीय सदस्यों और सारे राज्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने परिवेश में किसानों को जागृत करने का काम करें कि हम किस तरह से कम से कम पानी का उपयोग करके, सही फसल का उपयोग करें। किस जगह के लिए किस फसल की आवश्यकता है और उसी फसल को हम उगाएं।

मैं हरियाणा की वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जब अपने यहां योजना ली क्योंकि हरियाणा में चावल पारम्परिक रूप से पहले नहीं उगाया जाता था। लेकिन आज हरियाणा में अधिकतम किसान चावल उगा रहे हैं। चावल उगाने के लिए किसान को दूसरी फसल के लिए शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक काम है। हरियाणा के मुख्य मंत्री जी ने एक योजना बनाई कि जो किसान चावल की जगह मक्का उगाएगा, हम सौ प्रतिशत उसकी मक्का की फसल का प्रोक्योरमेंट करेंगे। इसके साथ ही उसको 2-2500 रुपए प्रति एकड़ का इंसेंटिव भी देंगे। एक जिले में प्रायोगिक रूप से इसको प्रारम्भ किया। एक महीने में 18000 से ज्यादा हेक्टेअर ज़मीन इस पर ट्रांसफर हुई। कुल मिलाकर 1 लाख ज़मीन में चावल से मक्का ट्रांसफर करने की तरफ हमें सफलता प्राप्त हुई है। ऐसे प्रयोग शायद कुछ और प्रदेशों में भी हुए होंगे।

पंजाब ने भी अपने यहां एक योजना प्रायोगिक रूप से प्रारम्भ की है। लेकिन सब प्रदेशों को और हम सबको क्योंकि हम सब अपने-अपने क्षेत्र में अपने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। हम उनका नेतृत्व करते हैं। आवश्यकता है कि हम कि सानों को भी इस दिशा में जागृत करें कि वे कि स तरह से मिनिमम पानी के उपयोग से कि स समय में कौन सी फसल उगाएं।

जो वॉटर एफिशिएंट इरीगेशन के लिए, स्प्रिंक्लर्स और ड्रिप इरीगेशन के लिए सरकार जो सहायता मुहैया कराती है और बुंदेलखंड के लिए भी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से कुछ उपाय किए हैं जिसमें बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, लघु और सतही परियोजना, छोटे तालाबों के निर्माण के लिए और उन निकायों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की दिशा में हमने काम करना प्रारम्भ किया है।

महोदया, जिस एआईबीपी के कार्यक्रम की मैंने चर्चा की है, उस कार्यक्रम में जो 99 परियोजनाएं लीं थीं, उनमें भी 7 परियोजनाएं-अर्जुन सहायक, राजघाट नहर, उत्तर प्रदेश के लहचूरा बांध, कछुरोरा बांध और मध्य प्रदेश के बेहरियापुर, एलसीवी सिंगपुर और सिंधचरण 2 के आधुनिकीकरण के काम को हमने इसमें लिया था।

इसमें उत्तर प्रदेश की तीन परियोजनाएं हैं, राजघाट नहर, लहचूरा बांध और कचनौद बांध के निर्माण कार्य आज पूरे हो गए हैं। इसके लिए 201 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता इसमें जारी की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बुंदेलखंड में 61 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने के लिए नई क्षमता सृजित हुई है। पीएमकेएसवाई की जो परियोजनाएं हैं, उनसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजनाओं में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदया, केन्द्र सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वर्ष 2009 में एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। 7,266 करोड़ रुपये के इस पैकेज में से 3,760 करोड़ रुपये बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के हिस्सों और 3,506 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए। वर्ष 2011 में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए अलग से 100-100 करोड़ रुपये दोनों प्रदेशों को दिए गए। वर्ष 2009 में यह योजना प्रारंभ हुई, उसके बाद वर्ष 2018 तक 6,257 करोड़ रुपये बुंदेलखंड पैकेज के दोनों प्रदेशों को दे दिए गए।

माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में केन बेतवा लिंक की चर्चा की है। मैं आपके माध्यम से नदियों से जोड़ने की परिकल्पना के बारे में भी कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। देश वर्षों से इस बात का सपना देख रहा है। देश के सामने यह चुनौती है कि देश के लगभग एक तिहाई हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है। देश के लगभग 13 प्रतिशत हिस्से में हर साल बाढ़ की विभीषका देखने को मिल रहा है। देश में अनेक वर्षो से, अंग्रेजों के जमाने से इस बात पर चर्चा और चिंता हो रही थी कि हम देश में इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए काम करें।

मैं आज एक बार पुन: अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करना चाहता हूं। जब वे देश के प्रधान मंत्री थे, देश के दूरगामी विकास के लक्ष्य को लेकर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। देश हमेशा गोल्डन क्वार्डिलेटरल प्रोजेक्ट को याद रखेगा। उन्होंने देश के विकास के लिए बड़ी सड़कों

के योगदान के लिए उन्होंने काम किया । उन्होंने प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना दी। उन्होंने उसी पंक्ति में देश के नदियों को जोड़ने की संकल्पना भी रखी। आदरणीय सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण किया था। उस कमेटी ने देश भर में अध्ययन करके, कुल 30 लिंक्स आईडेटिफाई किए, 14 हिमालयन रीजन्स में और 16 पेनिन्सुलर रीजन में थे। जिनके माध्यम से हम देश की ऐसी नदियों को, जहां सरप्लस वाटर है, उनको डेफिसिट बेसिन के साथ जोड़ सकते हैं और इन समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकते हैं। आईडेंटिफाइड 14 लिंक्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई है, जो पेनिन्सुलर रीजन के हैं। जो दो लिंक्स हिमालयन रीजन के हैं, उनकी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दी गई है। इसके अतिरिक्त उनमें से चार प्राथमिकता वाली परियोजनाएं आईडेंटिफाई की गई हैं, जिनको हम शीघ्रता से पूरा कर सकते हैं, प्राथमिकता के साथ पूरा कर सकते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आग्रह कि या है, वह नम्बर वन पर है । केन बेतवा लिंक परियोजना का डीपीआर तैयार हो चुका है । डीपीआर तैयार करके हम ने जिस तरह से अन्य परियोजनाओं पर काम कि या है, राज्यों ने अपने यहां इंटरस्टेट या इंट्रा-स्ट्रेट लिंक की परियोजनाएं बनाने के लिए कहा है। ऐसे कुल 47 प्रस्ताव आए हैं, हम ने उनमें से 37 इंटरस्टेट लिंक्स और इंट्रा-लिंक्स में पीएफआर को पूरा कर दिया है। यह राज्य का विषय है। जल संसाधनों का मालिकाना हक उनके पास है, हम ने उसे राज्यों के पास भेजा है कि राज्य अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति इसमें प्रदान करें। राज्य साथ में बैठ कर अपनी अंडर स्टैंडिंग डेवलप करें और उसे डेवलप करके एक मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें, ताकि इस दिशा में काम आगे बढ़ाया जा सके। दोनों प्रदेशों ने केन बेतवा परियोजना में भी लगभग सहमति के स्तर तक पहुंचने का काम किया है। अभी कुछ विषयों में उनके बीच मतभेद था, उनके बीच छोटी-मोटी आशंका और असहमति की स्थिति थी, लेकिन आज मैं प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि हम ने दोनों राज्यों के साथ बैठ कर, उनके अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ कर विचार-विमर्श किया है।

दोनों राज्यों के बीच में हम फाइनल सहमति के स्तर पर पहुँचे हैं, लेकिन मानसून और नॉन-मानसून समय में जल के बंटवारे को लेकर उनके बीच थोड़ा मतभेद है। लेकिन हमने अनेक बार साथ में बैठकर इसे रीसॉल्व करने के लिए काम किया है। बंटवारे के कारण एवं नॉन-मानसून सीजन में पानी की उपलब्धता को लेकर जो चिन्ता थी, उत्तर प्रदेश की उस चिन्ता को दूर करने के लिए, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में भी कहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अनेक तालाब हैं, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ एवं माननीय अनुराग जी ने भी कहा था कि बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है, जब पानी की कमी की बात होती है, तो लातूर की बात होती है और बुंदेलखंड की बात होती है। लेकिन बुंदेलखंड के राजाओं ने छः सौ साल से एक हजार साल पहले तक, चार सौ साल के कालखंड में दस हजार से भी ज्यादा तालाब अपने-अपने क्षेत्रों में बनवाए थे। उन तालाबों के कारण वे क्षेत्र जल-समृद्ध क्षेत्र थे। लेकिन कालांतर में वे तालाब खोते गए, गायब होते गए, उन पर अतिक्रमण होता गया, वे लुप्तप्राय हो गए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए 'अपना खेत, अपना तालाब' योजना के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इनिसिएटिव लेकर काम करना प्रारंभ किया है। लेकिन उसके साथ-साथ नॉन-गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशंस ने भी इस दिशा में काम करना प्रारम्भ कि या है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहे हैं। उन तालाबों को हम केन-बेतवा लिंक के माध्यम से भर दें, हमने ऐसे 38 तालाबों को आइडेंटिफाई किया है, ताकि उन तालाबों को हम भर दें। वे न केवल जमीन के पानी को पुनर्भरित करने का काम करेंगे, अपितु स्थाई रूप से इस क्षेत्र की जल-समस्या का समाधान करने में भी कारगर होंगे।

महोदया, इसके कारण से दूसरी चुनौतियाँ भी हमारे सामने खड़ी होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक समस्या दूसरी समस्या को पैदा करती है। पानी की समस्या ने खेती को प्रभावित कि या और खेती ने चारे की समस्या पैदा की और चारे की कमी के कारण 'अन्ना प्रथा' की समस्या पैदा हुई।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): नदी से नदी को जोड़ने का सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसके बारे में बताइए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मैं वही बताने जा रहा हूँ दीदी। हम उसे बिल्कुल पूरा करेंगे। हम उसको पूरा करने की दिशा में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए काम करेंगे।

'अन्ना प्रथा' की चुनौती हमारे सामने है। पशुधन के रूप में पहले बैल के अनेक उपयोग में आते थे, खेती में, रहट चलाने में, पानी निकालने में, कोल्हू में से तेल निकालने के काम में आते थे, लेकिन तकनीकी परिवर्तन के कारण वे अनुपयोगी हो गए। उनके अनुपयोगी होने के कारण जिस तरह की चुनौतियाँ देश के सामने आईं हैं, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकट है। आवारा पशुओं के संकट को दूर करने के लिए सरकार अनेक तरह से काम कर रही है। 'गोकुल मिशन' प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत देसी गौ वंश को किस तरह से समृद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही, सेक्स-शॉर्टेड सिमेन के माध्यम से कि स तरह से मेल काफ्स के बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, हमने इस दृष्टिकोण से काम करना प्रारंभ किया है।

हमारे पशुधन उपयोगी बनें, हमारे पशुधन प्रोडक्टिव बनें, इस दिशा में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पशुधन विकास के लिए अलग से एक मंत्रालय क्रिएट करके एक फोकस्ड एप्रोच के साथ हमने काम करना प्रारंभ किया है।

माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में केन-बेतवा लिंक के बारे में चर्चा की थी। मैं केन-बेतवा लिंक के परिप्रेक्ष्य में कुछ बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा । केन-बेतवा लिंक परियोजना, जो मध्य प्रदेश की केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना है, इसमें नौ लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचित क्षेत्र के बढ़ने की संभावना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दतिया, दमोह, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी के क्षेत्र में बांदा, महोबा और झांसी जिलों को निश्चित रूप से लाभ होगा,

वहाँ के किसानों को लाभ होगा और इस पूरे क्षेत्र को पेय जल के संकट से हमेशा-हमेशा के लिए निजात मिलेगी।

इसके लिए जो बांध बनाया जाना है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाना है, उसे बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट क्लीयरेंस की जरूरत थी और जितनी तरह की स्टैच्यूटरी क्लीयरेंसेज की जरूरत थी, चाहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो स्टैच्यूटरी क्लीयरेंस चाहिए, …(व्यवधान)

ट्राइबल एरिया के लिए जो स्वीकृति चाहिए, वे सारी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं। हमें फर्स्ट फेज़, स्टेज-1 की इन-टोटैलिटी पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है। केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो एक छोटा सा विषय है, जैसा मैंने जिक्र कि या, उसके बाद उन दोनों राज्यों के बीच में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होते ही हम शीघ्र ही इस दिशा में काम करने के कगार पर आज खड़े हैं। मैं आज सदन के सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को पूरा करने में हम लोग कामयाब होंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में हम काम करेंगे। इस दिशा में न केवल हम पेयजल, सिंचाई क्षेत्र के लिए काम करेंगे, अपितु साथ ही साथ 46 टैंक्स जो चिन्हित किए हैं, उनमें से 38 टैंक्स को साथ में जोड़कर इस योजना के माध्यम से उस पूरे क्षेत्र को जल सुरक्षित बनाने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मंत्री जी, आप उर्मिल बांध के बारे में बता दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सदस्य उर्मिल बांध का विषय चर्चा में लाए हैं। अपनी चर्चा के समय भी अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने इस बारे में कहा था। हम उसको एग्ज़ामिन करा रहे हैं कि उसे कि स तरह इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के हिस्से के पानी से, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आवश्यकता होगी, उस हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमि टेड है। हम सब लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं।

जैसा मैंने विस्तार से आप सबके सामने विषय रखा कि हम जल संरक्षण और देश को जल समृद्ध बनाने के लिए एक हॉलिस्टिक समाधान देने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो यह संकल्प रखा है, क्योंकि देश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहले से ही इन सब विषयों पर लगातार काम कर रही है। मुझे विश्वास है, जैसा कि मैंने कहा कि हम केन-बेतवा लिंक परियोजना पर प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो यह संकल्प, रेज़ोल्यूशन इस सदन के सामने रखा है, वे इस संकल्प को वापस लें और इस भरोसे और विश्वास के साथ में वापस लें कि हम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उनके संकल्प को प्रधान मंत्री जी का संकल्प बनाकर पूरा करने के लिए काम करेंगे।

माननीय निहाल चन्द जी ने गंगानगर में पीने के पानी की, वॉटर क्वालिटी की समस्या का विषय रखा। …(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान : सर, सिर्फ गंगानगर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में यही समस्या है। …(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मैं भी वही पानी पीता हूं, मैं भी उसी दु:ख से पीड़ित हूं। वह गंगानगर के रास्ते से आने वाला पानी है। रवनीत सिंह जी भी उसी के सताए हुए हैं, हम सब लोग उसी के सताए हुए हैं। **…(**व्यवधान**)**

श्री निहाल चन्द चौहान : राजस्थान के मुख्य मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री भी वही पानी पीते हैं। **…(**व्यवधान**)**

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: लुधियाना से जो अनट्रीटेड पानी, सीवेज का पानी और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, विशेष रूप से वहां की जो प्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो अनट्रीटेड पानी सतलुज दरिया में डाला जाता है, वह पानी आगे आकर राजस्थान तक पेयजल और सिंचाई के लिए काम में आता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान निश्चित रूप से उससे व्यथित हैं। हमने पंजाब की सरकार को पत्र भी लिखा, वहां आकस्मिक निरीक्षण भी करवाए हैं। हमने उनको नोटिस भी दिया है कि इन इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कमिट कि या था कि वे शीघ्र इस दिशा में ठोस

कदम उठाएंगे। हमने इस संबंध में निर्देश दिया है। मंत्रालय की एक टीम जाकर उसको दोबारा इन्सपैक्ट करेगी। यह समस्या निश्चित रूप से गंभीर है। यह मेरे संज्ञान में भी है। इसके समाधान के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए, हम निश्चित रूप से वे सारे प्रयास करेंगे।

मैं पुन: माननीय सदस्य, आदरणीय पुष्पेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा का इस सदन को मौका दिया। सारे माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, मैं उन सबको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की और लगातार तीन सत्र तक, इतनी सिटिंग्स में, इतने सारे सदस्यों को मौका दिया। माननीय सभापति महोदया ने भी बिना रोके-टोके मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। मैं आप सबका पुन: धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे इस संकल्प को वापस लें। आप सब लोगों को भी, जिन्होंने इस चर्चा को गंभीरता के साथ सुना, मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति : पुष्पेन्द्र जी, आपको मौका देने से पहले कराडी संगन्ना जी और जनार्दन मिश्र जी के कुछ प्रश्न हों तो वे पूछ लें।

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): सभापति जी, जल शक्ति मंत्री से पूछना चाहता हूं कि रिवर लिंकिंग के बारे में कर्नाटक में कौन-कौन सी नदियां जुड़ी हुई है, यह बताएं?

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, मैं जल शक्ति मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जल संरचनाओं को डिस्ट्रिक्टवाइज करने का प्रयास कि या है, उसके लिए धन्यवाद। क्या वह इनको ब्लॉकवाइज करने का भी प्रयास करेंगे?

माननीय सभापति: मंत्री जी, मैं अपने आपको रोक नहीं पा रही हूं। मैं दिल्ली से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहती हूं। बिधूड़ी जी बैठें हैं, तो यह मौका बिधूड़ी जी के लिए है।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सभापति महोदया को धन्यवाद दूंगा कि आपने दिल्ली के बारे में चिंता व्यक्त की है। यमुना नदी के पानी के लिए हमेशा झगड़ा चलता रहता है और सरकार सभी नदियों को जोड़ने का काम प्रायरिटी पर कर रही है। आप माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी के सपने को पूरा कर रहे हैं। यमुना नदी के लिए हजारों करोड़ों रुपये का फण्ड आता है। क्या हम आने वाले 2 या 3 सालों में यह देख पाएंगे कि यमुना नदी के अंदर गोता लगाकर नहा सकें और स्वच्छ पानी का आनंद दिल्ली के लोग ले सकें और दिल्ली का जो वाटर लेवल गिर रहा है, वह ऊपर हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यमुना नदी के बारे में ऐसा विचार है?

माननीय सभापति: मंत्री जी, इसमें थोड़ा और जोड़ लीजिए। जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल है और जो ग्राउण्ड वाटर हैवी मैटल्स की वजह से पॉल्युटेड हो चुका है और जो इंडस्ट्रीज दिल्ली से हरियाणा आदि शिफ्ट हुई हैं, क्या उसका असर दिल्ली के पानी पर हो रहा है? क्या दिल्ली सरकार ने आपसे कभी चिंता व्यक्ति की है, कभी यह विषय आपके संज्ञान में लेकर आई है या आपसे कुछ मदद मांगी है, यह भी आप बता दीजिए। आपने क्रॉप डायवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन बावजूद इसके क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ आपका कुछ तालमेल चल

रहा है? एग्रीकल्चर में 89 परसेंट पानी जा रहा है तो कहीं न कहीं उस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है । मंत्री जी, आप यह बता दीजिए और उसके बाद चंदेल जी आप अपनी बात कह दीजिए। विष्णु दयाल जी आप भी अपनी बात पूछ लीजिए।

श्री विष्णु दयाल राम : मैडम, **256** जिलों को वाटर स्ट्रैज्ड जिलों की सूची में रखा गया है । मेरे संसदीय क्षेत्र में दो जिले पलामू और गढ़वा हैं । वे रेन साइड एरिया में पड़ते हैं । प्रत्येक वर्ष मार्च से लेकर मई के महीने तक पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं रहता है । मैंने मंत्री जी को लिखकर दिया और उन्होंने कार्रवाई भी की है, लेकि न इसके बावजूद वे दोनों जिले अभी तक सम्मिलित नहीं किए गए हैं । उन दोनों जिलों को सम्मिलित करने की नितांत आवश्यकता है, चूंकि उनके बहुत ब्लॉक्स, ब्लैक ब्लॉक्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं । वहां न केवल यह प्रॉब्लम है, बल्कि इससे जुड़ी हुई दूसरी प्रॉब्लम है । वहां आर्सेनिक और फ्लोराइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है । मैं उसकी ओर भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद । माननीय सदस्य ने जो कनार्टक के लिंक्स के बारे में बात की है । जो नेशनल प्रॉस्पैक्टिव प्लान है, इसमें हमने 30 लिंक्स आइडेंटिफाई करके काम करना प्रारम्भ किया है । इसमें कर्नाटक के 3 लिंक्स – अल्माटी-पैन्नार, नेत्रावती-हेमावती और बेडती-वर्धा हैं । हमने इन तीनों लिंक्स के ऊपर काम किया है ।

माननीय सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त आपने और माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने यमुना को लेकर प्रश्न खड़ा किया है । यमुना नदी में वजीराबाद, ओखला में आने के बाद पीने का पानी शेष नहीं रहता है । सीवेज से जो पानी जाता है, वही पानी उसमें बचता है, क्योंकि उससे पहले पानी रोक लेते हैं । दिल्ली में पीने का पानी भी पर्याप्त नहीं हो पाता है । यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है । जहां तक जो अनट्रीटेड सीवेज जा रहा है, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने जब गंगा नदी की स्वच्छता, उसकी अविरलता और निर्मलता पर काम करना प्रारम्भ कि या था । वर्षों से काम चल रहा था । वर्ष 1985 से गंगा की स्वच्छता के लिए काम हुआ, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उसको एक नई डायनेमिक्स प्रदान की है । प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि जब हम गंगा

की बात करेंगे तो पूरी गंगा बेसिन के लिए बात करेंगे। जब गंगा बेसिन के लिए काम करेंगे तो गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं, चाहे यमुना है या यमुना की सहायक नदियां कोसी या जितनी भी सहायक नदियां, हिण्डन और काली हैं, उन सबकी स्वच्छता के लिए साथ में काम करेंगे।

पहले हमने गंगा की मूल धारा पर काम करना प्रारम्भ किया था और उसमें हमें निश्चित रूप से उल्लेखनीय सफलता मिली है। पूरे देश और दुनिया ने कुंभ और उसके बाद अनेक अवसरों पर इसे देखा है। यमुना में भी हमने उस दृष्टिकोण से काम करना प्रारम्भ किया है। देश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो दिल्ली में है, वह कई वर्षों से अटका हुआ था। मैंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर दिल्ली सरकार के मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर उस काम को प्रारम्भ किया है। वह तीन सालों में बनकर पूरा होगा। वह बनने के बाद दिल्ली का लगभग 100 प्रतिशत सीवेज ट्रीट होकर जाए, इसके लिए हमने आगे कदम बढ़ाए हैं। साथ ही साथ तब तक बायो रीमेडिएशन व अन्य टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से हम इंटरवीन करके कि स तरह से नालों में हम अभी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हमने कुछ प्रयोग इस दिशा में प्रारम्भ किए हैं।

महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि क्या हम कभी यमुना में गोता लगाकर नहा सकेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि बाथिंग क्वालिटी का पानी पूरी मात्रा में यमुना में रहेगा। इसके लिए निश्चित रूप से हमने योजना बनाई है। लखवार, कि शाऊ और रेनुका इन तीन जगहों पर बांध बनाकर पानी रोका जाएग। हमारे यहां केवल 60-70 दिनों के लिए 95 प्रतिशत रेन फॉल होती है। यह पानी बहकर नदी में मिलता है, इसलिए बरसात के दिनों में यमुना अपनी पूरी ऊंचाई तक बहती है। उस समय हमारे सांसदों और अन्य सभी लोगों के सामने अलग तरह की चुनौती होती है। शेष दिनों में पानी बिल्कुल नहीं रहता है। इन तीनों बांधों के बन जाने से काफी सुविधा होगी। लखवार में काम लगभग प्रारम्भ करने की स्थिति में है। माननीय न्यायालय ने उसमें कुछ टेम्परारी इंजेक्शन दिया है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हम उससे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम वहां काम प्रारम्भ करेंगे। वहां जब काम प्रारम्भ हो जाएगा तो कंट्रोल्ड तरीके से पानी को छोड़ने से वर्ष पर्यन्त पानी का प्रवाह बना रहेगा, जैसा कि हमने गंगा में अनुभव किया।

माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जिस तरह अविरलता बनाए रखने के लिए एक ई-फ्लो नोटिफिकेशन जारी कि या कि कम से कम हमें एक निश्चित मात्रा में पानी लीन सीजन में और मानसून सीजन में नदी में प्रवाहित करना ही पड़ेगा। नदी एक लिविंग एंटिटी है और उसमें रहने वाले जितने भी जीव हैं, उनका नदी पर अधिकार है। इसे सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से गंगा के लिए नोटिफिकेशन कि या गया है, निश्चित रूप से यह बांध बनने के बाद मैं सदन के सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यमुना में भी हम उसी तरह का ई-फ्लो नोटिफिकेशन करेंगे, ताकि यमुना नदी को पुनर्जीवित कर सकें। राजस्थान से जब चंबल आकर यमुना से मिलती है और उसे पुनर्जीवित करती है, उसके बीच के समय में यह एक चुनौती है। मुझे लगता है कि पॉल्यूशन का सबसे सही तरीका डायल्यूशन है। जल्दी ही हम और अधिक स्वच्छ पानी यमुना में छोड़ पाएंगे, ताकि माननीय सदस्य उसमें जब चाहे डुबकी लगाकर स्नान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति हम जल्द ही लाएंगे। साथ ही साथ माननीय सदस्य श्री वीडी राम जी ने जो प्रश्न कि या है कि जल शक्ति अभियान में उनके क्षेत्र के जिलों को भी जोड़ा जाए। मैंने तो अपनी चर्चा में भी कहा था कि लगभग सभी माननीय सांसदों ने मुझे पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से जल शक्ति अभियान में उनके क्षेत्र के जिलों को जोड़ने का अनुरोध कि या था।

जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में निवेदन कि या कि 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके उनमें काम करना प्रारम्भ कि या था, लेकि न हमने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा था कि इसी तर्ज पर अपने यहां भी इस तरह के काम को एक फोकस्ड अप्रोज लेकर वह कि स तरह से काम कर सकते हैं, इसके लिए अपने जिलों का चयन करके अपने यहां के कलेक्टर्स को नोडल अधिकारी बनाकर इस पर काम करें। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने राज्य की सरकार से अप्रोच करें और राज्य सरकार इस दिशा में इनीशिएटिव ले। कि सी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट की आवश्यकता होगी तो हम पूरी कमिटमेंट के साथ राज्य और माननीय सदस्य के साथ खड़े रहेंगे। मैं इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : सभापति महोदया, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि दूसरी बार क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर इस सदन में भेजा। हमारा हमीरपुर लोक सभा संसदीय क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। वहां पर पानी सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी कठिनाई है।

जब मैंने यह संकल्प लगाया था तो मैं समझता हूं कि यह हमारे क्षेत्र की जनता की शुभकामनाएं हैं कि इस 17वीं लोक सभा का यह पहला संकल्प स्वीकृत हुआ। जब यह संकल्प आया तो मैं समझता हूं कि यह काम निश्चित रूप से पूरा होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून, 2019 को यह संकल्प हमारे यहां आया था। उस दिन से संकल्प पर चर्चा हुई और देश के कोने-कोने से, सभी प्रांत के लोगों ने, सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे, अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ-साथ हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे यहां के छुट्टा गोवंश, जो मवेशी हैं, उनके लिए और वहां पानी का जो संकट है, उसको देखते हुए, बुंदेलखंड की जनता को उन्होंने जो समर्थन दिया है, जो हम लोगों को संबल दिया है, मैं उन सभी का आभार प्रकट करते हुए, अपनी बात प्रारम्भ करता हूं।

महोदया, हमारे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ने बात रखते समय यह विश्वास व्यक्त किया कि इस संकल्प को माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प बनाकर के हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर आदरणीय निशिकांत दुबे जी, श्री निहाल चंद जी, श्री मुकेश राजपूत जी और हमारे बुंदेलखंड के वरिष्ठ सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी ने अपनी बात रखी। श्री भानु प्रताप वर्मा जी ने एक बात बोली थी कि आज पूरे 9 माह हो गये हैं, जब से इस संकल्प पर चर्चा आरम्भ हुई। वह कह रहे थे कि यह योग दिवस के दिन प्रारम्भ हुआ था तो यह पूरा होगा और हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी के उद्बोधन से हमें यह लगा भी है कि इस पर हम लोगों को सफलता मिलेगी। विपक्ष के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी, भले ही वह पश्चिम बंगाल से आते हैं, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड का समर्थन किया है। वह इस समय सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं उनका

आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी, हमारे बांदा से सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, श्री नायाब सिंह सैनी, हमारे झांसी से सांसद श्री अनुराग सिंह शर्मा जी, राजस्थान से श्री दुष्यंत सिंह जी, श्री पी.पी. चौधरी जी, श्री भगीरथ चौधरी जी, श्री गुमान सिंह जी, श्री जनार्दन मिश्र जी, श्री रितेश पाण्डेय जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी और अंत में हमारे जम्मू-कश्मीर से सीनियर मैम्बर श्री हसनैन मसूदी जी ने भी इस संकल्प पर अपनी बात रखी है।

महोदया, मैं सभी का आभारी हूं क्योंकि जल की आवश्यकता सभी को है, चाहे सुदूर कोई ग्रामीण क्षेत्र हो या दिल्ली की बात हो। अभी जब बात हो रही थी तो मैं देख रहा था। सभापति महोदया, आप भी आसन पर विराजमान हैं, आपके मन में भी अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जिम्मेवारी का एहसास था, लेकि न मर्यादा में उसको नहीं उठाना चाहती थीं। आपने बिधूड़ी जी को मौका दिया और उसके बाद भी आपको लगा कि कुछ बचा है तो आपने उसको सदन में रखा।

महोदया, मेरा यह मानना है कि देश के कोने-कोने से लोगों ने इस पानी की समस्या को लेकर जो बात रखी है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को यह लगता होगा कि हमारा संसदीय क्षेत्र ज्यादा संकट में है। लेकि न सभापति महोदया, मैं आपको बहुत भावुकता के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से जितना पलायन हुआ है और जितना पलायन मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महोबा, राठ, चरखारी, छिंदवारी से हुआ है, शायद कि सी अन्य लोक सभा क्षेत्र से इतना पलायन नहीं हुआ होगा। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि हमारे यहां अगर जल का संकट नहीं होता तो हमारे क्षेत्र में कि सी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती।

महोदया, संकट कैसे बढ़ता चला जाता है? आज मंत्री जी ने जब अपनी बात रखी कि एक हजार साल पहले वहां के राजाओं ने तालाब बनवाए थे। यह एक हजार साल पहले की बात है। सौभाग्य से मेरे पूर्वजों के बनवाए हुए तालाब वहां हैं। वे छोटे तालाब नहीं हैं, एक-एक हजार हेक्टेयर और पांच-पांच सौ हेक्टेयर के तालाब हैं। वहां के किसी भी तालाब को तालाब या पोखर नहीं कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में तालाबों के नाम होते हैं, जैसे तीरथ सागर, मदन सागर, कल्याण

सागर और रहलिया सागर। हमारे यहां तालाबों का स्वरूप बहुत बड़ा है और इसलिए सभी को सागर के रूप में बोला जाता है। एक हजार वर्ष पूर्व जब चंदेल शासन काल में उनका निर्माण हुआ था, तब वहां के जल प्रबंधन में देश की आजादी के बाद से कमी आयी और वह बढ़ नहीं पाया। जब से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने हैं, उनके आने के बाद से पूरे देश की उम्मीदें जगी हैं। हमारे बुंदेलखंड के भी एक-एक गांव में लोगों को यह उम्मीद जगी है कि आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश और क्षेत्र की समस्याओं का निदान होगा। जैसा कि अभी बात आयी, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकि न मुझे यह तो पता था कि वर्ष 2021 तक योगी आदित्यनाथ जी ने घर-घर में "नल से जल" पहुंचाने का निर्णय किया है।

मैं समझ रहा था कि वह काम सिर्फ मेरे बुंदेलखंड में ही पूरा हो रहा है, लेकि न वह काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। उन्होंने प्रदेश में भी जो जल शक्ति मंत्रालय बनाने का काम कि या है, तो मेरे क्षेत्र की जनता माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है, जिसका आश्वासन माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ने दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये जो काम हैं, ये काम निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में पूरे होंगे।

महोदया, मेरी बात को रखते समय जो भी बातें आई हैं, हमारा जो बिल है कि नदियों को लिंक करके बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की व्यवस्था के लिए, जो उसका मुख्य कारण है कि इस बिल में केन-बेतवा रिवर लिंकिंग और छुट्टा गोवंश की बात जोड़ी गई है, वह इसलिए जोड़ी गई है कि अगर हम लोगों को खाद्यान्न का संकट होता है, तो हम लोग वह कहीं से भी मंगा लेते हैं। देश का कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति जम्मू-कश्मीर से सेब भी प्राप्त कर लेता है और वह दुनिया के कि सी भी देश से ड्राई फ्रूट्स भी मंगा लेता है, लेकि न उस क्षेत्र की जो गरीब जनता है, वह वहां से अपने खाद्यान्न के लिए अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती है। अगर वह कि

सी भी प्रकार से ले भी आता है, तो मैं इस बात को बड़े दर्द के साथ, बड़ी भावुकता के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं।

महोदया, गाय पालने वाले लोग अमीर लोग नहीं होते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन कि सान हैं, वे लोग गाय पालते हैं। मैं हमेशा यह कहा करता हूं कि किसान में वह ताकत है, चाहे उसके पास भूमि भी न हो, तो भी वह किसानी करता है। दूध का उत्पादन करना कि सी कि सानी से कम नहीं है। वह वही किसान करता है, जो भूमिहीन हो गया है, कर्ज में डूबकर उसकी जमीन बिक गई है। कुछ लोग पलायन कर गए हैं और जो लोग पलायन नहीं कर पाए हैं, उनको जो दिक्कत महसूस हुई, तो उन लोगों ने यह सोचा कि हम गोवंश का पालन करें, उससे दूध का उत्पादन करें, ताकि अपना भरण-पोषण कर सकें।

महोदया, जब मेरे क्षेत्र के लोगों ने दुग्ध उत्पादन के लिए काम कि या, तो मेरे क्षेत्र में चारे का संकट पैदा हो गया।...(व्यवधान) सभापति महोदया, मुझे कम से कम 10 मिनट का समय देने का कष्ट करें। यह बहुत गंभीर विषय है। महोदया, मैं आपसे यह चाहता हूं कि मुझे कम से कम दस मिनट का समय जरूर दिया जाए।

सभापति महोदया, जब वह गोवंश था, जब लोग गोवंश के लिए मजबूर हुए और उनको चारा नहीं मिला, वे खाने के लिए गेहूं-चावल कहीं से ले आते हैं। लेकि न देश के किसी भी कोने से भूसा लाने के लिए, वे पंजाब से भूसा नहीं ले जा सकते हैं। जब भूसा इतना महंगा मिलेगा, तो वे कैसे उसको ले पाएंगे। उसी का कारण है कि हमारे बुंदेलखंड के किसानों को अपना गोवंश छोड़ना पड़ा है और उससे जितनी भी प्रकार की कठिनाइयां पैदा हुई हैं, जब गोवंश छूटा, तो उसने उन्हीं किसानों के खेतों को चरना शुरू कर दिया। आज यह स्थिति है कि वहां का किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता है और रात भर अपने खेतों में गाय से, गोवंश से अपने खेत की चौकीदारी का काम करता है। सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, वे सराहनीय हैं।

सभापति महोदया, मैंने इसी सदन में यह मांग की थी, जब मैं यहां पर पिछली बार 16वीं लोक सभा में था, तब मैंने यह मांग की थी कि हमारे बुंदेलखंड में जो गोवंश पालने वाले लोग हैं, उन कि सानों को 1,000 रुपये प्रति माह सरकार देने का काम करे। तब मुझे हमारे साथियों ने यह बोला था कि आप सत्ता दल के सांसद हैं, आप विपक्ष के सांसदों की मांग कैसे रख रहे हैं। मैंने यह कहा था कि यह विपक्ष के सांसद की मांग नहीं है, हमारी पार्टी हमको यह अधिकार देती है कि अपने क्षेत्र की भलाई के लिए आप अपनी कोई भी बात बड़ी दृढ़ता के साथ रख सकते हैं। मैंने इसकी मांग की थी। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता चाहता हूं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश बना है, जहां के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर प्रति गाय 900 रुपये के हिसाब से देना प्रारंभ कि या है।

सभापति महोदया, मैं यह समझता हूं कि हमारे इस सदन में बोली हुई कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती है। हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। हम लोग यह मानते हैं कि हृदय की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है, यदि मिथ्या न हो। हम लोग इस बात को इस सदन में दिल से उठाते हैं। हमने जिन बातों को दिल से उठाया है, तो हमारे क्षेत्र में उन सब चीजों का समाधान निकला है और हम लोगों को बहुत-सी योजनाएं मिली हैं। अभी गोवंश की जो बात हुई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी समय की मर्यादा है। मैं यहां पर बहुत-सी बातें इसलिए रखना चाहता था कि वह सदन के संज्ञान में आएगी। लेकि न मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो गोवंश की समस्या है, उसके लिए खाद्यान्न के जो संकट हैं, जो केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, वह नितांत आवश्यक है। यहां पर माननीय मंत्री जी ने उसके ऊपर बड़े ही विस्तार से जवाब दिया है। मैं एक और बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा कि हमारे यहां लगभग 40 वाटर बॉडीज़ हैं, माननीय मंत्री जी आप उनको केन-बेतवा रिवर लिंक से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उसको बहुत ही

संजीदगी से लिया है। उस संदर्भ में आपने कई बार मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग भी कराई है और मेरी उनसे बात भी हुई है। आप उसके लिए स्वयं संजीदा हैं।

आपने उसको बहुत संजीदगी से लिया और आपने उस संबंध में अपने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग कराई, बात हुई और आप उसके लिए स्वयं संजीदा हैं। 25 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मेरे क्षेत्र से, सूखे क्षेत्र से निकल कर जाए और उसके बाद हमारे मजगुआं, बेलाताल, उर्मिल बांध और जितने भी ये सैकड़ों की संख्या में तालाब हैं, अगर वे वंचित रह जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस योजना के साथ न्याय भी नहीं होगा और मेरे क्षेत्र के साथ भी न्याय नहीं होगा। क्योंकि उर्मिल बांध को अगर आप पानी देंगे, इतना अच्छा सर्वे हमारे इंजीनियरों ने कि या है कि उस एक बांध में पानी आने से कम से 40 तालाबों में नहर के द्वारा पानी पहुंचता है। अगर उर्मिल बांध में पानी नहीं पहुंचेगा तो 40 वॉटर बॉडीज़ वंचित रह जाएंगी और हमारे क्षेत्र के जो पूर्वजों के बनवाए हुए, बड़े-बड़े सरोवर हैं, वे छूट जाएंगे। वही एकमात्र उसका निदान है कि हमारे पूरे क्षेत्र में एक लाख 60 हजार हेक्टर भूमि सिंचित होनी है।

सभापति महोदय, मैं अंत में आपका आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपने, माननीय मंत्री जी ने, भारत सरकार ने, सदन के सभी सदस्यों ने, सभी लोगों ने, देश के कोने-कोने से पधारे हुए सभी माननीय सदस्यों ने, हमारे पिछड़े क्षेत्र के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, हम लोगों का समर्थन कि या, इस विभाग का समर्थन कि या। माननीय मंत्री जी ने बोला है कि इस संकल्प को आप वापस लें, सरकार इसके लिए स्वयं चिंतित है। उन्होंने जो बात बोली है, आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि इस संकल्प को माननीय प्रधान मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प बना कर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस बात को मानते हुए और माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मानते हुए, मैं इस संकल्प को इस उम्मीद के साथ वापस लेता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जितनी भी जल प्रबंधन की चीजें हैं, उनको जल्दी से जल्दी शीघ्रता में वरियता क्रम में पूरा कि या जाएगा। मैं अपना संकल्प वापस ले कर पुन: एक बार सभी का आभार प्रकट करता हूँ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए सहमत हो जाती है कि अंतत: उनके हिस्से का जो जल है, अपने हिस्से के जल में से यदि वे उर्मिल बांध में पुनर्भरण के लिए राजी होते हैं तो हम निश्चित रूप से इसको छोड़ कर, उसको भरवाने के लिए इस योजना के साथ जोड़ने के लिए काम करेंगे।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, भारत सरकार के आश्वासन के बाद मैं इस संकल्प को वापस लेता हूँ।

HON. CHAIRPERSON : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Resolution?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 18.

Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar – not present.

17.43 hrs

(iii) Welfare measures for Angandwadi Workers and Anganwadi Helpers

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, before I call Shri Ritesh Pandey to move his Private Member's Resolution regarding Welfare Measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers, the time for discussion on this Resolution has to be allotted by the House. If the House agrees, two hours may be allotted for discussion on the Resolution.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Shri Ritesh Pandey may move the Resolution and begin his speech.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं, महिलाओं, बच्चों और कि शोरों को अनेक स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए -

1. आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोज़गार को नियमित करना;
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;

3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो उनकी समाज के प्रति सेवाओं के योगदान के महत्व को दर्शाए;

4. आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना और प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित वातायन-व्यवस्था सहित सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध करवा कर उनका उन्नयन करना; और

5. देश में किराए पर चलाये जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना।"

महोदया, मेरा मानना है कि सदन के तमाम जितने भी सांसद यहाँ हैं, आए दिन उनके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का एक जत्था जरूर आता होगा। मांगें करने के लिए कि उनकी जो कार्य व्यवस्था है, जो उनका मानदेय है, इनको और सुदृढ़ किया जाए और उनके हकों की व्यवस्था की जाए।

महोदया, मेरा यह मानना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाएँ, ये हमारे देश की 36 स्टेट्स और यूनियन टेरीटरीज़ में 10 करोड़ 23 लाख से ज्यादा बेनिफिशयरीज़ को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं और 3 करोड़ 65 लाख 44 हजार 3 से 6 वर्षीय बच्चों को प्री-स्कूल कम्पोनेंट, यानी कि स्कूल जाने से पहले, जो शिक्षा दी जाती है, उसको दिलाने का भी काम करते हैं। यह बहुत ही बड़ा काम है और मेरा मानना है कि यह देश की प्रगति में जो सबसे बेसिक काम होगा, सबसे निचले पायदान पर जो सबसे जरूरी चीज करने की जरूरत होती है, वह हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ और सहायिकाएँ जरूर करती हैं। इसलिए उनके हितों को देखना और उनके हितों को सुरक्षित रखना, यह हम लोगों के लिए अति अनिवार्य है कि यह सदन उस पर जरूर विचार करे और चर्चा करे। चर्चा करने के बाद हम एक ऐसे निष्कर्ष पर निकलें, जिससे कि हमारे समाज की बुनियाद को जो मजबूत करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में और उनके कार्यों के लिए सही धनराशि या सही तरीके से उनको कम्पेनसेट कर सकें।

महोदया, मेरा यह मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में और खास तौर से आंगनवाड़ी के लिए जो कई स्टडीज़ निकल कर आई हैं, उसमें यह बताया गया है कि ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ हैं, ये ज्यादातर समाज के निचले पायदान से, जो हमारा सोशियो इकनॉमिक स्ट्राटा है, उसका जो निचला और मध्यम वर्ग पायदान है, उससे निकल कर आते हैं। ये उसी इलाके से होते हैं, जिस इलाके में आंगनवाड़ी स्थापित होती है। एक हिसाब से यह उसी समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय की ये सेवा कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ इनकी उम्र करीब 30-50 वर्ष के अंतर्गत होती है। इनकी जो शैक्षिक योग्यता होती है, वह 10वीं पास तक होती है।

मेरा यह मानना है कि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ कई प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करवाती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हों, चाहे वह पोषण के क्षेत्र में हों, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हों। ये सेवाएँ बच्चों को, महिलाओं को और कि शोरियों को दिलाने का काम करती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हम लोगों के लिए इतनी बड़ी सुविधा मुहैया कराने का काम करते हैं, इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि इनके हितों को जरूर संज्ञान में लेकर हम कि स तरह से इम्प्रूव कर सकें, उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों, यानी कि चाइल्ड केयर और हाल में ही जो महिलाएँ प्रेगनेंसी से निकलती हैं, उनके पास छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, किस प्रकार से उनकी फीडिंग की जाती है, किस प्रकार से उनको स्वस्थ रखा जाए, उनका टीकाकरण और ये सारी चीजों की जानकारी यही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ करने का काम करती हैं। लेकि न मेरे संज्ञान में और यहां पर सदन में सभी के संज्ञान में जरूर आया होगा कि इन वर्कर्स की तमाम ऐसी माँगें हैं, जो कि इस देश की बुनियाद को मजबूत करने का काम कर रही हैं। उनकी ये माँगें हैं, उनका कार्य करने का जो क्षेत्र है, उसको और सुदृढ़ कि या जाए और उसके साथ-साथ उनका जो मानदेय है, उसको नियमित कि या जाए। उस पर हम लोगों को जरूर चर्चा करने की जरूरत है। मैं इस सदन में इस आशा के साथ इस प्रस्ताव को लेकर आया हूँ कि इन वर्कर्स का, जो हमारे देश की नींव को मजबूत कर रहे हैं, इनका जरूर उत्थान होने का काम होगा।

अभी 1 अक्टूबर, 2018 से सरकार ने आंगनवाड़ियां का जो ऑनोरेरियम है, उसको 3000 रुपये से बढ़ा कर 4500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है और आंगनवाड़ी हेल्पर का यानी कि सहायिकाओं का 1500 रुपये से बढ़ा कर 2250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। लेकि न आज की तारीख में ऐसा कोई प्रपोजल कंसीडरेशन में नहीं है, जो इनके ऑनोरेरियम को बढ़ाने की दिशा में फिर से चर्चा में लाया गया हो।

महोदया, लोक सभा के एक प्रश्न में यह कहा गया था, हमारी आदरणीय मंत्री जी यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने यह कहा था कि :

"… The Anganwadi workers are honorary workers who come forward to render their services on payment of monthly honorarium. In view of the very nature of the role of Anganwadi Workers/Helpers, it is not feasible to declare them as regular/permanent employees…".

मेरा यह सवाल है कि क्या नैतिक रूप से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या नैतिकता के आधार पर जो महिलाएं, जो लोग हमारे समाज के शिशुओं को, हमारे समाज की महिलाओं को, हमारे समाज की गर्भवती महिलाओं को जो बेसिक केयर देने का काम करते हैं, जो प्राथमिक केयर देने का काम करते हैं, जो उनको गाइड करने का काम करते हैं, क्या यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके हितों को देखें? क्या इस देश में, जो इतना बड़ा देश है, जिसमें करीब, अभी मैंने यहाँ पर एक फिगर पढ़ी थी कि लगभग 3 करोड़ 65 लाख 44 हजार बच्चों की देखभाल करने वाली ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, क्या हमारा नैतिक धर्म नहीं बनता है कि हम इनके हितों को सुनिश्चित करें? इनके हितों पर चर्चा करके, जो इनकी मेहनत है, इनको उसका सही मानदेय देने का काम करें। मेरा मानना है कि यह अत्यंत जरूरी है कि हम इस दिशा में चर्चा करने का काम करें और इस पर जरूर कोई न कोई सार्थक पहल निकलकर आएगी।

मैं इस पर यह भी कहना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या दशा है, इस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए और इस पर थोड़ा प्रकाश हमें जरूर डालना चाहिए। आज की स्थिति में आंगनवाड़ी वर्कर्स पूरी तरह से ओवर वर्क्ड हैं, यानी कि उनके ऊपर कामकाज का बोझ बहुत ज्यादा है। उनको उसके बदले में जो मानदेय दिया जाता है, वह कहीं न कहीं उसके सापेक्ष पूरी तरह से भी सही नहीं बैठता है। वे क्या-क्या करती हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि चाहे गर्भवती महिलाओं को पोषण देने की बात हो, चाहे नवजात शिशु को पोषण देने की बात हो, चाहे उनको शिक्षा देने की बात हो, टीकाकरण की बात हो

या उसके अलावा भी तमाम और काम आते हैं, जैसे कि इनको 12-12 रजिस्टर मैन्टेन करने पड़ते हैं । इनमें कौन-कौन से रजिस्टर हैं, सर्वे रजिस्टर हो गया, एक उन्मुक्ता यानी कि इम्यूनाइजेशन रजिस्टर हो गया, वे इसे भी मेनटेन करते हैं, एएनसी रजिस्टर को मेनटेन करते हैं, एक रेफरल रजिस्टर होता है, उसको मेनटेन करते हैं और उसके साथ-साथ विजिटर बुक को भी मेनटेन करते हैं। ये सारी चीजें 10वीं पास कि ये हुए हमारे ये वर्कर्स करने का काम करते हैं और इनको भुगतान क्या मिलता है, 4 हजार रुपया, 2,250 रुपया, एक आनरेरियम मिलता है । यह कहीं न कहीं बहुत ही कम है। उसके साथ-साथ, इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स को तमाम और कामों में लगा दिया जाता है। जब सरकार को जरूरत पड़ती है और जायज सी बात है कि जब जरूरत पड़े तो फिर अपने बीच के ही लोग, जो अपने साथ काम करते हैं, उनको आगे बढ़कर के सरकार की मदद करनी चाहिए और इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती हैं। ये हमेशा आगे आकर काम करते हैं। पल्स पोलियो जैसे प्रोग्राम, जो आज हम इस देश में बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ, इनसे पहले वाले मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आज हम यह बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि पोलियो से हमारे देश को छुटकारा मिला है और अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, बराबर यह सुनिश्चत करने के लिए कि आगे ऐसा कोई केस न आए। विटामिन 'ए' डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम, इसको भी ये ही आंगनवाड़ी वर्कर्स, सहायिकाएं कर रही हैं। मेरा यह मानना है कि इस पर पुन: हम लोगों को विचार करने की जरूरत है कि इनका जितना भी काम है, जो भी ये मेहनत करते हैं, उसके सापेक्ष क्या हम इन लोगों को उतना सम्मान देने का काम कर रहे हैं या नहीं।

एक और बड़ी शिकायत इंफ्रास्ट्रक्चर की है, यानी जिन बिल्डिंग्स में वे काम करने जाते हैं या जिन सुविधाओं के अंतर्गत रहकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं काम करती हैं, वह इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ नहीं है, वह अच्छा नहीं है । मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर से तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता हैं, अलग-अलग ब्लॉक्स हैं, कटेहरी ब्लॉक है, जलालपुर ब्लॉक है, भियांव ब्लॉक है, टांडा है, अकबरपुर ब्लॉक है, गोसाईगंज में तारुन ब्लॉक हो गया और गोसाईगंज पर हमारे तीन

ब्लॉक हैं, उधर से भी सभी लोग आकर इस बात पर चर्चा जरूर करते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तमाम जगहों पर बिजली नहीं है। मैं अभी कुछ फिगर्स भी दूँगा, तमाम जगहों पर सही तरह से बच्चों को बिठाने की जगह नहीं है।

वहां पर पोषण देने की बात होती है, पर उसे मुहैया कराने के लिए सही फर्निचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, इसकी बराबर शिकायतें आती रहती हैं। सरकार के अपने डेटा के हिसाब से 18 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। उसके साथ-साथ 31 प्रतिशत केन्द्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हैं। यहां तक कि 31 प्रतिशत केन्द्रों पर टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। यह बहुत ही दर्दनाक आंकड़े हैं। इसे देखकर कष्ट होता है। मैं फिर से यह कह रहा हूं कि जहां हम अपने देश की बुनियाद रखने की बात करते हैं, जहां पोलियो का और दूसरी तमाम बीमारियों का टीकाकरण होता है, जिससे हम लड़ने की बात करते हैं और इस देश को भारी-भरकम बीमारियों से फुर्सत दिलाने की बात करते हैं, अगर ऐसे 31 प्रतिशत केन्द्रों पर पीने का पानी उपलब्ध न हो, टॉयलेट्स न उपलब्ध हों तो यह हमारे लिए बहुत ही दु:ख की बात है। हमें अपने स्तर को उठाने की जरूरत है और इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ वहां वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स अच्छे से काम कर सकें और वहां जो बच्चे आते हैं, उन्हें सही वातावरण मिल सके। पर, वह भी उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि वहां पर वेंटिलेशन उपलब्ध नहीं है। कर्नाटक में एक शोध हुआ था, जिसमें यह बताया गया है कि 16 प्रतिशत बिल्डिंग्स अभी भी थैच्ड रूफ की हैं यानी वे झोपड़-पट्टी के अन्दर चलाई जाती हैं। उनके ऊपर घास-फूस की छत है। 12 प्रतिशत केन्द्र ऐसे हैं जहां एस्बेस्टस लगे हैं। आज यह जगजाहिर है कि एस्बेस्टस से कैंसर हो जाता है और मरीज सीधे अस्पताल चला जाता है। हम नवजात शिशुओं को एक अच्छा भविष्य देने की बात करते हैं लेकि न अगर हम एस्बेस्टस को नहीं हटाएंगे तो कहीं न कहीं हम उन्हें पोषण देने की बजाय उनके बड़े होने तक उन्हें अस्पतालों का भी रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए यह एक और चुनौती है, जिसका समाधान हम लोगों को निकालने की जरूरत है।

छत्तीसगढ़ में करीब 51,384 आंगनवाड़ी केन्द्र ऑपरेशनल हैं, जिसमें से 17,846 दिसम्बर, 2019 तक इलेक्ट्रीफाइड हैं। प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत 97 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे देश में हो गया है, लेकि न वहीं पर 65 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र बहुत ही बैकवर्ड अवस्था में हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में ही अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां तमाम ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है। गर्मी के समय जब पारा 45 डिग्री के पास पहुंचता है तो हमें यह देखने को मिलता है कि लोग वहां बैठ नहीं सकते। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नवजात शिशुओं को लाया जाए, गर्भवती महिलाएं आएं, लेकि न जब हम वहां पर सुविधाएं नहीं देंगे, जब वहां पर बिजली की सुविधा नहीं होगी तो इतनी असुविधा में वहां पर कोई कैसे आएगा?

17.59 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

आंगनवाड़ी सहायिकाओं को समाज में को-ऑपरेशन की भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं। वे घर-घर जाकर इसका क्रियान्वयन करती हैं। वहां पर वे गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पोषण देने का काम करती हैं, लेकि न उत्तर प्रदेश में बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की शिकायत है और मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में ही मुझे ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि लोगों द्वारा, उनके द्वारा दिए गए भोजन और कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें खाने से इसलिए मना कर दिया जाता है कि कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स दलित समाज से आती हैं। ऐसी सोच को भी हमें समाज से हटाने का काम करना है और कि स तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स उसे हैंडल करें, उसकी ट्रेनिंग की भी जरूरत है।

18.00 hrs

मान्यवर, मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा...(व्यवधान) यह जो रेकमेन्डेशन कॉन्फ्रेंस कमेटी से आया था, Conference Committee on Service Conditions, Wages and Social Security for various categories of Anganwadi workers was included in the 45th Indian Labour Conference. इसके कुछ सुझाव हैं। इसको मैंने अपनी प्रस्तावना में भी मेन्शन कि या था। सबसे पहले इन वर्कर्स को रेकग्नाइज़ड करना चाहिए, वॉलन्टियर की तरह नहीं, मतलब एक स्वयंसेवक की तरह नहीं, बल्कि इनको नियमित करने की जरूरत है।

दूसरा, इनको मिनिमम वेज देने की जरूरत है। इस देश का जो मिनिमम वेज है, वह इन लोगों को नहीं मिलता है। यह इनको भी मुहैया करवाया जाए। इसके साथ-साथ इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना चाहिए। हम लोग तथा सरकारी कर्मचारियों को जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, उसे भी उपलब्ध कराने की बात हमने इसमें की है। पेंशन, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी लीव बेनिफिट जैसी सारी चीज इनको उपलब्ध करानी चाहिए। उसके साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स के लिए आम आदमी बीमा योजना है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह भी आँगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायिकाओं को मिलना चाहिए। आँगनवाड़ी सेंटर को पक्की बिल्डिंग में होना चाहिए और इनको एक अच्छी व्यवस्था में होना चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट को एक एम्प्लॉइमेन्ट स्टैंडिंग ऑर्डर इन वर्कर्स के लिए रेग्युलेट करना चाहिए, ताकि इनके सर्विस कंडीशंस का समय-समय पर मॉनिटर कि या जा सके। Such workers are kept on contract basis. जो ये वर्कर्स हैं, उनको अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है। इनको संविदा पर रखा जाता है। इनको पूरी तरह से रीटेन कि या जाए। इनको नियमित करने का काम किया जाए।

मान्यवर, आपने इस चर्चा को यहाँ पर लिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आँगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायिकाओं के कल्याण होने का काम होगा।

माननीय अध्यक्ष: निशिकांत जी, आप अगली बार कन्टिन्यू कीजिए। आपका नाम आ गया है।

सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2020 को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.03 hrs

Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock on Monday, March 23, 2020/Chaitra 3, 1942(Saka)